निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 23 **पटना, बुधवार, 17 ज्येष्ठ 1945 (श0) / 7 जून 2023 (ई0)**

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1– नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-17**
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**18-77**
पूरक	---
पूरक-क	**78-80**

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पटना उच्च न्यायालय

अधिसूचनाएं

3 मार्च 2023

सं0 111 नि0:––माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री शशि भूषण प्रसाद सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल को तत्काल प्रभाव से, निबंधक (नियुक्ति), पटना उच्च न्यायालय नियुक्त किया जाता है।

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 3rd March 2023

No. 111 A :––Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to appoint Sri Shashi Bhushan Prasad Singh, District and Sessions Judge, Supaul as Registrar (Appointment), Patna High Court, Patna with immediate effect.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
R. P. Mishra, **Registrar General.**

3 मार्च 2023

सं0 112 नि0:––माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री मनोज कुमार सिंह, अध्यक्ष, वाणिज्य कर प्राधिकरण, पटना को तत्काल प्रभाव से, निबंधक (निगरानी), पटना उच्च न्यायालय नियुक्त किया जाता है।

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 3rd March 2023

No. 112 A :––Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to appoint Sri Manoj Kumar Singh, Chairman, Commercial Taxes Tribunal, Patna as Registrar (Vigilance), Patna High Court, Patna with immediate effect.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
R. P. Mishra, **Registrar General.**

3 मार्च 2023

सं0 113 नि0:––माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री रणवीर सिंह, संयुक्त निबधंक (स्थापना), पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, श्रीमति नमिता सिंह के स्थान पर, विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है।

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 3rd March 2023

No. 113 A :––Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to appoint Sri Ranvir Singh, Joint Registrar (Establishment), Patna High Court, Patna as Officer on Special Duty, Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office vice Ms. Namita Singh.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
R. P. Mishra, **Registrar General.**

3 मार्च 2023

संo 114 निo:––माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्रीमति नमिता सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना को, उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, श्री रणवीर सिंह के स्थान पर, संयुक्त निबंधक (स्थापना), पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है।

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आदेश से,

रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 3rd March 2023

No. 114 A :––Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to appoint Ms. Namita Singh, Officer on Special Duty, Patna High Court, Patna as Joint Registrar (Establishment), Patna High Court, Patna with effect from the date she assumes charge of her office vice Sri Ranvir Singh.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,

R. P. Mishra, **Registrar General.**

———

3 मार्च 2023

संo 115 निo:––माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री कृष्ण प्रताप राणा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर–सह–विशेष न्यायाधीश (निगरानी) को तत्काल प्रभाव से, संयुक्त निबंधक (आई.टी.), पटना उच्च न्यायालय नियुक्त किया जाता है।

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आदेश से,

रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 3rd March 2023

No. 115 A :––Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to appoint Sri Krishna Pratap Rana, Additional District and Sessions Judge, Muzaffarpur-cum-Special Judge (Vigilance) as Joint Registrar (IT), Patna High Court, Patna with immediate effect.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,

R. P. Mishra, **Registrar General.**

———

4 मार्च 2023

संo 139 निo:––निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारी को स्थानांतरित करते हुए, उसी तालिका के स्तम्भ–3 में उनके नाम के सामने उल्लिखित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे, अवर न्यायाधीश के रूप में पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	**पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित**	**अ) नये स्थान पर पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किये जाते हैं।**
1.	श्री आनंद भूषण अवर न्यायाधीश–सह– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गया	(अ) अवर न्यायाधीश (ब) टेकारी (स) गया

उच्च न्यायालय के आदेश से,

रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 4th March 2023

No. 139 A :––The Judicial Officer of the cadre of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted as Sub Judge in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned against his name in column no. 3 of the table.

Sl. No.	**Name of the officer, designation and present place of posting with judgeship**	**a) Designation at the new station** **b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily** **c) Name of the Judgeship in which transferred**
1	**2**	**3**
1.	Sri Anand Bhushan, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Gaya	a) Sub Judge b) Tekari c) Gaya

By Order of the High Court,
R. P. Mishra, **Registrar General.**

———

4 मार्च 2023

सं0 140 नि0 :––निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ–3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट–2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ–4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ–4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

स्तम्भ–4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

क्रम संख्या	**पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित**	**अ) नए स्थान का पदनाम** **ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान** **स) जजी जहा नियुक्त किए गए हैं**	**नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ** **अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत (साधारण प्रक्रिया)** **ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कोजेज कोर्टस एक्ट 1987 के अंतर्गत**
1	**2**	**3**	**4**
1.	नूतन कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, गया।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) ब) टेकारी स) गया	अ) टेकारी मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 1,50,000/– रूपये तक ब) टेकारी मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 1000/– रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

उच्च न्यायालय के आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 4th March 2023

No. 140 A :––The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted as Munsif in the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

As mentioned in column no. 4, the officer is also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officer is also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not be exercised by the officer concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

Sl. No.	**Name of the Officer with designation and present place of posting**	**1. Designation at the new station 2. Place where the officer is to be ordinarily stationed at. 3. Name of the Judgeship in which appointed on transfer.**	**Special Power with which the Officer is vested at the new station 1. Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). 2. Under the provincial small causes Courts Act,1987.**
1	**2**	**3**	**4**
1	Ms. Nutan Kumari J.M. 1st Class, Gaya	(a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) (b) Tekari (c) Gaya	(a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Tekari Munsifi. (b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Tekari Munsifi.

By Order of the High Court,
R. P. Mishra, **Registrar General.**

———

14 मार्च 2023

सं0 152 नि0:––दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ–3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	**पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान**	**जिला का नाम**
1	**2**	**3**
1.	सोनल सरोहा, न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, बिहारशरीफ	नालंदा

उच्च न्यायालय के आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 14th March 2023

No. 152 A:––In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the

table given below, the powers of Judicial Magistrate of the 1st Class for the District noted against her name in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting.	Name of the District
1	2	3
1.	Ms. Sonal Saroha, J.M. 2nd Class, Biharsharif	Nalanda

By Order of the High Court,
R. P. Mishra, **Registrar General.**

———

16 मार्च 2023

सं0 154 नि0:––न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त निम्नलिखित (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) की सेवाएं उनके नाम के सम्मुख स्तंभ–3 में उल्लेखित तिथि के प्रभाव से संपुश्ट की जाती है।

क्रमांक	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान	संपुष्टि की तिथि
01.	श्री रोहित कुमार II, इजरायल मुंसिफ, मुजफ्फरपुर	22.11.2021
02.	श्री बिभूति भूषण, मुंसिफ, जहानाबाद	22.11.2021
03.	रितु कुमारी, मुंसिफ–सह–न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, शेखपुरा	22.11.2021
04.	मो0 मुस्तफा शाही, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हिलसा	22.11.2021
05.	श्री राहुल दत्ता, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी–सह–अपर मुंसिफ, भागलपुर	02.06.2022
06.	श्री कुमार सौरभ भानू, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी–सह–अपर मुंसिफ, गया	24.01.2022
07.	श्री बादल कुमार गुप्ता, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी–सह–अपर मुंसिफ, रक्सौल,	31.01.2022

उच्च न्यायालय के आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 16th March 2023

No. 154 A :––The services of following (Civil Judges, Junior Division) appointed on the basis of the result of 28th, 29th & 30th Judicial Service Competitive Examinations are hereby confirmed w.e.f. the date indicated against their respective names in column 3.

Sl. No.	Name of the Officer, designation & place of present posting	Date of Confirmation
01.	Sri Rohit Kumar II, Execution Munsif, Muzaffarpur	22.11.2021
02.	Sri Bibhuti Bhushan, Munsif, Jehanabad	22.11.2021
03.	Ms. Ritu Kumari, Munsif-cum-J.M. 1st Class, Sheikhpura	22.11.2021
04.	Md. Mustafa Shahi, J.M. 1st Class, Hilsa, Nalanda at Biharsharif	22.11.2021
05.	Sri Rahul Dutta, J.M. 1st Class-cum-A.M., Bhagalpur	02.06.2022
06.	Sri Kumar Saurabh Bhanu, J.M. 1st Class-cum-A.M., Gaya	24.01.2022
07.	Sri Badal Kumar Gupta, J.M. 1st Class-cum-A.M., Raxaul, East Champaran at Motihari	31.01.2022

Their inter-se-seniority will be decided later on.

By Order of the High Court,
R. P. Mishra, **Registrar General.**

17 मार्च 2023

सं0 155 नि0:––माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री रणवीर सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, सदस्य सचिव, बिहार स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमिटी, पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है।

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 17th March 2023

No. 155 A :––Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to appoint Sri Ranvir Singh, Officer on Special Duty, Patna High Court, Patna as Member Secretary, Bihar State Court Management System Committee, Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
R. P. Mishra, **Registrar General.**

———

17 मार्च 2023

सं0 156 नि0:––माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री मो0 रूस्तम, प्रभारी निबंधक–सह–सचिव, पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है। वे अगले आदेश तक निबंधक–सह–सचिव, पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के प्रभार एवं अन्य अतिरिक्त प्रभार को ग्रहण किए रहेंगे।

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 17th March 2023

No. 156 A :––Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to appoint Sri Md. Rustam, I/C Registrar-cum-Secretary, Patna High Court Legal Services Committee, Patna as Officer on Special Duty, Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office. He will continue to hold charge of Registrar-cum-Secretary, Patna High Court Legal Services Committee and other additional charges till further orders.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
R. P. Mishra, **Registrar General.**

———

20 मार्च 2023

सं0 158 नि0 :––निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित पदाधिकारियों को, तालिका के स्तंभ–3 में निर्देशित स्थान एवं स्तम्भ 4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला के अन्तर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान।	स्थान का नाम जहाँ पदाधिकारी स्थानान्तरित किए गए।	स्थानान्तरण श्रृंखला
1.	2.	3.	4.
1.	श्री सम्मपूर्णानन्द तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैमुर स्थित भभुआ	औरंगाबाद	स्थानांतरित श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर
2.	श्री राधे श्याम शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, नवादा	कैमुर स्थित भभुआ	श्री सम्मपूर्णानन्द तिवारी के स्थान पर

उच्च न्यायालय के आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 20th March 2023

No. 158 A :––The following Officers named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as District and Sessions Judges at the stations mentioned in column no. 3 of the table against their respective names and in chain as indicated in column no. 4 of the table given below :

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting.	Name of the station where the officer has been transferred.	Chain of Transfer
1.	2.	3.	4.
1.	Sri Sampurnanad Tiwari District & Sessions Judge, Kaimur at Bhabhua.	Aurangabad	Vice Sri Rajneesh Kumar Srivastava, since transferred.
2.	Sri Radhey Shyam Shukla, Principal Judge, Family Court, Nawadah.	Kaimur at Bhabhua	Vice Sri Sampurnanand Tiwari.

By Order of the High Court,
R. P. Mishra, **Registrar General.**

———

10 अप्रील 2023

सं0 176 नि0 :––निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ–3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट–2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ–4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ–4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

स्तम्भ–4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किए गये हैं	नये स्थान पर अधिकारी को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट एक्ट के अंतर्गत (साधारण प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कॉजेज कोर्टस एक्ट 1987 के अंतर्गत
1	2	3	4
1.	श्री नीरज कुमार पाण्डेय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सहरसा।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) ब) सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा स) सहरसा	अ) सिमरी बख्तियारपुर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) सिमरी बख्तियारपुर मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

उच्च न्यायालय के आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 10th April 2023

No. 176 A :––The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted as Munsif in the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

As mentioned in column no. 4, the officer is also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887,

(Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officer is also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not be exercised by the officer concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

Sl. No.	**Name of the Officer with designation and present place of posting**	**1. Designation at the new station 2. Place where the officer is to be ordinarily stationed at. 3. Name of the Judgeship in which appointed on transfer.**	**Special Power with which the Officer is vested at the new station 1. Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). 2. Under the provincial small causes Courts Act, 1987.**
1	**2**	**3**	**4**
1	Sri Neeraj Kumar Pandey, Judicial Magistrate 1st Class, Saharsa	(a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) (b) Simri Bakhtiyarpur at Saharsa (c) Saharsa	(a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Simri Bakhtiyarpur Munsifi. (b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Simri Bakhtiyarpur Munsifi.

By Order of the High Court,
R. P. Mishra, **Registrar General.**

———

12 अप्रील 2023

सं0 177 नि0:––निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारी को स्थानांतरित करते हुए, उसी तालिका के स्तम्भ–3 में उनके नाम के सामने उल्लिखित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे, अवर न्यायाधीश के रूप में पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	**पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित**	**अ) नये स्थान पर पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किये जाते हैं।**
1.	श्री संतोष कुमार–II अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सहरसा	(अ) अवर न्यायाधीश (ब) सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा (स) सहरसा

उच्च न्यायालय के आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 12th April 2023

No. 177 A :––The Judicial officer of the cadre of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted as Sub Judge in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned against his name in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of the officer, designation and present place of posting with judgeship	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which transferred
1	2	3
1.	Sri Santosh Kumar-II, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Saharsa	a) Sub Judge b) Simri Bakhtiyarpur at Saharsa c) Saharsa

By Order of the High Court,
Rudra Prakash Mishra, **Registrar General.**

———

21 अप्रील 2023

सं0 187 नि0:––अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर सुश्री स्वाति कुमारी सिंह, सब जज–सह–ए0सी0जे0एम0, समस्तीपुर की सेवायें, विधि परामर्शी, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के अधीन, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना को सौंपी जाती है। जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होंगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 21st April 2023

No. 187 A :––On being relieved of her present assignment, the services of Ms. Swati Kumari Singh, Sub Judge-cum-ACJM, Samastipur is placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Govt. of Bihar, Patna for her appointment as Legal Advisor, Bihar State Housing Board, Patna on deputation basis, for a maximum period of three years.

By Order of the High Court,
R. P. Mishra, **Registrar General.**

———

28 अप्रील 2023

सं0 189 नि0:––निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ–3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ–4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किए गये हैं।	जिला का नाम
1	2	3	4
1	नेहा सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, कटिहार।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पटना स) पटना	पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 28th April 2023

No. 189 A :––The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officer named below, the powers of a Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against her name in column no. 4 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	a) Designation at the new station. b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed at. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Name of the District
1	2	3	4
1.	Ms. Neha Singh, Judicial Magistrate 1st Class, Katihar	(a) Judicial Magistrate (b) Patna (c) Patna	Patna

By Order of the High Court,
R. P. Mishra, **Registrar General.**

———

28 अप्रील 2023

सं0 191 नि0:––माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री मनोज कुमार सिन्हा, जिला एवं न्यायाधीश न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, श्री मनोज कुमार सिंह के स्थान पर, निबंधक (निगरानी), पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 28th April 2023

No. 191 A:––Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Manoj Kumar Sinha, District and Sessions Judge, Muzaffarpur as Registrar (Vigilance), Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office vice Sri Manoj Kumar Singh.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
R. P. Mishra, **Registrar General.**

———

28 अप्रील 2023

सं0 192 नि0:––माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री विजय आनंद तिवारी, जिला एवं न्यायाधीश न्यायाधीश, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से निबंधक (प्रशासन), पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 28th April 2023

No. 192 A:––Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Vijay Anand Tiwary, District and Sessions Judge, West Champaran at Bettiah as Registrar (Administration), Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
R. P. Mishra, **Registrar General.**

28 अप्रील 2023

सं0 193 नि0:––माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री दिपांकर पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानांतरित श्री गौरव कमल के स्थान पर निबंधक (आई.टी.)–सह–सी.पी.सी, पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 28th April 2023

No. 193 A:––Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Dipankar Pandey, District and Sessions Judge, Munger as Registrar (IT)-cum-CPC, Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office vice Sri Gaurav Kamal since transferred.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
R. P. Mishra, **Registrar General.**

———

28 अप्रील 2023

सं0 194 नि0:––माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री शाहब कौसर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कटिहार को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, मो0 रूस्तम के स्थान पर, विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 28th April 2023

No. 194 A:––Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Shahab Kausar, Additional Principal Judge, Katihar as Officer on Special Duty, Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office vice Md. Rustam.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
R. P. Mishra, **Registrar General.**

———

28 अप्रील 2023

सं0 195 नि0:––माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री सुशील कुमार दिक्षीत, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, नमीता सिंह के स्थान पर, संयुक्त निबंधक (नियुक्ति), पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 28th April 2023

No. 195 A:––Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Sushil Kumar Dixit, Additional District & Sessions Judge, Vaishali at Hajipur as Joint Registrar (Establishment), Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office vice Ms. Namita Singh.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
R. P. Mishra, **Registrar General.**

———

28 अप्रील 2023

सं0 196 नि0:––माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री कुमार अमित मनु, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्णिया को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, श्री अभिजीत कुमार के स्थान पर, विशेष कार्य पदाधिकारी (इंफ्रास्ट्रक्चर), पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र, **महानिबंधक।**

The 28th April 2023

No. 196 A:––Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Kumar Amit Manu, Additional District & Sessions Judge, Purnea as Officer on Special Duty (Infrastructure), Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office vice Sri Abhijit Kumar.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
R. P. Mishra, **Registrar General.**

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

16 मई 2023

सं0 ग्रा0वि0-R-503/110/2022-Section-RDD-RDD (COM No-190099)––1768120––श्री अरूण कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अकोढ़ीगोला, रोहतास के विरुद्ध अकोढ़ीगोला प्रखंड में पदस्थापन के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) संबंधी कार्यों के ससमय निष्पादन में लापरवाही बरती गई एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवंटन का पर्याप्त अनुश्रवण नहीं करने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के पत्रांक-1320 दिनांक-27.06.2022 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त है । स्पष्टीकरण में श्री कुमार द्वारा उल्लेख किया गया है कि मेरे द्वारा कार्य में किसी तरह की लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता नहीं बरती गयी है तथा वरीय पदाधिकारी एवं विभागीय निदेश के आलोक में सतत् अनुश्रवण के साथ कार्य किया गया है तथा किसी भी नियमावली का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री अरूण कुमार द्वारा कार्य में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवंटन का पर्याप्त अनुश्रवण नहीं किया गया है जिसके फलस्वरुप एक हीं लाभुक को दो-दो बार योजना का लाभ देते हुए राशि का भुगतान किया गया ।

अत: सम्यक विचारोपरांत श्री अरूण कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अकोढ़ीगोला, रोहतास के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) निमयावली, 2005 के नियम 14(v) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से ''एक वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने का दंड (पत्र निर्गत की तिथि से)'' अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री अरूण कुमार की चारित्री पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नंद किशोर साह, संयुक्त सचिव।

सं0 2/थाना–10–12/2022 गृ0आ0––6734
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

द्वारा:– वित्त विभाग

पटना, दिनांक 02.06.2023

विषयः–नालंदा जिला के गिरियक अंचल में जलाशय सुरक्षा हेतु गंगाजल परियोजना ओ0पी0 का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल–46 (छियालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

गंगाजल आपूर्ति योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पेयजल योजना है। पेयजल की कमी से प्रभावित क्षेत्रो में से एक क्षेत्र राजगीर एवं नवादा शहर है, जहाँ पेयजल की आपूर्ति गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत की गयी है। इस हेतु गंगा नदी से पाईप लाइन के माध्यम से गंगाजल नवादा जिलान्तर्गत नारदीगंज अंचल के ग्राम मोतनाजे स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लाया गया है, एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्ध जल को घोड़ाकटोरा स्थित जलाशय में संचित किया जा रहा है, जिससे लाखों व्यक्तियों को पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में असामाजिक तत्वों के द्वारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं जलाशय को दूषित अथवा क्षतिग्रस्त किये जाने की सम्भावना है। अतएव गंगाजल आपूर्ति योजना जैसे महत्वपूर्ण

एवं वृहद पेयजल योजना के विभिन्न संरचनाओं की सुरक्षा, आपराधिक घटनाओं की रोकथाम, पर्यटकों की सुरक्षा एवं विधि–व्यवस्था की समस्या से निबटने की दृष्टिकोण से उक्त जलाशय एवं जलशोधन प्लांट क्षेत्र के मध्य उपयुक्त स्थल पर गंगाजल परियोजना ओ0पी0 का सृजन किया जा रहा है।

2. गंगाजल आपूर्ति योजना के विभिन्न संरचनाओं की सुरक्षा, आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण एवं विधि–व्यवस्था के संधारण हेतु नालंदा जिला के गिरियक अंचल अन्तर्गत गंगाजल परियोजना ओ0पी0 का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 46 (छियालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है:–

क्र0	पदनाम	वेतन स्तर (Level)	पदों की सं0	स्वीकृति
1.	पुलिस अवर निरीक्षक	L–6	03	गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश सं0–1674 दिनांक 03.02.2023 द्वारा स्वीकृत
2.	सहायक अवर निरीक्षक	L–5	09	नये पद
3.	हवलदार	L–4	06	नये पद
4.	थाना सिपाही (डी0ए0पी0)	L–3	24	गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश सं0–1674 दिनांक 03.02.2023 द्वारा स्वीकृत
5.	सिपाही (ओ0आर0)	L–3	04	गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश सं0–1674 दिनांक 03.02.2023 द्वारा स्वीकृत
		कुल पद	**46 (छियालीस)**	

3. गंगाजल परियोजना ओ0पी0 की स्थापना घोड़ाकटोरा में निर्मित्त जलाशय एवं मोतनाजे ग्राम के मध्य उपयुक्त स्थल पर किया जाएगा, जहाँ से जलाशय एवं जलशोधन संयत्र की सुरक्षा हो सकेगी।

4. गंगाजल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत पड़नेवाले दोनों जिलों (नालन्दा एवं नवादा) के क्षेत्र का पुलिस नियंत्रण गिरियक थाना अन्तर्गत गंगाजल परियोजना ओ0पी0 (आउट पोस्ट) के अधीन रहेगा।

5. गंगाजल परियोजना ओ0पी0 एवं उसके संचालन हेतु कुल 46 (छियालीस) पदों के सृजन पर होनेवाला अनुमानित वार्षिक व्यय कुल–2,29,12,192/–(दो करोड़ उनतीस लाख बारह हजार एक सौ बिरानवे) रूपये मात्र है। **(परिशिष्ट–'क')**

6. गंगाजल परियोजना ओ0पी0 के सृजन एवं इसके कार्यरत रहने में होनेवाले व्यय की निकासी बजट शीर्ष संख्या–2055–लघुशीर्ष–109, उप–शीर्ष–0001, विषय शीर्ष–01–01 विपत्र कोड संख्या 22–2055–00–109–0001 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से की जायेगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक, नालन्दा (बिहार शरीफ) होंगे। इस राशि की निकासी जिला कोषागार, बिहार शरीफ, नालन्दा से की जायेगी।

7. गंगाजल परियोजना ओ0पी0 एवं पदों के सृजन में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
सुधांशु कुमार चौबे, उप–सचिव।

परिशिष्ट–'क'

नालंदा जिला के गिरियक अंचल में जलाशय सुरक्षा हेतु गंगाजल परियोजना ओ0पी0 का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल–46 (छियालीस) पदों पर होनेवाले व्यय का अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी :–

क्र0		पदनाम	पदों की सं0	मूल वेतन	वार्षिक व्यय
1.	I	पुलिस अवर निरीक्षक	3	35400	35400X3X12=1274400
	II	सहायक अवर निरीक्षक	9	29200	29200X9X12=3153600
	III	हवलदार	6	25500	25500 X6X12=1836000
	IV	थाना सिपाही (डी0ए0पी0)	24	21700	21700X24X12=6249600
	V	सिपाही ओ0आर0	4	21700	21700X4X12=1041600
		कुल	**46**		**योग :– 13555200**
2.	महंगाई भत्ता–सभी वेतन के योग का 38%				5150976
3.	चिकित्सा भत्ता–सभी कोटि को 1000 रु0 प्रतिमाह 46X1000X12				552000
4.	मकान किराया भत्ता–8%				1084416
5.	राशन मनी भत्ता–सभी पदों के लिए 3000, 46X3000X12				1656000
6.	वाहन भत्ता–(I) क्रमांक I एवं II को @ 2500 रु0 प्रतिमाह– 2500X12X12				360000

	(II) क्रमांक III से V को @ 200 रु0 प्रतिमाह–	200X34X12	81600
7.	वर्दी भत्ता–(I) क्रमांक I एवं II को @ 11000 रु0 वार्षिक	11000X12	132000
	(II) क्रमांक III से V को @ 10000 रु0 वार्षिक	10000X34	340000
		कुल योग–	**2,29,12,192**

(दो करोड़ उनतीस लाख बारह हजार एक सौ बिरानवे) रुपये मात्र।

विश्वासभाजन,
सुधांशु कुमार चौबे, उप–सचिव।

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

15 मई 2023

सं0 2स्था०-173/22-1183/वि०स०।--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार से प्राप्त पत्रांक-LR: 280320231201919, LR No. : 0960/2022-2023 के आलोक में श्री मधुप कुमार, वरीय प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 (क) के तहत दिनांक-17.04.2023 से 28.04.2023 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-29.04.2023 से 01.05.2023 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है । अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल दिनों का 288 अवकाश शेष है ।

आदेश से,
उमा शंकर यादव, अवर सचिव।

---

2 मई 2023

सं0 2स्था०-81/2018-1089/वि०स०।--श्री विमलेन्दु भूषण कुमार, उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना जो वेतन स्तर-12 में प्रतिमाह अंके-1,02,800/- रूपये वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल०टी०सी० नियमावली, 1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कंडिका-G के अंतर्गत ब्लॉक वर्ष 2022-25 में एल०टी०सी० सुविधा के तहत दिनांक-05.07.2023 से 16.07.2023 तक पटना से बेंगलुरू एवं बेंगलुरू से पटना तक की यात्रा के निमित्त दिनांक-05.07.2023 से 07.07.2023 एवं 10.07.2023 से 14.07.2023 तक आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक- 08.07.2023, 09.07.2023, 15.07.2023 एवं 16.07.2023 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की स्वीकृति के साथ ही दिनांक-05.07.2023 से 16.07.2023 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
संजीव कुमार, उप-सचिव।

---

2 मई 2023

सं0 1स्था०-127/19-1091/वि०स०।--सभा सचिवालय की अधिसूचना सं0-1661, दिनांक-10.09.2010 द्वारा प्रवृत्त रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 से संबंधित वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं०-3ए-2-वे०पु०-18/09-7566, दिनांक-14.07.2010 एवं विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-22.11.2022 को आयोजित बैठक में की गयी अनुशंसा के अनुसरण में श्रीमती सुजाता मिश्रा, सेवानिवृत्त उप निदेशक, पुस्तकालय एवं शोध/संदर्भ, बिहार विधान सभा को निम्न प्रकार एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किया जाता है :-

(1) दिनांक-01.01.2009 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० पी०बी०-3, ग्रेड पे-5400/-रूपये वेतन अनुमान्य किया जाता है ।

(2) दिनांक-01.01.2016 से वेतन स्तर-11 में वेतन पुनरीक्षण किया जाता है ।

(3) दिनांक-10.06.2016 के प्रभाव से अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन स्तर-11 में वेतन निर्धारण का लाभ अनुमान्य नहीं है ।

(4) दिनांक-08.11.2018 से तृतीय एम०ए०सी०पी० के तहत वेतन स्तर-12 में अनुमान्य किया जाता है ।

भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर प्रदत्त रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ रद्द /संशोधित कर दिया जायेगा तथा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एवं कम भुगतान की गयी की राशि की प्रतिपूर्ति कर ली/दी जायेगी ।

पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं०-1757, दिनांक-24.08.2011 को इस हद तक संशोधित किया जाता है ।

आदेश से,
प्रवीन कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव।

---

4 मई 2023

सं0 2स्था०-201/2022-1116/वि०स०।--वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त पत्रांक-243(22), दिनांक-19.01.2023 के आलोक में श्रीमती संगीता कुमारी, प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को सभा सचिवालय के ज्ञापांक-382, दिनांक-18.02.2015 द्वारा प्रवृत्त वित्त विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-640, दिनांक-19.01.2015 के अनुसरण में बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता 2014 के नियम-220 A के तहत दिनांक-03.01.2023 से दिनांक-16.02.2023 तक शिशु देखभाल छुट्टी स्वीकृत किया जाता है । अवकाश उपभोग के उपरांत इनके शिशु देखभाल छुट्टी कोष में कुल-595 दिनों का छुट्टी शेष है ।

आदेश से,
अनुपमा प्रसाद, उप-सचिव।

---

4 मई 2023

सं0 2स्था०-201/2022-1121/वि०स०।--वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्रांक-145(22), दिनांक-11.01.2023 के आलोक में श्रीमती संगीता कुमारी, प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के तहत दिनांक-05.12.2022 से दिनांक-16.12.2022 तक रूपांतरित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-17.12.2022 एवं 18.12.2022 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है । इनके रूपांतरित अवकाश कोष में 43 दिनों का अवकाश शेष रहेगा ।

आदेश से,
अनुपमा प्रसाद, उप-सचिव।

---

15 मई 2023

सं0 2स्था०-223/2021-1170/वि०स०।--वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्रांक-881(22), दिनांक-23.03.2023 के आलोक में श्री यानपति, प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 240 एवं 248 (क) के तहत दिनांक-10.04.2023 से दिनांक-28.04.2023 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-29.04.2023 से 01.05.2023 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है । इनके उपार्जित अवकाश कोष में 37 दिनों का अवकाश शेष रहेगा ।

आदेश से,
उमा शंकर यादव, अवर सचिव।

Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya

Office Order

The 3rd June 2023

No. XI-K-रा0-01/2019—2363---In the light of proposal received from District Magistrate, Gaya vide letter no.- 1002, dated- 22.05.2023 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
1	Miss Arati	SDC, Gaya	District Level
2	Sri Ravindra Kumar Diwakar	SDC, Gaya	District Level
3	Sri Rajiv Ranjan Sinha	SDC, Gaya	District Level
4	Miss Ashana	SDC, Gaya	District Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 26.05.2023

By Order,

Sd/-Illegible, Secretary to Commissioner.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 12—571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्
विद्यापति मार्ग, पटना – 800001

————————

अधिसूचनाएं
12 सितम्बर 2022

सं0 2015—श्री राधाकृष्ण मंदिर, खुटौना, ग्राम+पो0+थाना+अंचल–खुटौना, जिला– मधुबनी, पर्षद में निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–2226 हैं।

उक्त मंदिर में लगभग 16 बी0 भूमि है और मंदिर लगभग 50 वर्ष पूर्व से निबंधित है, परन्तु मंदिर अपनी दुरव्यवस्था का शिकार है। मंदिर की भूमि जिन लोगों द्वारा बन्दोबस्ती पर ली गयी है, वह राशि का भुगतान नहीं करते है और इस संबंध में सभी बटाईदारों को निबंधित डाक द्वारा पुलिस के माध्यम से सूचना देने पर एक मात्र रामचन्द्र कामत पुत्र संजिव कामत उपस्थित हुए और उनके द्वारा पिछले 05 वर्षो की बन्दोबस्ती की राशि मंदिर को देने के लिए आश्वासन दिया गया और मंदिर की देख–भाल कर रहे हरेकृष्ण चौधरी द्वारा लिखित प्रार्थना–पत्र दिया गया कि कुछ आपराधिक तत्व के लोग मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है और मंदिर की व्यवस्था हेतु न्यास समिति का गठन कराया जाए और इस संबंध में बैठक दिनांक 15.05.2022 को की गयी, जिसकी प्रति दाखिल की गयी, जिसमें 07 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त नामों को अंचलाधिकारी के यहाँ भेजकर उन नामों पर उनका मंतव्य तथा कुछ नाम जोड़ना या हटाना हो के संबंध में पत्र लिखा गया, परन्तु अंचलाधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट पर्षद को उपलब्ध नहीं करायी गयी और चूंकि मंदिर और मंदिर की व्यवस्था का दायित्व पर्षद पर है, लिहाजा न्यास समिति के गठन को आगे लंबित रखना उचित नहीं प्रतीत होता है।

उपरोक्त परिस्थिति में प्रस्तावित नामों पर विचारोपरान्त पर्षद की सूनावाई दिनांक 16.08.2022 को इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिये एक न्यास समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया।

अतः मैं,अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा– 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो **बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है**, का प्रयोग करते हुए **" श्री राधाकृष्ण मंदिर, खुटौना, ग्राम+पो0+थाना+अंचल–खुटौना, जिला– मधुबनी,"**के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **"श्री राधाकृष्ण मंदिर, खुटौना, ग्राम+पो0+थाना+अंचल–खुटौना, जिला–मधुबनी,"** होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **"श्री राधाकृष्ण मंदिर, खुटौना, ग्राम+पो0+थाना+अंचल–खुटौना, जिला–मधुबनी,"** होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर (यदि पूर्व से न्यास के नाम से खाता संचालित हो, तो उसमें) जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।न्यास के खाता का संचालन कोषाध्यक्ष तथा उनके साथ सचिव या अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
4. मठ/मंदिर परिसर में जगह–जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
5. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
6. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
7. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

8. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
9. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।
11. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
12. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
13. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
14. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
15. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा–11, एवं भारतीय दंड संहिता की धारा– 428 व 429 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः न्यास/मंदिर/मंठ आदि में रहने वाले गोवंश एवं अन्य पशुओं (गोवंश/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कार्य करना जिससे किसी पशु के प्रति क्रुरता एवं परिणाम वध/मृत्यु होता हो या ऐसे कार्यो को बढ़ावा मिलता हो ऐसा कोई कार्य कोई भी न्यासधारी/सेवायत/महंत या न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।
16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः–

1. हरेकृष्ण चौधरी, पिता– स्व0 रामानंद चौधरी, सा0– सुभाष चौक, खुटौना। – अध्यक्ष।
2. थानाध्यक्ष, खुटौना – उपाध्यक्ष।
3. श्री भागवत चौधरी, पिता– स्व0 हरिशचन्द्र चौधरी गाँधी चौक, खुटौना। – सचिव।
4. श्री विनोद कुमार साह, पिता– स्व0 जिवछ साह गाँधी चौक, खुटौना। – कोषाध्यक्ष।
5. श्री रामनाथ मंडल, पिता– चुलाही मंडल सुभाष चौक, खुटौना। – सदस्य।
6. श्री श्रवण मंडल, पिता– श्री बद्री मंडल सुभाष चौक, खुटौना। – सदस्य।

सभी का पता–ग्राम+पो0+थाना+अंचल–खुटौना, जिला–मधुबनी।

न्यास समिति को पूर्ण रूप से अधिकार होगा की नये सिरे से मंदिर की भूमि की बन्दोबस्ती करें तथा पुराना बकाया राशि की बसूली करें।

उपरोक्त वर्णित अस्थायी न्यास समिति का कार्य–काल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष का होगा। चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने तथा न्यास समिति का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आगे विचार किया जायेगा।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि "श्री राधाकृष्ण श्री राधाकृष्ण मंदिर, खुटौना, ग्राम+पो0+थाना+अंचल–खुटौना, जिला–मधुबनी," के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

———————

1 जुलाई 2022

सं0 1164––श्री ठाकुर राम जानकी ठाकुरवाड़ी, ग्राम–महमदी नगर, रूदौली टोला, करजान, पो0–मानोपुर, जिला–बेगूसराय, जो पर्षद में सार्वजनिक धार्मिक संस्था के रूप में निबंधित है, जिसकी निबंधन सं0–3751 हैं। उक्त मंदिर के रागभोग, नियमित पूजा–पाठ एवं भूमि की व्यवस्था हेतु पूर्व में एक न्यास समिति का गठन पर्षद के ज्ञापांक 1001, दिनांक–28.09.2007 द्वारा किया गया था, जिसमें कुल भूमि 05 बीघा 04 कट्टा 02 धूर है, जो राजस्व अभिलेखों में इस न्यास श्री राम जानकी महाराज के नाम से इन्द्राज है। उक्त न्यास समिति द्वारा वर्ष 2008 में सूचना दी गयी की मंदिर की भूमि को कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी को भी पत्र लिखा गया था और उक्त

न्यास समिति द्वारा वर्ष 2008–09 की आय–व्यय विवरणी भी दाखिल की गयी, परन्तु वर्ष 2009 के बाद से किसी प्रकार का कोई पत्राचार नहीं किया गया तथा तत्कालिन न्यास समिति को पत्र लिखकर अधिनियम की धारा 59, 60, एवं 70 के तहत प्रावधानों का पालन करने हेतु पत्र भेजा गया, परन्तु कोई भी प्रति–उत्तर नहीं पाया गया।

इसी बीच दिनांक 06.04.2022 को ग्रामीण मनोरंजन प्रसाद द्वारा एक प्रार्थना–पत्र दिया गया कि उक्त न्यास समिति के लगभग 06 सदस्यों का स्वर्गवास हो चुका है और ठाकुरवाड़ी पर भी मोख्तियारपुर ठाकुरवाड़ी के महंत युगल बिहारी दास द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके सभी जमीनों की बंदोबस्ती की जा रही है और एक साई बाबा की मुर्ति भी स्थापित करा दी है। इस संबंध में पुनः उनके द्वारा एक प्रर्थना–पत्र दिनांक–06.04.2022 को दाखिल किया गया तथा मंदिर का फोटोग्राफ भी दाखिल किया, जिससे स्पष्ट होता है कि पूरे मंदिर प्रागंण में ट्रैक्टर, चारा मशीन तथा अन्य सामान रखकर के अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। उक्त शिकायत–पत्र के आलोक में न्यास समिति के अध्यक्ष श्री रामदेव महतो एवं कोषाध्यक्ष, श्री पशुपति नाथ को वस्तुस्थिति स्पष्ट करने तथा अधिनियम का पालन नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गया, साथ ही उक्त विजय महाराज जिनके द्वारा अवैध रूप से मंदिर प्रागंण में सामान रखकर कब्जा किया जा रहा है तथा मोख्तियारपुर के महंत युगल बिहारी दास को भी तिथि निर्धारित करते हुए निबंधित डाक द्वारा पर्षद में उपस्थित होने हेतु सूचना दी गयी, परन्तु उपरोक्त चारों व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुये।

इस बीच ग्रामीणों द्वारा दिनांक 16.08.2021 को एक आम सभा कर मंदिर की व्यवस्था, सुरक्षा हेतु एक न्यास समिति बनाये जाने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव भी है। पूर्व समिति के कोषाध्यक्ष द्वारा अपने स्पष्टीकरण में बतलाया कि मंदिर की भूमि पर भू–माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है और इस संबंध में पर्षद द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया और वह स्वंय अपने प्रयास से मंदिर का रागभोग, पूजा–पाठ आदि की व्यवस्था करते है तथा उक्त मंदिर की देखभाल प्रशासनिक पदाधिकारियों को सौंपा जाए, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण वह चलने–फिरने में असमर्थ है, यद्यपि प्रस्तावित नामों का भी अभी चरित्र सत्यापन नहीं प्राप्त हुआ है, परन्तु चुंकि उपरोक्त परिस्थितिया यह स्पष्ट करती है कि यदि शीघ्र न्यास समिति का गठन नहीं किया गया तो मंदिर की पूरी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया जायेगा।

पर्षद के समक्ष मनोरंजन प्रसाद, धर्मदेव महतों उपस्थित होकर निवेदन किये कि शीघ्र न्यास समिति का गठन किया जाए, जिससे की मंदिर की भूमि को खाली करा कर मंदिर की स्थिति में सुधार किया जाए, चूंकि मंदिर में कई वर्षो से सफाई, रंगाई–पुताई आदि का भी कार्य नहीं हुआ है।

उपरोक्त परिस्थिति में मंदिर की व्यवस्था हेतु पर्षद के आदेश दिनांक 30.05.2022 के आलोक में बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा–32 में जो अधिकार पर्षद को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुऐ इस श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी, ग्राम–महमदी नगर, रूदौली टोला, करजान, जिला– बेगुसराय के सूचारू प्रबंधन सम्पतियों की सुरक्षा, तथा सम्यक विकाश हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है । इस योजना को मुर्तरूप से देने के लिए निम्नलिखित रूप से न्यास समिति का गठन **अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए** कार्यरत रहेगी।

अतः मैं,अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा– 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो **बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है**, का प्रयोग करते हुए **" श्री ठाकुर राम जानकी ठाकुरवाड़ी, ग्राम–महमदी नगर, रूदौली टोला, करजान, पो0–मानोपुर, जिला– बेगूसराय,"**के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **" श्री ठाकुर राम जानकी ठाकुरवाड़ी, ग्राम–महमदी नगर, रूदौली टोला, करजान, पो0–मानोपुर, जिला– बेगूसराय,"**होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **" श्री ठाकुर राम जानकी ठाकुरवाड़ी, ग्राम–महमदी नगर, रूदौली टोला, करजान, पो0–मानोपुर, जिला– बेगूसराय,"** होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर (यदि पूर्व से न्यास के नाम से खाता संचालित हो, तो उसमें) जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।न्यास के खाता का संचालन कोषाध्यक्ष तथा उनके साथ सचिव या अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
4. मठ/मंदिर परिसर में जगह–जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
5. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
6. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

7. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
8. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
9. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।
11. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
12. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
13. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
14. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
15. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः–

1. अनुमंडल पदाधिकारी, तेघरा – अध्यक्ष।
2. श्री ब्रह्मदेव महतो,पिता– स्व0 दीप नारायण महतों, ग्राम–टोला विशनपुर,वार्ड नं0–5 पो0–मानोपुर। – उपाध्यक्ष।
3. श्री मनोरंजन प्र0 महतो,पिता– स्व0 महेन्द्र प्रसाद, ग्राम– टोला करजान, पो0–मानोपुर। – सचिव।
4. श्री रामाज्ञा महतो, पिता– स्व0 शौखी महतों, ग्राम–टोला विशनपुर, वार्ड नं0– 5, पो0– मानोपुर। – कोषाध्यक्ष।
5. श्री कमलेश्वरी महतो, पिता– स्व0 रामजी महतों, ग्राम–टोला विशनपुर,वार्ड नं0–5 पो0–मानोपुर। – सदस्य।
6. श्री शंभू ठाकुर, पिता– बालेश्वर ठाकुर, ग्राम– टोला करजान, पो0–मानोपुर। – सदस्य।
7. श्री रामवली चौरसिया, पिता–रंजीत चौरसिया, ग्राम–टोला विशनपुर,वार्ड नं0–5 पो0–मानोपुर। – सदस्य।
8. श्री लक्ष्मी दास, पिता– स्व0 रामेश्वर दास, ग्राम–टोला विशनपुर,वार्ड नं0–5 पो0–मानोपुर। – सदस्य।
9. थानाध्यक्ष, भगवानपुर, जिला– बेगुसराय – सदस्य।

उपरोक्त वर्णित अस्थायी न्यास समिति का कार्य–काल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष का होगा। न्यास समिति का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आगे विस्तार किया जायेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि समिति के अध्यक्ष, अनुमण्डल पदाधिकारी प्रशासनिक पदाधिकारी है, यदि वह किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाते है तो बैठक आदि की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा संचालित इस शर्त के साथ कि कार्रवाई की लिखित सूचना शीघ्र समिति के अध्यक्ष को अवश्य दे कर कार्रवाई की जायेगी तथा मन्दिर की आय–व्यय आदि का संचालन राष्ट्रीयकृत बैंक में मन्दिर के नाम खाता खोलकर कोषाध्यक्ष तथा उनके साथ सचिव या अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि '' श्री ठाकुर राम जानकी ठाकुरवाड़ी, ग्राम–महमदी नगर, रूदौली टोला, करजान, पो0–मानोपुर, जिला– बेगूसराय''के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

28 जून 2022

सं0 1126––सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि **श्री राम जानकी (धनुषधारी जी भगवान) मंदिर, ग्राम–जोंकी,बासोपट्टी, जिला–मधुबनी** पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी नि0 सं0–3430 है।

इस न्यास में लगभग 31 एकड़ भूमि है। इस मठ की स्थापना दिनांक– 04.11.1992 में की गयी थी और सारी सम्पति देवोत्तर सम्पति है। पूर्व में इस मंदिर की देखभाल अस्थायी न्यासधारी देवेन्द्र प्रसाद आचार्य द्वारा की जाती थी और उन्होंने अपने पत्र दिनांक–30.08.2011 द्वारा पर्षद में सूचना दी कि मंदिर की देखभाल हेतु शिवदयाल दास को भेजा गया था, परन्तु वह विश्वासघाती निकलें और मंदिर की सम्पति को फर्जी कागजात के आधार पर बंधक कर रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा भी बार–बार मंदिर की सम्पति का दुरूपयोग किये जाने की सूचना पर्षद को दी जाती रही।

इस बीच ग्रामीण धनंजय मिश्र द्वारा दिनांक–08.01.2020 को एक प्रार्थना–पत्र दिया गया कि मठ की लगभग 20 बीघा जमीन अवैध रूप से लोगों से पैसा लेकर के कब्जा कर दिया गया है, मंदिर का आस्तित्व खतरे में है, और शिवदयाल दास से मुक्त कराया जाए। पुनः दिनांक 09.01.2020 को लगभग 100 ग्रामीणों के हस्ताक्षर से एक प्रार्थना–पत्र पर्षद में उपलब्ध कराया गया, जिस संबंध में पुनः शिवदयाल दास को नोटिस जारी किया गया, जिसका प्रति उत्तर दिनांक–16.09.2020 को दाखिल किया गया, जिसमें उल्लेख किया है कि मठ की कोई जमीन नहीं बेची गयी है और लगाये गये अरोप निराधार है। पुनः दिनांक–05.01.2021 को ग्रामीणों द्वारा मठ की सम्पति को बचाने के लिए आवेदन दिया गया, जिसमें शिवदयाल दास को पर्षद के पत्र दिनांक–25.01.2021 एवं दिनांक–13.08.2020 द्वारा उपस्थित होकर भूमि के बिक्रय किये जाने संबंधी पक्ष रखने का निर्देश दिया गया, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुए। उक्त मंदिर की सम्पति की सुरक्षा हेतु न्यास समिति बनाये जाने पर विचार करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी से 11 अच्छे धार्मिक चरित्र के व्यक्तियों के नामों की मांग पर्षद के आदेश दिनांक–13.10.2020, 02.01.2021, 12.03.2021, 07.07.2021 एवं 01.09.2021, को न्यास समिति हेतु नामों के प्रस्ताव की मांग की गयी। उपरोक्त पत्रों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–130, दिनांक–12.02.2022 द्वारा 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव पर्षद में उपलब्ध कराया गया है।

पर्षद की सुनवाई दिनांक–23.05.2022 को उपस्थित ग्रामीणों का कथन है, कि प्रस्तावित नामों में क्रम सं0– 09 और 10 पर जो प्रस्तावित नाम क्रमशः श्री योगेन्द्र पासवान और श्री हरी कामत का है मंदिर की जमीन पर शिवदयाल दास के साथ षड्यंत्र कर कब्जा कर लिया गया है, और उसके कुछ भाग को बिक्रय भी किया है। अतः ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त दोनों नामों को अस्वीकार करते हुए मंदिर की व्यवस्था हेतु 01 वर्ष के लिए एक न्यास समिति का गठन करने का निर्णय पर्षद की सुनवाई में दिनांक–23.05.2022 को लिया गया ।

उपरोक्त परिस्थिति में उक्त न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं इस न्यास का सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा–32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा–32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो **बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है**, का प्रयोग करते हुए **"श्री राम जानकी (धनुषधारी जी भगवान) मंदिर, ग्राम–जोंकी, बासोपट्टी, जिला–मधुबनी "**के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **"श्री राम जानकी (धनुषधारी जी भगवान) मंदिर, ग्राम–जोंकी, बासोपट्टी, जिला–मधुबनी"** होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **"श्री राम जानकी (धनुषधारी जी भगवान) मंदिर, ग्राम–जोंकी, बासोपट्टी, जिला–मधुबनी"** होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर (यदि पूर्व से न्यास के नाम से खाता संचालित हो, तो उसमें) जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।न्यास के खाता का संचालन कोषाध्यक्ष तथा उनके साथ सचिव या अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

4. मठ/मंदिर परिसर में जगह–जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
5. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
6. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
7. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
8. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
9. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।
11. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
12. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
13. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
14. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
15. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
16. न्यास समिति सर्वप्रथम मंदिर के प्रांगण में विभिन्न स्थानों पर दान–पात्र लगाने तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरें आदि लगवाकर उचित रख–रखाव करेगी।
17. न्यास समिति को निर्देश दिया जाता है कि शीघ्र मंदिर के नाम से एक खाता खोलें और मंदिर की जितनी भूमि है और उस पर जिन व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है उनकी सूची पर्षद में दे जिससे उनके विरूद्ध शख्त कार्रवाई की जा सके। न्यास समिति मंदिर से होने वाली आय का एक रजीस्टर संधारण कर उसमें उल्लेख करेगी। मंदिर की सभी भूमि, तालाब आदि की बंदोबस्ती करने का एकमात्र अधिकार न्यास समिति को होगा जो खुले डाक के माध्यम से 01 वर्ष के लिए की जायेगी।

उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः–

1. अनुमंडल पदाधिकारी– जयनगर – अध्यक्ष।
2. श्री आदित्यनाथ झा, पिता– धर्मदत्त झा, – उपाध्यक्ष।
3. श्री धनंजय मिश्र, पिता–वाल बोध मिश्र, – सचिव।
4. श्री युगल किशोर झा, पिता– मारकण्ड झा – कोषाध्यक्ष ।
5. श्री सूरज नायक, पिता– महेन्द्र नायक, – सह सचिव।
6. श्री शिवशंकर साफी, पिता– नारायण साफी, – सदस्य।
7. श्री रामकृपाल पासवान, पिता– ब्रम्हदेव पासवान, – सदस्य।
8. श्री बैधनाथ पंजियार, पिता– नथुनी पंजियार, – सदस्य।
9. श्री योगेन्द्र राम, पिता– नंद राम – सदस्य।
10. थानाध्यक्ष, बासोपट्टी, – सदस्य।

सभी ग्राम+पो0– जोकी, थाना– बासोपट्टी, जिला– मधुबनी ।

उक्त अस्थायी न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 1 वर्ष का होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि समिति के अध्यक्ष, अनुमण्डल पदाधिकारी प्रशासनिक पदाधिकारी है, यदि वह किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाते है तो बैठक आदि की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा संचालित कर कार्रवाई की जायेगी तथा

मन्दिर की आय–व्यय आदि का संचालन राष्ट्रीयकृत बैंक में मन्दिर के नाम खाता खोलकर कोषाध्यक्ष तथा उनके साथ सचिव या अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख से संबंधित भूमि ''श्री राम जानकी (धनुषधारी जी भगवान) मंदिर, ग्राम–जोंकी,बासोपट्टी, जिला–मधुबनी ''के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

5 जुलाई 2022

सं0 1195––श्री राधाकृष्ण मन्दिर, गंगापुर टोले भेलवा, जिला–मधुबनी पर्षद में निबंधित एक सार्वजनिक, धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–4378 है।

इस न्यास में लगभग 44 बी0 08 क0 02 धुर जमीन है, परन्तु दुरभाग्य की बात है कि पूर्व के महंतों द्वारा मन्दिर की बहुत सी सम्पत्ति को निजी लाभ के उद्देश्य से बिक्रय किया गया, जिसपर तत्कालीन महंत नंदकिशोर दास को विस्तारपूर्वक सुना गया और उन्होंने पर्षद के समक्ष यह आश्वासन दिया था कि वह मन्दिर की भूमि का बिक्रय नहीं करेंगे। पर्याप्त अवसर सुनवाई का देने के उपरानत और स्पष्टीकरण को प्रयाप्त न पाते हुए पर्षद के आदेश दिनांक–08.12.2016 द्वारा महंत नंद किशोर दास को महंत के पद से वीरमित किया गया, जिसके विरूद्ध महंत ने मा0 उच्च न्यायालय में याचिका सी0 डब्लु0 जे0 सी0 संख्या–1007/17 दायर किया जो दिनांक–01.03.2017 को निरस्त हो गया है। तदोपरान्त महंत द्वारा मिस केश 08/17 दाखिल किया गया, जिसमें न्यायालय ने मात्र 01 माह के लिए पर्षद के आदेश को स्थगित किया था और पर्षद के उक्त वाद में उपस्थित होने पर वह स्थगन आदेश कभी भी बढ़ायी नहीं गयी। इसी बीच विरमित महंत नंद किशोर दास का स्वर्गवास भी हो गया है। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा पर्षद को बहुत से बिक्रय–पत्र जो पूर्व महंत द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को मन्दिर की भूमि अवैध रूप से बिक्रय किया गया था के साथ दाखिल किया। अतः पर्षद द्वारा निर्णय लिया गया कि एक न्यास समिति का गठन किया जाना मन्दिर और मन्दिर की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु आवश्यक है। जिसके संबंध में अनुमण्डल पदाधिकारी को पर्षद का पत्र दिनांक–08.12.2021 एवं 05.03.2022 को भेजा गया, परन्तु कोई प्रस्ताव आजतक प्राप्त नहीं हुआ। इसी बीच ग्रामीणों की आम सभा दिनांक–15.03.2022 को की गयी जिसमें 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव पर्षद को उपलब्ध कराया गया है, जिसका चरित्र सत्यापन भी थाना के माध्यम से कराया गया, जो दिनांक–19.05.2022 को पर्षद को प्राप्त हुआ। पर्षद के आदेश दिनांक–24.01.2022 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी को अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत मन्दिर की देख–भाल तथा सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया था। दिनांक–24.05.2022 की सुनवाई में पर्षद के समक्ष परमानंद दास उर्फ रंधीर दास द्वारा प्रार्थना–पत्र दिया गया तथा निवेदन किया गया कि नंद किशोर दास के स्वर्गवास के पश्चात् प्रार्थी उस मन्दिर की देख–भाल कर रहे है। अपने प्रार्थना–पत्र के साथ वर्ष 2016 में लिखित वसीयतनामा तथा दिनांक–12.08.2018 को एक बैठक की फोटोप्रति दाखिल की गयी। इसके विपरीत उपस्थित ग्रामीणों का कथन है कि उक्त परमानंद दास स्वयं भी मन्दिर की भूमि को अवैध रूप से क्रय किये है ओर पूर्व विरमीत महंत नंद किशोर दास द्वारा बिना पर्षद की अनुमति के मन्दिर की भूमि का बिक्रय किया गया।

अतः मन्दिर की व्यवस्था, राग–भोग, तथा सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु प्रस्तावित नाम जिनका चरित्र सत्यापन प्राप्त हो गया है। मन्दिर की व्यवस्था हेतु एक योजना का निरूपण करते हुए। न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए करने का निर्णय पर्षद की सुनवाई दिनांक–24.05.2022 को लिया गया।

उपरोक्त परिस्थितियों में प्रस्तावित नामों पर विचारोपरान्त उक्त न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा– 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन हेतु एक अस्थायी न्यास समिति का गठन 01 वर्ष के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं,अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा– 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो **बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है**, का प्रयोग करते हुए **''श्री राधाकृष्ण मन्दिर, गंगापुर टोले भेलवा, जिला–मधुबनी''**के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **''श्री राधाकृष्ण मन्दिर, गंगापुर टोले भेलवा, जिला–मधुबनी''**होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **''श्री राधाकृष्ण मन्दिर, गंगापुर टोले भेलवा, जिला–मधुबनी''**होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर (यदि पूर्व से न्यास के नाम से खाता संचालित हो, तो उसमें) जमा किया जायेगा तथा

आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।न्यास के खाता का संचालन कोषाध्यक्ष तथा उनके साथ सचिव या अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

4. मठ/मंदिर परिसर में जगह–जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
5. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
6. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
7. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
8. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
9. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।
11. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
12. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
13. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
14. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
15. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
16. न्यास समिति द्वारा पर्षद से प्रमाण–पत्र प्राप्त कर शीघ्र मन्दिर के नाम बैंक खाता खोला जाए तथा मन्दिर की सभी भूमि की बन्दोबस्ती खुली डाक द्वारा प्रतिवर्ष की जाए। जिसकी सूचना पर्षद को भी दी जाए कि कितनी भूमि किस व्यक्ति को कितने में दी गयी है। तथा मन्दिर की भूमि पर व्यवसाय करने वाले सभी दुकानदारों को भी निर्देश दिया जाता है कि किराये का भुगतान न्यास समिति के सचिव या कोषाध्यक्ष को देकर रसिद प्राप्त करें और बैंक खाता खुलने के पश्चात् राशि बैंक में जमा करेंगे। किसी अन्य व्यक्ति को किराया भुगतान करने पर यह माना जायेगा कि उन्होंने किराया भुगतान नहीं किया है और उनको व्यवसाय करने पर रोका जा सकता है तथा दुकान भी खाली करायी जा सकती है। इस संबंध में निर्देश दिया जाता है, कि दुकानदारो को भी पर्षद के उक्त आदेश से अवगत कराया जाए।

उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः–

1. अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर	– अध्यक्ष
2. श्री अजब महतो	– उपाध्यक्ष
3. श्री चंदन कुमार	– सचिव
4. श्री सुभाष चौधरी, पुत्र– सुरज चौधरी	– कोषाध्यक्ष
5. श्री लक्ष्मीकान्त सिंह, पुत्र– काशी सिंह	– सदस्य
6. श्री जयनाथ यादव पुत्र–राम लोचन यादव	– सदस्य
7. प्रशान्त कुमार महतो, पुत्र– राजेन्द्र महतो	– सदस्य
8. श्रीमति रामदायी देवी, पति–श्री राज नारायण महतो	– सदस्य
9. थानाध्यक्ष, लखनौर	– सदस्य

सभी का पता–सा0–गंगापुर, पो0–दैयाखरवाड़, थाना–लखनौर जिला–मधुबनी।

उक्त न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 01 वर्षो का होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि समिति के अध्यक्ष, अनुमण्डल पदाधिकारी प्रशासनिक पदाधिकारी है, यदि वह किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाते है तो बैठक आदि की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा संचालित कर कार्रवाई की जायेगी तथा मन्दिर की आय–व्यय आदि का संचालन राष्ट्रीयकृत बैंक में मन्दिर के नाम खाता खोलकर कोषाध्यक्ष तथा उनके साथ सचिव या अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि "श्री राधाकृष्ण मन्दिर, गंगापुर टोले भेलवा, जिला–मधुबनी"के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

12 अक्तूबर 2022

सं0 2412––श्री शिव मंदिर, ग्राम–महमदा, पो0–बड़का बलुआ (पताही), थाना–पताही, जिला–पूर्वी चम्पारण पर्षद अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 4598 है।

उक्त मंदिर में सुचारू प्रबंधन एवं सुव्यवस्था हेतु न्यास समिति बनाये जाने के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी से नामों का प्रस्ताव की मांग की गयी थी। पर्षद के पत्र के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने पत्र पत्रांक 309 दिनांक 21.05.2022 को 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव पर्षद में उपलब्ध कराया। उपरोक्त प्रस्तावित नामों को चरित्र सत्यापन हेतु थाना भेजा गया, परन्तु थाना द्वारा अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

ग्रामीणों के द्वारा एक शिकायत भी की जा रही है कि मंदिर की बहुत सी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है और मकान बनाया जा रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त मंदिर के प्रबंधन एवं व्यवस्था हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है तथा निम्न न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए करने हेतु पर्षदीय पत्रांक आदेश दिनांक 16.06.2022 द्वारा लिया गया।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री शिव मंदिर, ग्राम–महमदा, पो0–बड़का बलुआ (पताही), थाना–पताही, जिला–पूर्वी चम्पारण** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है और इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए 11 सदस्यीय न्यास समिति का गठन आदेश दिनांक 16.06.2022 के आलोक में की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **''श्री शिव मंदिर, ग्राम–महमदा, पो0–बड़का बलुआ (पताही), थाना–पताही, जिला–पूर्वी चम्पारण न्यास योजना होगा''** तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **''श्री शिव मंदिर, ग्राम–महमदा, पो0–बड़का बलुआ (पताही), थाना–पताही, जिला–पूर्वी चम्पारण न्यास समिति होगी''** जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष या सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चत करेंगे तथा वार्षिक आय का विवरण बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।

6. **न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा।**

7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगें।

8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ–साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।

12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होगें तो उनकी अर्हता समाप्त की जा सकती है।

13. न्यास समिति द्वारा किसी प्रकार कोई आयोजन किया जाता है तो जिसमें 05 लाख से अधिक की राशि खर्च का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसी प्रकार यदि मंदिर के विकास या संरचना के मद में 10 लाख रूपये अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान हो तो उसका अनुमानित खर्च विवरणी प्रस्तुत कर पूर्व अनुमति पर्षद से लेना आवश्यक है और यदि उपरोक्त राशि निर्धारित सीमा के अन्दर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जाएगी।

14. पशुओं के होने वाले बध और उनके प्रति होने वाली क्रुरता पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 (पी0सी0ए0) की धारा–11 भारतीय दंड संहिता (आई0पी0सी0) की धारा–428, 428 के तहत् दंडनीय अपराध बनाया गया है।

अतः न्यास/मठ/मंदिर में रहने वाल पशुओं (गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कार्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षताः करना जिसका उद्देश्य ''पशु का बध) होता हों या उक्त कार्यो को बढ़ावा मिलता हों, ऐसा कोई कार्य न्यासधारी/सेवैत/महंत/न्यास समिति के सदस्य द्वारा नहीं किया जायेगा।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति एक वर्ष के लिए गठित की जाती है :–

1. श्री देवेन्द्र प्र0 सिंह, पिता–स्व0 रामजन्म साह	–	अध्यक्ष
2. श्री गोपालशरण सिंह, पिता–स्व0 तेपश्वर सिंह	–	उपाध्यक्ष
3. श्री विकास कुमार, पिता–श्री विपिन बिहारी कुमार	–	सचिव
4. श्री अवधेश प्रसाद, पिता–श्री अमीरी लाल साह	–	कोषाध्यक्ष
5. श्री राजन राम, पिता–श्री कैलाश राम	–	सदस्य
6. श्री जयशंकर कुमार, पिता–श्री रघुनाथ कुमार	–	सदस्य
7. श्री अरविन्द कुमार, पिता–श्री रघुनाथ कुमार	–	सदस्य
8. श्री वासुदेव दास, पिता–स्व0 सतुह दास	–	सदस्य
9. श्री जयकिशुन दास, पिता–स्व0 रामवचन साह	–	सदस्य
10. श्री मुरत साह, पिता–स्व0 खुबलाल साह	–	सदस्य
सभी का पता :–ग्राम–महमदा, थाना–पताही, जिला–पूर्वी चम्पारण।		
11. थानाध्यक्ष, पताही	–	पदेन सदस्य।

उपरोक्त व्यक्तियों के चरित्र सत्यापन प्राप्त हो जाने पर तथा 01 वर्ष का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर समिति को स्थायी किये जाने पर विचार किया जायेगा तथा समिति को निर्देश दिया जाता है कि उक्त मंदिर से संबंधित खतियान की प्रति राजस्व कार्यालय से प्राप्त कर संचिका पर उपलब्ध कराये तभी भूमि पर किये गये अतिक्रमण के विरूद्ध कोई कार्रवाई सम्भव हो सकेगी।

NOTE:- राजस्व अभिलेख में न्यास के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम (श्री शिव मंदिर, ग्राम–महमदा, पो0–बड़का बलुआ (पताही), थाना–पताही, जिला–पूर्वी चम्पारण) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

3 नवम्बर 2022

सं0 2593––श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम–अख्ता (बाजपेयी टोला) पो0–अख्ता, अंचल+थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–3971 है।

राघव वाजपेयी व 05 अन्य व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त मंदिर के सुचारू प्रबंधन एवं सुव्यवस्था हेतु पर्षद में दिनांक 30.10.2004 को एक आवेदन पत्र प्राप्त कराया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा 15 एकड़ जमीन मंदिर के नाम दान देकर एक मठ का निर्माण कराया गया था, जो सर्वे खतियान में भी राम जानकी मठ के नाम से है।

ग्रामीणों के उपरोक्त आवेदन पर पर्षद द्वारा न्यास समिति गठन किये जाने हेतु अंचल अधिकारी से नामों की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव अंचल अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 1331, दिनांक 29.08.2022 द्वारा दिया गया। उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी की अध्यक्षता में मुखिया के द्वारा ग्रामीणों की एक आमसभा का आयोजन दिनांक 27.08.2022 को किया गया था और उस बैठक में हीं प्रस्तावित नामों का चयन किया गया है। प्रस्तावित नामों को संबंधित थाना–बैरगनिया से चरित्र सत्यापन हेतु भेजा गया था, परन्तु उक्त थानो द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.05.2022 द्वारा सूची वापस कर दिया कि प्रस्तावित व्यक्तियों का निवास स्थान सभी सुप्पी थाना के अन्तर्गत पड़ता है और चूँकि वर्त्तमान संचिका पिछले लगभग 18 वर्षो से विचारधीन चली आ रही है। इसे लम्बित रखना उचित प्रतीत नहीं होता,

अतः उक्त मंदिर/न्यास के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपन एवं इसके कार्यान्वन हेतु एक न्यास समिति का गठन किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त परिस्थिति में मैं अखिलेश कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम–अख्ता (बाजपेयी टोला) पो0–अख्ता, अंचल+थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए आदेश दिनांक–02.09.2022 के आलोक में एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **''श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम–अख्ता (बाजपेयी टोला) पो0–अख्ता, अंचल+थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी न्यास योजना होगा''** तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **''श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम–अख्ता (बाजपेयी टोला) पो0–अख्ता, अंचल+थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी न्यास समिति''** होगा। जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष या सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चत करेंगे तथा वार्षिक आय का विवरण बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।
6. **न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा।**
7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगें।
8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ–साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।
12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होगें तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
13. न्यास समिति द्वारा किसी प्रकार कोई आयोजन किया जाता है तो जिसमें 05 लाख से अधिक की राशि खर्च का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसी प्रकार यदि मंदिर के विकास या संरचना के मद में 10 लाख रूपये अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान हो तो उसका अनुमानित खर्च विवरणी प्रस्तुत कर पूर्व अनुमति पर्षद से लेना आवश्यक है और यदि उपरोक्त राशि निर्धारित सीमा के अन्दर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जाएगी।
14. पशुओं के होने वाले बध और उनके प्रति होने वाली क्रुरता पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 (पी0सी0ए0) की धारा–11 भारतीय दंड संहिता (आई0पी0सी0) की धारा–428, 428 के तहत् दंडनीय अपराध बनाया गया है।

अतः न्यास/मठ/मंदिर में रहने वाल पशुओं (गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/ भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कार्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षताः करना जिसका उद्देश्य ''पशु का बध) होता हों या उक्त कार्यो को बढ़ावा मिलता हों, ऐसा कोई कार्य न्यासधारी/ सेवैत/महंत/न्यास समिति के सदस्य द्वारा नहीं किया जायेगा।

अतः पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नांकित न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए की जाती है :–

1. अंचल अधिकारी, बैंरगनिया – पदेन अध्यक्ष
2. श्री संतोष वाजपेयी पिता स्व0 राघव वाजपेयी – उपाध्यक्ष

3. श्री सुनील कुमार वाजपेयी पिता श्री शंकर वाजपेयी – सचिव
4. श्री विकास पासवान पिता श्री सिरचन्द्र पासवान – कोषाध्यक्ष
5. श्री जयमंगल प्रसाद पिता श्री दीनबंधु साह – सदस्य
6. श्री विकास कुमार पिता बलराम वाजपेयी – सदस्य
7. श्री गणेश पंडित पिता श्री रमशरण पंडित – सदस्य
8. श्री मिथलेश कुमार पिता श्री बालभद्र वाजपेयी – सदस्य
9. श्रीमती शोभा देवी पति श्री महंगू दास – सदस्य
10. श्री रामअशीष उपाध्याय पिता स्व0 तोखन उपाध्याय – सदस्य

पता : – ग्राम–अख्ता (बाजपेयी टोला) पो0–अख्ता, अंचल+थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी।

चरित्र सत्यापन के पश्चात समिति को स्थायी किये जाने पर विचार किया जायेगा। गठित न्यास समिति मंदिर बनाये जाने के संबंध में एक बैठक कर प्रस्ताव पास करें और पर्षद को सूचित करें तथा कितनी भूमि और कि खाते की भूमि पर निर्माण किया जायेगा और उसमें राशि कहां से प्राप्त होगी इसकी भी जानकारी पर्षद को दें तथा समिति एक खाता भी खोले और जो भी दान आदि की राशि प्राप्त होगी उसे सर्वप्रथम खाते में जमा किया जाए और वहां से निकालकर मंदिर निर्माण में खर्च किया जाए, जिससे कि राशि के प्राप्त होने और व्यय होने में पारदर्शिता बनी रहे।

NOTE:-राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम (श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम–अख्ता (बाजपेयी टोला) पो0–अख्ता, अंचल+थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

3 नवम्बर 2022

सं0 2591––बाबा मानेश्वर नाथ मंदिर, ग्राम–सिमियाही, पो0–यदुपट्टी, थाना–सुरसंड, जिला–सीतामढ़ी पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–4594 है। जो पूर्व में दमामी के अन्तर्गत आता था, परन्तु उसकी व्यवस्था अस्त व्यस्त होने के कारण पर्षदीय 1869, दिनांक 30.01.2022 का दमामी मठ से अलग करते हुए मानेश्वर नाथ मंदिर के लिए 11 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया और इसका अलग से निबंधन भी किया गया। न्यास समिति बनाये जाने के समय बाबा मानेश्वर नाथ मंदिर की अधिकांश भूमि पूर्व के महंतो द्वारा बटाई पर या भरना पर देकर के कुछ लोगों को अवध कब्जा करा दिया गया। न्यास समिति द्वारा अपने प्रयासों तथा समक्ष अधिकारियों के आदेश से उक्त मंदिर की मौजा–सिमियाही पर 14.77 एकड़ जिसका खाता सं0–360, 416, 885 तथा मैजा–यदुपट्टी में 5.74 एकड़ भूमि पर जिसके खाता सं0–35 पर मंदिर का अधिपत्य हो गया है।

न्यास समिति द्वारा पिछले वर्ष किये गये विकासात्मक कार्यो का उल्लेख करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.09. 2021 किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि मंदिर में बरामदा का निर्माण 24 पलरों के माध्यम से किया गया ह तथा उत्तर आर पूरब में गेट का निर्माण किया गया है, 04 जीर्णशीर्ण कोठरी का मरम्मत कराया गया है, मंदिर और मकान में बिजली की व्यवस्था तथा उत्तर दिशा में चदरा का शेड का विस्तारक यंत्र व कुछ अन्य कार्यो में लगभग 15 लाख रु0 खर्च किये गय है।

न्यास समिति के सदस्य क प्रयासों से मंदिर क उपरोक्त भूमि वर्ष 2018–19 में मंदिर के अधिपत्य में आयी है तथा विकासात्मक कार्यो के संबंध में कुछ फोटोग्राफ भी दाखिल किये गये हैं, एक अन्य फोटोग्राफ जो राम दरबार मंदिर से संबंधित है, जिसका निर्माण श्री बालेश्वर हाथी, ग्राम–यदुपट्टी निवासी के द्वारा पूरा निर्माण करा कर उसकी मुर्ति की स्थापना कर पूजा–पाठ कराया गया। साथ ही पूर्व न्यास समिति के सदस्य, श्री बेचन मांझी का स्वर्गवास हो गया है तथा एक अन्य सदस्य, श्री रामदिनेश मिश्र समिति के कार्यो में सहयोग नहीं करते है, परन्तु कुछ मामले में का विरोध करते हैं, जिहाजा समिति ने अपने बैठक दिनांक 03.07.2022 को उक्त दोनों स्थानों पर बहुमत से श्री सीताराम राय व श्री दिनेश राम को रखने का प्रस्ताव पारित किया, जिसी प्रति भी संलग्न की गयी है।

अतः न्यास समिति के पिछले 05 वर्षो के कार्यकाल में किये गये विकासात्मक कार्यो आदि पर विचार करते हुए तथा न्यास समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन दिनांक 03.07.2022 के आलोक में उक्त मंदिर/न्यास के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपन एवं इसके कार्यान्वन हेतु एक न्यास समिति का गठन किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त परिस्थिति में मैं अखिलेश कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **बाबा मानेश्वर नाथ मंदिर, ग्राम–सिमियाही, पो0–यदुपट्टी, थाना–सुरसंड, जिला–सीतामढ़ी** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए आदेश दिनांक–02.09.2022 के आलोक में एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **''बाबा मानेश्वर नाथ मंदिर, ग्राम–सिमियाही, पो0–यदुपट्टी, थाना–सुरसंड, जिला–सीतामढ़ी न्यास योजना होगा''** तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए

गठित न्यास समिति का नाम **''बाबा मानेश्वर नाथ मंदिर, ग्राम–सिमियाही, पो0–यदुपट्टी, थाना–सुरसंड, जिला–सीतामढ़ी न्यास समिति''** होगा। जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष या सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चत करेंगे तथा वार्षिक आय का विवरण बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।
6. **न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा।**
7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगें।
8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ–साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।
12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होगें तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
13. न्यास समिति द्वारा किसी प्रकार कोई आयोजन किया जाता है तो जिसमें 05 लाख से अधिक की राशि खर्च का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसी प्रकार यदि मंदिर के विकास या संरचना के मद में 10 लाख रूपये अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान हो तो उसका अनुमानित खर्च विवरणी प्रस्तुत कर पूर्व अनुमति पर्षद से लेना आवश्यक है और यदि उपरोक्त राशि निर्धारित सीमा के अन्दर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जाएगी।
14. पशुओं के होने वाले बध और उनके प्रति होने वाली क्रुरता पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 (पी0सी0ए0) की धारा–11 भारतीय दंड संहिता (आई0पी0सी0) की धारा–428, 428 के तहत् दंडनीय अपराध बनाया गया है।

अतः न्यास/मठ/मंदिर में रहने वाल पशुओं (गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/ भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कार्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षताः करना जिसका उद्देश्य ''पशु का बध) होता हों या उक्त कार्यो को बढ़ावा मिलता हों, ऐसा कोई कार्य न्यासधारी/सेवैत/महंत/न्यास समिति के सदस्य द्वारा नहीं किया जायेगा। अतः पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति का गठन पॉच वर्ष के लिए किया जाता है, जो अधिसूचना पर हस्ताक्षर की तिथि से मान्य होगी :–

1. श्री योगेन्द्र राय	–	अध्यक्ष
2. श्री नन्दलाल मिश्र	–	सचिव
3. श्री रामबहादुर हाथी	–	कोषाध्यक्ष
4. श्री रामकृष्ण राय	–	सदस्य
5. श्री विपिन कापर	–	सदस्य
6. श्री सीताराम राय	–	सदस्य
7. श्री साधुशरण राय	–	सदस्य
8. श्री उमेश झा	–	सदस्य
9. श्री वृजमोहन पाण्डेय	–	सदस्य
10.श्री दिनेश राम	–	सदस्य
11.श्री वशिष्ठ मिश्र	–	सदस्य

पताः–बाबा मानेश्वर नाथ मंदिर, ग्राम–सिमियाही, पो0–यदुपट्टी, थाना–सुरसंड, जिला–सीतामढ़ी

NOTE:- राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम (बाबा मानेश्वर नाथ मंदिर, ग्राम–सिमियाही, पो0–यदुपट्टी, थाना–सुरसंड, जिला–सीतामढ़ी) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

12 अक्तूबर 2022

सं0 2414—श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम+पो0+थाना–रीगा, जिला–सीतामढ़ी पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–2529 है।

उक्त मंदिर की व्यवस्था हेतु एवं न्यास समिति बनाये जाने के संबंध में पर्षद के पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–3331 दिनांक 24.12.2018 द्वारा 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव पर्षद को उपलब्ध कराया गया, जिसका चरित्र सत्यापन भी प्राप्त हुआ है। इसी बीच उक्त मंदिर के प्रबंधक व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहे बिन्देश्वरी प्रसाद द्वारा विभिन्न पदाधिकारी को पत्र लिखा गया तथा पर्षद को भी समय–समय पर स्थिति से अवगत कराया गया, जो आज उपस्थित है। यद्यपि समर्पणनामें में दानकर्त्ता परिवार के व्यक्तियों को हीं सेवायत बनाये जाने का प्रावधान है, परन्तु चुँकि दानकर्त्ता परिवार के व्यक्ति जो सेवायत थें उनके द्वारा मंदिर के विकास, प्रबंधन, राग–भोग, आदि के संबंध में कोई भी न तो प्रयास किया गया और न ही कार्यवाही की गयी और न ही पर्षद के समक्ष कभी उपस्थित हुए और पर्षद के पत्रों का भी कोई प्रति–उत्तर या स्पष्टीकरण नहीं दाखिल किया गया, जो स्पष्ट करता है कि दानकर्त्ता के परिवार के सेवायत द्वारा अधिनियम की धारा 59, 60, 70 का उल्लंघन किया गया और साथ हीं मंदिर की जो अवस्था है वह उनके कार्यो के परिणमस्वरूप हो रही है और वह सम्पत्ति को अपने निजी प्रयोग में निजी समझाकर कर रहे हैं।

अतः ऐसे परिस्थित में जिला पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त नामों की न्यास समिति बनाया जाता उचित प्रतीत होता है तथा इस संबंध में मंदिर के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 के अर्न्तगत एक योजना का निरूपन एवं इसके कार्यान्वन हेतु एक न्यास समिति का गठन किया जाता है साथ ही पूर्व मं प्राप्त नामों के क्रम सं.–3 पर श्रीमती सुनीता देवी पति विन्देश्वर पासवान के स्थान पर श्री बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह एवं क्रम सं0–9 रामवृक्ष मंडल पिता स्वरूप मंडल के स्थान पर रजनीश कुमार को रखे जाने का प्रस्ताव है चँकि पर्षद को सूचना प्राप्त हुई कि ये न्यास के हित में कार्य करने में इच्छुक नहीं हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं अतः इनक स्थान पर उपरोक्त संशोधित नामों का रखते हुए न्यास समिति का गठन किया जाता है।

उपरोक्त परिस्थति में मैं अखिलेश कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम+पो0+थाना–रीगा, जिला–सीतामढ़ी** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए आदेश दिनांक– 09.06.2022 के आलोक में एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **''श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम+पो0+थाना–रीगा, जिला–सीतामढ़ी न्यास योजना होगा''** तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **''श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम+पो0+थाना–रीगा, जिला–सीतामढ़ी न्यास समिति''** होगा। जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष या सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चत करेंगे तथा वार्षिक आय का विवरण बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।
6. **न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा।**
7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगें।
8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ–साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।

12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होगें तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

13. न्यास समिति द्वारा किसी प्रकार कोई आयोजन किया जाता है तो जिसमें 05 लाख से अधिक की राशि खर्च का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसी प्रकार यदि मंदिर के विकास या संरचना के मद में 10 लाख रूपये अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान हो तो उसका अनुमानित खर्च विवरणी प्रस्तुत कर पूर्व अनुमति पर्षद से लेना आवश्यक है और यदि उपरोक्त राशि निर्धारित सीमा के अन्दर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जाएगी।

14. पशुओं के होने वाले बध और उनके प्रति होने वाली क्रुरता पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 (पी0सी0ए0) की धारा–11 भारतीय दंड संहिता (आई0पी0सी0) की धारा–428, 428 के तहत् दंडनीय अपराध बनाया गया है।

अतः न्यास/मठ/मंदिर में रहने वाल पशुओं (गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कार्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षताः करना जिसका उद्देश्य ''पशु का बध) होता हों या उक्त कार्यो को बढ़ावा मिलता हों, ऐसा कोई कार्य न्यासधारी/सेवैत/महंत/न्यास समिति के सदस्य द्वारा नहीं किया जायेगा।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति का गठन पॉच वर्ष के लिए किया जाता है, जो अधिसूचना पर हस्ताक्षर की तिथि से मान्य होगी :–

1. अंचलाधिकारी, रीगा	–	पदेन अध्यक्ष
2. श्री त्रिपुरारी मोहन शर्मा पिता स्व0 गुरसेनी शर्मा	–	सचिव
3. श्री बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह	–	उप–सचिव
4. श्री रजनीश कुमार पिता विजय कुमार सिंह	–	कोषाध्यक्ष
5. श्री सुशील शर्मा पिता स्व0 राज पलटन शर्मा	–	सदस्य
6. श्री रामलगन सिंह पिता स्व0 रामरेखा सिंह	–	सदस्य
7. श्री अमरेश कुमार सिंह पिता केशव प्रसाद सिंह	–	सदस्य
8. श्री रामनरेन्द्र शर्मा पिता स्व0 किशुनलाल शर्मा	–	सदस्य
9. श्री भोगेन्द्र झा पिता स्व0 नारायण झा	–	सदस्य
10.श्री राघवेन्द्र प्रसाद सिंह पिता स्व0 मोहन प्रसाद सिंह	–	सदस्य
11.श्री पवन कुमार सिंह पिता टुन्ना सिंह	–	सदस्य

पता :–श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम+पो0+थाना–रीगा, जिला–सीतामढ़ी।

NOTE:-राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम (श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम+पो0+थाना–रीगा, जिला–सीतामढ़ी) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

भवदीय,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

12 अक्तूबर 2022

सं0 2408—ताजपुर (पोता) मठ (श्री राधा कृष्ण ठाकुरवाड़ी), ग्राम+पो0–पोता ताजपुर, थाना+अंचल–रून्नी सैदपुर, जिला–सीतामढ़ी पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–410 है, आय–व्यय विवरण के आधार पर उक्त मंदिर में 38 बी0 जमीन है, परन्तु मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होने के कारण मंदिर आज पूर्ण रूप से जीर्ण–शीर्ण हो चुका है और भगवान की मूर्ति एक झोपड़ी में स्थित है। मंदिर की जमीन को लोगों द्वारा बन्दोबस्ती कर ली गयी है, परन्तु किसी प्रकार की कोई राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। संचिका से स्पष्ट होता है कि हीरा दास उर्फ दीपा दास द्वारा दिनांक 19.04.1932 को अपनी निजी सम्पत्ति का समर्पणनामा कर राधाकृष्ण ठाकुरवाड़ी को समर्पित किया है और अपने शिष्य वासुदेव दास जो अविवाहित थे को मंदिर के प्रबंधन का दायित्व सौंपा लंकिन वह अवैध कार्य में लिप्त हो गया, जिस कारण उन्हें पर्षद द्वारा विरमित कर दिया गया, उसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका भी दखिल की गयी और वह भी उनके विरूद्ध निर्णित हुआ और इसी बीच मंदिर की पूजा–पाठ की जिम्मेदारी कृष्णदत्त के हाथों में आ गयी। उनके विरूद्ध भी मंदिर की भूमि को निजी प्रयोग करने, बिना पर्षद की अनुमति के बिक्रय करने के आरोप में वर्ष 2018 में अपसारित कर दिया गया।

उपस्थित ग्रामणों का कथन है कि कृष्णदत्त का भी स्वर्गवास हो गया है। ग्रामीणों को कथन है कि पिछले 03 वर्षो से मंदिर की देख–भाल कर रहे है, चूँकि मंदिर की भूमि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा में करके उससे होने वाली आय को अपने पास रख लिया जाता है, जो सदैव झगड़ा करने को उतारू हो जाती है। इसलिए ग्रामीणों ने एक आमसभा

कर 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव पर्षद को दिया और यह उल्लेख किया कि स्वयं–भू न्यास समिति के विरूद्ध कृष्णदत्त दास के पुत्र प्रेम दत्त दास द्वारा गलत सूचना देकर कुछ सदस्यों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। 72 हजार रूपये महंत जी तालाब की बन्दोबस्ती का दिया गया है, जिसके पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया कि मंदिर में एक पोखर 03 बी0 में है। ऐसी परिस्थिति में प्रस्तावित 11 नामों को अनुमंडल पदाधिकारी को भेजकर उनका मंतव्य कुछ नाम को जोड़ा या घटना चाहते हो तो भेजें, जिससे उक्त न्यास समिति का गठन किया जा सके और मंदिर का विकास हो सके, परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पर्षद के पत्र के आलोक में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट आजतक दाखिल नहीं की गयी। लगभग निबंधित पत्र अनुमंडल पदाधिकारी को इस संबंध में भेजा जा चुका है, लेकिन किसी भी पत्र का प्रत्योत्तर नहीं भेजा है। अब इस न्यास समिति का गठन किया जाने के संबंध में बिलम्ब किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। चूँकि जिस मंदिर में लगभग 35 बी0 जमीन है और आज पूजा–पाठ, राग–भोग की बात तो दुर मंदिर की मूर्ति झोपड़े में स्थित हो गया है।

उपरोक्त परिस्थति में मंदिर के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 के अर्न्तगत एक योजना का निरूपन एवं इसके कार्यान्वन हेतु एक न्यास समिति का गठन आवश्यक है।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **ताजपुर (पोता) मठ (श्री राधा कृष्ण ठाकुरवाड़ी), ग्राम+पो0–पोता ताजपुर, थाना+अंचल–रून्नी सैदपुर, जिला–सीतामढ़ी** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए आदेश दिनांक–09.06.2022 के आलोक में निम्नांकित न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **''ताजपुर (पोता) मठ (श्री राधा कृष्ण ठाकुरवाड़ी), ग्राम+पो0–पोता ताजपुर, थाना+अंचल–रून्नी सैदपुर, जिला–सीतामढ़ी न्यास योजना होगा''** तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **''ताजपुर (पोता) मठ (श्री राधा कृष्ण ठाकुरवाड़ी), ग्राम+पो0–पोता ताजपुर, थाना+अंचल–रून्नी सैदपुर, जिला–सीतामढ़ी न्यास समिति''** होगा। जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष या सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चत करेंगे तथा वार्षिक आय का विवरण बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।

6. **न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा।**

7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगें।

8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ–साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।

12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होगें तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

13. न्यास समिति द्वारा किसी प्रकार कोई आयोजन किया जाता है तो जिसमें 05 लाख से अधिक की राशि खर्च का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसी प्रकार यदि मंदिर के विकास या संरचना के मद में 10 लाख रूपये अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान हो तो उसका अनुमानित खर्च विवरणी प्रस्तुत कर पूर्व अनुमति पर्षद से लेना आवश्यक है और यदि उपरोक्त राशि निर्धारित सीमा के अन्दर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जाएगी।

14. पशुओं के होने वाले बध और उनके प्रति होने वाली क्रुरता पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 (पी0सी0ए0) की धारा–11 भारतीय दंड संहिता (आई0पी0सी0) की धारा–428, 428 के तहत् दंडनीय अपराध बनाया गया है।

अतः न्यास/मठ/मंदिर में रहने वाल पशुओं (गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कार्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षताः करना जिसका उद्देश्य ''पशु का बध) होता हों या उक्त कार्यो को बढ़ावा मिलता हों, ऐसा कोई कार्य न्यासधारी/सेवैत/महंत/न्यास समिति के सदस्य द्वारा नहीं किया जायेगा।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए गठित की जाती है, जो अधिसूचना पर हस्ताक्षर की तिथि से मान्य होगी :–

1. अंचलाधिकारी	–	पदेन अध्यक्ष
2. श्री संजय झा	–	उपाध्यक्ष
3. श्री संतोष साह	–	उपाध्यक्ष
4. श्री रविन्द्र साह	–	सचिव
5. श्री लालबाबू बैठा	–	कोषाध्यक्ष
6. श्री लालबाबू सिंह	–	सह–सचिव
7. श्री दिलिप कुमार सिंह	–	सदस्य
8. श्री गणेश पाण्डे	–	सदस्य

पताः–ताजपुर (पोता) मठ (श्री राधा कृष्ण ठाकुरवाड़ी), ग्राम+पो0–पोता ताजपुर, थाना+अंचल–रून्नी सैदपुर, जिला–सीतामढ़ी

NOTE:- राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम ताजपुर (पोता) मठ (श्री राधा कृष्ण ठाकुरवाड़ी), ग्राम+पो0–पोता ताजपुर, थाना+अंचल–रून्नी सैदपुर, जिला–सीतामढ़ी पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

उपरोक्त न्यास समिति को मंदिर की सभी प्रकार की भूमि बन्दोबस्ती करने का पूर्ण अधिकार होगा और बन्दोबस्ती खुले डाक द्वारा निर्धारित नगद राशि के रूप में किया जायेगा और उसका रजिस्टर संधारण किया जायेगा। किसी व्यक्ति को उक्त मंदिर की भूमि का बिक्रय, बंधक रेहन करने का अधिकार नहीं रहेगा तथा न्यास समिति बैंक में एक खाता खोलेगी और तालाब और जमीन की बन्दोबस्ती के संबंध में अंचलाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त बन्दोबस्ती के संबंध में वह स्वयं उपस्थित होकर कराये और मंदिर के विकास में भी सभी प्रकार का सहयोग समिति को दे, जिससे सर्वप्रथम मंदिर को एक विशाल रूप दिया जा सके।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

12 अक्तूबर 2022

सं0 2410––श्री रामजानकी महाराज विराजमान मंदिर, ग्राम–विश्वम्भरपुर, पो0–सुतीहार, थाना–डेरनी, जिला–सारण (छपरा) पर्षद अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 3697 है।

उक्त मंदिर के संबंध में अक्टुबर, 2020 में ग्रामीणों द्वारा पुनः एक प्रार्थना–पत्र दिया गया, उसके साथ अंचलाधिकारी की रिपोर्ट की फोटोप्रति संलग्न की गयी, जिसमें उल्लेख किया कि मौजा डेरनी की खाता संख्या–33, 03, 79 की भूमि राम जानकी के नाम इन्द्राज है तथा थान नं0–309 हैं, जिसमें उल्लेख किया कि मंदिर के महंत द्वारा कुछ भूमि का बिक्रय कर दिया गया है। भोला दिक्षित को पुनः पत्रांक–2254, दिनांक 16.12.2020 द्वारा मंदिर की भूमि पर कब्जा करने तथा अपने अधिकार के संबंध में सूचना प्राप्त हुई कि उक्त भोला दिक्षित द्वारा मंदिर की भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस संबंध में ग्रामीणों द्वारा कुछ फोटोग्राफ दाखिल किया तथा कथन किया कि उपरोक्त मंदिर की भूमि पर किये जा रहे निर्माण पर रोक लगाये। इस संबंध में सूचना अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को भी दिनांक 01.03.2021 को भेजा गया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा न्यास समिति गठन किये जाने हेतु 11 सदस्यों की मांग की जाती रही है, परन्तु कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ। इसी बीच ग्रामीणों द्वारा आमसभा कर 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव दिया गया और पुलिस अधीक्षक को पर्षद के पत्र के आलोक में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से दिनांक 13.07.2021 को अनुमंडल पदाधिकारी को पर्षद के पत्र के आलोक में शीघ्र कार्रवाई करने हेतु तथा वांछित सूचना भेजने के लिए निर्देश दिया गया है। जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 755 दिनांक 0602.2021 द्वारा अंचलाधिकारी को पर्षद के पत्र के आलोक में कार्य करने तथा निर्माण कार्य पर रोक लगाने का पत्र भेजा परन्तु पर्षद के पास किसी भी प्रकार की कोई सूचना किसी भी पदाधिकारी द्वारा नहीं दी गयी। अतः पर्षद द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण को पर्षद के पत्रांक 2774 दिनांक 27.08.2021 द्वारा निर्माण कार्य पर शीघ्र रोक लगाने तथा उपरोक्त भोला दिक्षित के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए पूर्व के पत्रों को संलग्न करते हुए भेजा गया तथा भोला दिक्षित को भी दिनांक 24.08.2021 को स्पष्टीकरण की मांग करते हेए पर्षद में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। ग्रामीणों द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित नामों को थाना से सत्यापन हेतु दिनांक 19.01.2022 को भेजा गया। इसका सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 11.04.2022 डाक के माध्यम से भेजा जो पर्षद में दिनांक 16.04.2022 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त लगभग 07 पत्र भेजने के बावजुद भी भोला दिक्षित पर्षद के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और आज उपस्थित ग्रामीणों द्वारा शिकायत की जा रही है कि भोला दिक्षित द्वारा निर्माण कार्य करके उसमें अपना निवास प्रारम्भ कर दिया है।

उपरोक्त परिस्थितियाँ यह स्पष्ट करती है कि प्रशासन द्वारा भी उक्त भूमि और मंदिर की सुरक्षा हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री रामजानकी महाराज विराजमान मंदिर, ग्राम–विश्वम्भरपुर, पो0–सुतीहार, थाना–डेरनी, जिला–सारण (छपरा)** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है और इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए 11 सदस्यीय न्यास समिति का गठन आदेश दिनांक 23.06.2022 के आलोक में की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **''श्री रामजानकी महाराज विराजमान मंदिर, ग्राम–विश्वम्भरपुर, पो0–सुतीहार, थाना–डेरनी, जिला–सारण (छपरा) न्यास योजना होगा''** तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **''श्री रामजानकी महाराज विराजमान मंदिर, ग्राम–विश्वम्भरपुर, पो0–सुतीहार, थाना–डेरनी, जिला–सारण (छपरा) न्यास समिति होगी''** जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष या सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चत करेंगे तथा वार्षिक आय का विवरण बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।
6. **न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा।**
7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगें।
8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ–साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।
12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होगें तो उनकी अर्हता समाप्त की जा सकती है।
13. न्यास समिति द्वारा किसी प्रकार कोई आयोजन किया जाता है तो जिसमें 05 लाख से अधिक की राशि खर्च का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसी प्रकार यदि मंदिर के विकास या संरचना के मद में 10 लाख रूपये अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान हो तो उसका अनुमानित खर्च विवरणी प्रस्तुत कर पूर्व अनुमति पर्षद से लेना आवश्यक है और यदि उपरोक्त राशि निर्धारित सीमा के अन्दर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जाएगी।
14. पशुओं के होने वाले बध और उनके प्रति होने वाली क्रुरता पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 (पी0सी0ए0) की धारा–11 भारतीय दंड संहिता (आई0पी0सी0) की धारा–428, 428 के तहत् दंडनीय अपराध बनाया गया है।

अतः न्यास/मठ/मंदिर में रहने वाल पशुओं (गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कार्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षताः करना जिसका उद्देश्य ''पशु का बध) होता हों या उक्त कार्यो को बढ़ावा मिलता हों, ऐसा कोई कार्य न्यासधारी/सेवैत/महंत/न्यास समिति के सदस्य द्वारा नहीं किया जायेगा।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति का गठन पॉच वर्ष के लिए किया जाता है, जो अधिसूचना पर हस्ताक्षर की तिथि से मान्य होगी :–

1. श्री नन्द किशोर शर्मा – अध्यक्ष
2. श्री चन्द्रशेखर शर्मा – उपाध्यक्ष
3. श्री लक्ष्मण सिंह – सचिव
4. श्री अनिल कुमार सिंह – कोषाध्यक्ष
5. श्री कामेश्वर सिंह – सदस्य

6. श्री रामनन्दन सिंह – सदस्य
7. श्री विश्वनाथ राम – सदस्य
8. श्री अवधेश कुमार – सदस्य
9. श्री दिनानाथ – सदस्य
10. श्री त्रिलोकी साह – सदस्य
11. थानाध्यक्ष, डेरनी – सदस्य।

पताः–श्री रामजानकी महाराज विराजमान मंदिर, ग्राम–विश्वम्भरपुर, पो0–सुतीहार, थाना–डेरनी, जिला–सारण (छपरा)

NOTE:- राजस्व अभिलेख में न्यास के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम (श्री रामजानकी महाराज विराजमान मंदिर, ग्राम–विश्वम्भरपुर, पो0–सुतीहार, थाना–डेरनी, जिला–सारण (छपरा) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

न्यास समिति को निर्देश दिया जाता है कि शीघ्र अध्यक्ष/सचिव में से किसी एक तथा दुसरे सदस्य के रूप में कोषाध्यक्ष के नाम से बैंक खाता खोले और मंदिर मे सभी को बन्दोबस्ती खुले डाक के माध्यम से यह भूमि की बन्दोबस्ती करें जिसकी अधिकतम सीमा 03 वर्ष की होगी और उसका नियमित रूप से रजिस्ट का संधारण किया जायेगा। बन्दोबस्ती किन–किन व्यक्तियों को और किस दर पर दी गयी है, उसका भी रजिस्टर में अंकित करें और बन्दोबस्ती पाने वाले का हस्ताक्षर भी कराये तथा समिति को निर्देश दिया जाता है कि उक्त भोला दिक्षित के विरूद्ध मंदिर के प्रांगण से हटाने के लिए कार्रवाई करें।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

---

13 अक्तूबर 2022

सं0 2416––श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम–रूपौलिया गोपी, अंचल–ढाका, पंचायत–पचपकड़ी, जिला–पूर्वी चम्पारण पर्षद अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 4625 है।

उक्त मंदिर में सुचारू प्रबंधन एवं सुव्यवस्था हेतु न्यास समिति बनाये जाने के संबंध में पक्षों द्वारा दाखिल दस्तावेज समर्पणनामा दिनांक–14.05.1971 एवं दिनांक–22.09.1981 से स्पष्ट होता है कि पंडीत दहाउर ठाकुर ने राम जानकी मठ की स्थापना कर मंदिर में मूर्ति स्थापित की थी तथा 01 बी0 12 क0 08 धुर जमीन खाता संख्या–26 थाना संख्या–78d0 समर्पित की तथा एक अन्य दस्तावेज दिनांक–22.09.1981 से स्पष्ट होता है कि उक्त दहाउर ठाकुर की पत्नी द्वारा मंदिर की पूजा–पाठ देख–भाल के लिए शिवजी ठाकुर को पुजारी के रूप में नियुक्त किया था और उपरोक्त दस्तावेज में स्पष्ट उल्लेख है कि मंदिर के किसी भी सम्पत्ति के क्रय–बिक्रय, स्थानान्तरण करने का अधिकार नहीं रहेगा, परन्तु विजय ठाकुर व अन्य द्वारा मंदिर की भूमि पर बार–बार निर्माण का प्रयास स्पष्ट करता है कि इनकी मंशा कुछ अलग है, क्योंकि जो भूमि मंदिर की है, वह मंदिर की ही रहेगी। पुजारी को केवल पूजा–पाठ करने का अधिकार रहता है न कि मंदिर की भूमि पर कब्जा करने का। जो पूर्ण रूप से अवैध कार्य है। किसी प्रकार निर्माण करते है तो उन्हें पुजारी के पद से भी हटा दिया जायेगा।

संचिका पर बैठक दिनांक–18.08.2020 की प्रति उपलब्ध है, जिसपर पुनः दिनांक–23.08.2020 को एक बैठक कर 13 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव न्यास समिति बनाये जाने हेतु दिया गया है, जिसमें 07 व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर रखे जाने का प्रस्ताव दिया गया है।

उपरोक्त नामों पर मंतव्य प्राप्त करने हेतु अंचलाधिकारी को पत्र दिनांक–11.05.2022 द्वारा भेजा गया था। अंचलाधिकारी ने पत्रांक–409 दिनांक–09.06.2022 द्वारा पत्र पर्षद को भेजा है, जिसकी फोटोप्रति ग्रामीणों द्वारा पर्षद को उपलब्ध करायी, जिसमें दिनांक–16.08.2020 को न्यास समिति का गठन किया गया, इसमें कोई संशोधन नहीं किया है। उसकी समिति बनायी जा सकती है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम–रूपौलिया गोपी, अंचल–ढाका, पंचायत–पचपकड़ी, जिला–पूर्वी चम्पारण** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है और इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए 11 सदस्यीय न्यास समिति का गठन आदेश दिनांक–15.06.2022 के आलोक में की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम–रूपौलिया गोपी, अंचल–ढाका, पंचायत–पचपकड़ी, जिला–पूर्वी चम्पारण न्यास योजना होगा**'' तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम–रूपौलिया गोपी, अंचल–ढाका, पंचायत–पचपकड़ी, जिला–पूर्वी चम्पारण न्यास समिति होगी**'' जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष या सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चत करेंगे तथा वार्षिक आय का विवरण बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।

6. **न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा।**

7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगें।

8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ–साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।

12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होगें तो उनकी अर्हता समाप्त की जा सकती है।

13. न्यास समिति द्वारा किसी प्रकार कोई आयोजन किया जाता है तो जिसमें 05 लाख से अधिक की राशि खर्च का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसी प्रकार यदि मंदिर के विकास या संरचना के मद में 10 लाख रूपये अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान हो तो उसका अनुमानित खर्च विवरणी प्रस्तुत कर पूर्व अनुमति पर्षद से लेना आवश्यक है और यदि उपरोक्त राशि निर्धारित सीमा के अन्दर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जाएगी।

14. पशुओं के होने वाले बध और उनके प्रति होने वाली क्रुरता पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 (पी0सी0ए0) की धारा–11 भारतीय दंड संहिता (आई0पी0सी0) की धारा–428, 428 के तहत् दंडनीय अपराध बनाया गया है।

अतः न्यास/मठ/मंदिर में रहने वाल पशुओं (गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कार्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षताः करना जिसका उद्देश्य ''पशु का बध) होता हों या उक्त कार्यो को बढ़ावा मिलता हों, ऐसा कोई कार्य न्यासधारी/सेवैत/महंत/न्यास समिति के सदस्य द्वारा नहीं किया जायेगा।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए किया जाता है, संबंधित थाना से चरित्र सत्यापन प्राप्त होने पर स्थायी किये जाने पर विचार किया जायेगा अधिसूचना हस्ताक्षर की तिथि से मान्य होगी :–

1. श्री जितेन्द्र कुमार झा – अध्यक्ष
2. श्री श्यामदेव पासवान – उपाध्यक्ष
3. श्री संजय साह – सचिव
4. श्री दिगम्बर ठाकुर – कोषाध्यक्ष
5. श्री अरविन्द प्रसाद – सदस्य
6. श्री सचिन्द्र ठाकुर – सदस्य
7. श्री राधामोहन साह – सदस्य
8. श्री प्रेमचन्द्र ठाकुर – सदस्य
9. श्री जिमदार पासवान – सदस्य
10. श्री देवेन्द्र ठाकुर – सदस्य
11. श्री मुकुल झा – सदस्य।

पता :–श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम–रूपौलिया गोपी, अंचल–ढाका, पंचायत–पचपकड़ी, जिला–पूर्वी चम्पारण

उपरोक्त के अतिरिक्त समर्पणनामा दिनांक–22.09.1981 के आलोक में नामित पुजारी शिवजी ठाकुर के बड़े पुत्र चुँकि बाहर रहते है, लिहाजा दुसरे पुत्र मनोज ठाकुर को मंदिर में पूजा–पाठ, राग–भोग आदि के लिए पुजारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं करेंगे तथा उक्त कार्य के लिए न्यास समिति एक बैठक कर पुजारी को कम से कम 4000/–रुपये प्रतिमाह की दर पर भुगतान करेंगी। मंदिर और मंदिर की सारी भूमि की व्यवस्था का अधिकार समिति को होगा।

NOTE:- राजस्व अभिलेख में न्यास के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम (श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम–रूपौलिया गोपी, अंचल–ढाका, पंचायत–पचपकड़ी, जिला–पूर्वी चम्पारण) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

29 नवम्बर 2022

सं0 2957–– श्री राम जानकी स्थान, ग्राम–रसलपुर अधार, पोस्ट–विशुन्दत्तपुर पताही, अंचल–मड़वन, थाना–करजा, जिला–मुजफ्फरपुर पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–2536 है।

पूर्व में इस मठ की देख–भाल महंत गंगा दास द्वारा की जाती थी, उनके स्वर्गवास के पश्चात् राम भजन दास, तदोपरान्त राममोति दास द्वारा की जाती थी, जिन्हे पर्षद द्वारा न्यासधारी की मान्यता दी गयी थी। परन्तु उक्त महंतों द्वारा समय–समय पर किसी दबाब, भय या आर्थिक लाभ के उद्देष्य से मंदिर की सम्पत्ति को बिना किसी अधिकार के बिक्रय किया जाता रहा। फलस्वरूप ग्रामीणों द्वारा स्वयं–भू समिति बनाकर उक्त मंदिर और उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया।

पर्षदीय पत्रांक 374, दिनांक 01.06.2021 एवं ज्ञापांक 4879, दिनांक 31.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, मड़वन से इस न्यास की वर्तमान व्यवस्था, स्थिति, वर्तमान प्रबंधन, चल–अचल सम्पत्ति आदि के संबंध में जाँच कर एक प्रतिवेदन मंतव्य के साथ मांग की गयी। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, मड़वन द्वारा अपने ज्ञापांक 976, दिनांक 20.04.2022 द्वारा पर्षद को सूचित किया कि उक्त मंदिर के नाम से ग्राम–रसलपुर आधार, थाना नं0 363, के खाता संख्या 70 एवं 71 में 16.99 एकड़ भूमि श्री राम जानकी जी के नाम से इन्द्राज है। मौजा शुभंकरपुर के थाना संख्या 362, खाता संख्या 258 एवं 257 कुल एरिया 03 एकड़ 26 डी0 जमीन तथा मौजा पकड़ी पकोही में थाना नं0 325, खाता नं0 810 एरिया 04 एकड़ 17 डी0 जमीन उक्त मठ की है तथा अपनी रिपोर्ट में भी स्थानीय लोगों की कमिटी का जिक्र किया है जिसमें 27 सदस्य हैं, किन्तु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत न्यास समिति में अधिकतम 11 सदस्य हीं हो सकते हैं।

अतः उक्त मंदिर/न्यास के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपन एवं इसके कार्यान्वन हेतु एक न्यास समिति का गठन किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त परिस्थति में मैं अखिलेश कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री राम जानकी स्थान, ग्राम–रसलपुर अधार, पोस्ट–विशुन्दत्तपुर पताही, अंचल–मड़वन, थाना–करजा, जिला–मुजफ्फरपुर** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए विस्तृत आदेश दिनांक–24.09.2022 के आलोक में एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **''श्री राम जानकी स्थान, ग्राम–रसलपुर अधार, पोस्ट–विशुन्दत्तपुर पताही, अंचल–मड़वन, थाना–करजा, जिला–मुजफ्फरपुर न्यास योजना होगा''** तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **''श्री राम जानकी स्थान, ग्राम–रसलपुर अधार, पोस्ट–विशुन्दत्तपुर पताही, अंचल–मड़वन, थाना–करजा, जिला–मुजफ्फरपुर न्यास समिति''** होगा। जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष या सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चत करेंगे तथा वार्षिक आय का विवरण बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।
6. **न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा।**
7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष/उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगें।
8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ–साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।
12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होगें तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
13. न्यास समिति द्वारा किसी प्रकार कोई आयोजन किया जाता है तो जिसमें 05 लाख से अधिक की राशि खर्च का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसी प्रकार यदि मंदिर के विकास या संरचना के मद में 10 लाख रूपये अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान हो तो उसका अनुमानित खर्च विवरणी प्रस्तुत कर पूर्व अनुमति पर्षद से लेना आवश्यक है और यदि उपरोक्त राशि निर्धारित सीमा के अन्दर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जाएगी।
14. न्यास समिति द्वारा किसी भी प्रकार का किराया/बन्दोबस्ती आदि तीन वर्ष से अधिक नहीं दिया जाएगा।
15. पशुओं के होने वाले बध और उनके प्रति होने वाली क्रुरता पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 (पी0सी0ए0) की धारा–11 भारतीय दंड संहिता (आई0पी0सी0) की धारा–428, 428 के तहत् दंडनीय अपराध बनाया गया है।

अतः न्यास/मठ/मंदिर में रहने वाल पशुओं (गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/ भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कार्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षताः करना जिसका उद्देश्य ''पशु का बध) होता हों या उक्त कार्यो को बढ़ावा मिलता हों, ऐसा कोई कार्य न्यासधारी/ सेवैत/महंत/न्यास समिति के सदस्य द्वारा नहीं किया जायेगा।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नांकित न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए की जाती है, जो अधिसूचना पर हस्ताक्षर की तिथि से मान्य होगी :–

1. अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर	–	पदेन अध्यक्ष
2. श्री नर्मदा शंकर पुत्र स्व0 श्यामदेव प्रसाद	–	कार्यवाहक अध्यक्ष
3. श्री मदन मोहन दूबे पुत्र स्व0 राधेश्याम दुबे	–	उपाध्यक्ष
4. श्री अजय कुमार ठाकुर पुत्र स्व0 चन्देश्वर ठाकुर	–	सचिव
5. श्री दिनेश कुमार ठाकुर पुत्र स्व0 रामलखन ठाकुर	–	कोषाध्यक्ष
6. श्री राजु पासवान पुत्र स्व0 हरिहर पासवान	–	सदस्य
7. श्री मुकुन्द कुमार पुत्र बद्री नारायण ठाकुर	–	सदस्य
8. श्री हरिओम प्रसाद ठाकुर पुत्र श्री नारायण ठाकुर	–	सदस्य
9. श्री महेश कुमार ठाकुर पुत्र स्व0 राम भजन ठाकुर	–	सदस्य
10.श्री द्वारिका साह पुत्र स्व0 फकीरा साह	–	सदस्य
11.श्री राधेश्याम पटेल पुत्र स्व0 राम जीवन पटेल	–	सदस्य

पता : – ग्राम–रसलपुर अधार, पोस्ट–विशुन्दत्तपुर पताही, अंचल–मड़वन, थाना–करजा, जिला–मुजफ्फरपुर ।

NOTE:-राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम (श्री राम जानकी स्थान, ग्राम–रसलपुर अधार, पोस्ट–विशुन्दत्तपुर पताही, अंचल–मड़वन, थाना–करजा, जिला–मुजफ्फरपुर) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

भवदीय,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

14 अक्तूबर 2022

सं0 2440––दिपऊ ठाकुरवाड़ी, ग्राम–दिपऊ, पो0–टलवा पोखर (कोटवा बाजार) थाना–कोटवा, जिला–पूर्वी चम्पारण पर्षद अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 4625 है।

इस न्यास की सूचारू प्रबंधन, उन्नयन तथा सम्यक विकास हेतु न्यास समिति का गठन अधिसूचना ज्ञापांक–935, दिनांक 24.08.2020 को अधिसूचित किया गया। न्यास समिति का गठन 01 वर्ष के लिए किया गया था, इस शर्त पर कि चरित्र सत्यापन प्राप्त होने पर तथा समिति का कार्य–कलाप संतोषजनक होने पर अवधि विस्तार किया जायेगा।

उपरोक्त के आलोक में संबंधित थाने से रिपोर्ट दिनांक 07.02.2022 को प्राप्त हुई जिसमें उल्लेख किया गया है कि समिति के सदस्य श्री राजेश धागंड़ के विरूद्ध कोटवा थाना कांड सं0–365/20 तथा कांड सं0–324/21 मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन है। ऐसी परिस्थिति में उक्त राजेश धागंड़ को छोड़कर के शेष निम्नांकित 09 सदस्यों की न्यास समिति का कार्यकाल समिति गठन किये जाने से लेकर 05 वर्ष (दिनांक 24.07.2025) तक के लिए अधिसूचना ज्ञापांक–935, दिनांक 24.08.2020 में उल्लेखित नियमों एवं शर्तो के अधीन विस्तार किया जाता है : –

1. श्री मनोज पाण्डेय, पिता–स्व0 राजेन्द्र पाण्डेय	–	अध्यक्ष
2. श्री रामअयोध्या प्रसाद, पिता–स्व0 कमल राय	–	सचिव

3. श्री संजय प्र0 यादव, पिता–स्व0 कोलई राय – कोषाध्यक्ष
4. श्री कृष्णा पासवान, पिता–स्व0 गोबिन पासवान – सदस्य
5. श्री रामजिवन महतो, पिता–भरत महतो – सदस्य
6. श्री बिन्दुश्वरी राम, पिता–स्व0 प्रसाद राम – सदस्य
7. श्री शुरेस महतो, पिता–रामभजु महतो – सदस्य
8. श्री जानकी साह, पिता–स्व0 सन्तु साह – सदस्य
9. श्री कृष्णा पाण्डेय, पिता–बिरबहादुर पाण्डेय – सदस्य

सभी का पता ग्राम– ग्राम–दिपऊ, पो0–टलवा पोखर (कोटवा बाजार) थाना–कोटवा, जिला–पूर्वी चम्पारण।

समिति को निर्देश दिया जाता है कि मंदिर के विकास के संबंध में मंदिर से होने वाली आय तथा अन्य श्रोतों से प्राप्त आय से विकास का कार्य करें तथा अपने आय–व्यय विवरणी बजट आदि प्रतिवर्ष जमा करायें।

आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

26 नवम्बर 2022

सं0 2929––श्री श्री माँ श्यामा मंदिर, माधेश्वर परिसर, ग्राम+पो0+थाना+जिला–दरभंगा, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा–34 के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०–3813/07 है।

उक्त मंदिर उत्तर बिहार का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। उक्त मंदिर के सुव्यवस्था हेतु समय–समय पर न्यास समिति का गठन किया जाता रहा है। वर्तमान में कार्यरत न्यास समिति की समयावधि समाप्त हो रहा था। इस हेतु जिलाधिकारी, दरभंगा–सह–सचिव से, न्यास समिति गठन हेतु नामों का प्रस्ताव मांगा गया। पर्षदीय पत्र दिनांक–16/06/2022 के आलोक में जिलाधिकारी, दरभंगा का पत्रांक–1780, दिनांक–03/09/2022 द्वारा ग्यारह नामों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। एक अन्य स्रोत से पर्षद को उक्त क्षेत्र के धार्मिक विद्वान, अच्छे चरित्र के व्यक्ति का प्रस्ताव दिया गया है, जो पुर्व में भी न्यास समिति के सदस्य थे, उस पर भी विचार करने के उपरांत, उक्त मंदिर की सुव्यवस्था हेतु एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक–03/11/2022 द्वारा अनुमोदन के पश्चात बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री श्री माँ श्यामा मंदिर, माधेश्वर परिसर, ग्राम+पो0+थाना+जिला–दरभंगा** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **"श्री श्री माँ श्यामा मंदिर न्यास योजना, माधेश्वर परिसर, ग्राम+पो0+थाना+जिला–दरभंगा"** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम**" श्री श्री माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति, माधेश्वर परिसर, ग्राम+पो0+थाना+जिला–दरभंगा"** जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन तीन सदस्यों (अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा, जिसमें एक सदस्य के रूप में कोषाध्यक्ष रहेगें तथा अध्यक्ष या सचिव में से कोई एक सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से किसी भी राशि की निकाशी की जा सकेगी।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होनेवाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्जकर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण प्रतिवर्ष करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में अध्यक्ष के सभी दायित्व का निर्वहन उपाध्यक्ष सम्पादित करेंगे।

14. न्यास में अवस्थित सभी दुकानों, किरायेदारों तथा शाखा मठ, विद्यालय का किराया/आय की संग्रह का दायित्व सचिव एवं सह–सचिवों का होगा। ये न्यास की आय को संकलन कर कोषाध्यक्ष को हस्तगत करायेगें तथा कोषाध्यक्ष उपरोक्त राशि को न्यास के खाते में जमा करेगें। इस कार्य में पुरी पारदर्शिता स्थापित की जायेगी।

15. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

16. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

17. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होनेवाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा–11, भारतीय दण्डविधान (I.P.C.) की धारा–428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास/मठ/ मंदिर परिसर में रहनेवाले पशुओं (गोवंश/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य ''पशु की क्रुरता या वध'' होता हो या उक्त कार्यों को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी/सेवायत/महंत/न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

18. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति का गठन किया जाता है:–

1. प्रॉ० श्री सुरेन्द्र मोहन झा (पुर्व कुलपति, ल०ना०मि०वि०वि०, दरभंगा)–	अध्यक्ष
2. पंडित श्री कमलाकांत झा (पुर्व अध्यक्ष, मैथिली अकादमी)–	उपाध्यक्ष
3. श्री जयशंकर झा, (पुर्व रीडर ल०ना०मि०वि०वि०, दरभंगा)–	उपाध्यक्ष
4. जिलाधिकारी, दरभंगा–	पदेन सचिव
5. प्रॉ० श्रीपति त्रिपाठी (प्राचार्य एवं अध्यक्ष, धर्मशास्त्र, का०सि०द०स०, वि०वि०)–	सह–सचिव
6. पंडित श्री दयाकांत मिश्र (से०नि०, वित्तपदा०, का०सि०द०स०, वि०वि०)–	कोषाध्यक्ष
7. कुलपति (ल०ना०मि० वि०वि०, दरभंगा)–	पदेन सदस्य
8. महारानी साहिबा अथवा उनके प्रतिनिधि–	सदस्य
9. डॉ० श्री संतोष कुमार पासवान–	सदस्य
10. डॉ० श्री अरूण कुमार गिरि, योग एवं आयुर्वेद चिकित्सक, पतंजलि केन्द्र, लहेरियासराय–	सदस्य
11. श्रीमति मधुबाला सिन्हा, समाज सेविका, भगवान दास मोहल्ला, दरभंगा–	सदस्य

उक्त आदेश के आलोक में **''श्री श्री माँ श्यामा मंदिर, माधेश्वर परिसर, ग्राम+पो0+थाना+जिला–दरभंगा''** के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसाकरते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

26 नवम्बर 2022

सं0 2931––बाबा श्री भुवनेश्वर धाम शिव मंदिर, ग्राम–चकभारो, अंचल–सिमरी बख्तियारपुर, पोस्ट–पहाड़पुर, थाना–बख्तियारपुर, जिला–सहरसा, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–34 के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–4636/22 है।

उक्त न्यास की व्यवस्था हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा का प्रस्ताव दिनांक–17/08/2022 को प्राप्त हुआ, जिसका चरित्र–सत्यापन पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संलग्न है। ग्रामीणों द्वारा अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में आम सभा दिनांक–05/08/2022 द्वारा 07 व्यक्तियों का प्रस्ताव दिया गया है। कोई अन्य प्रस्ताव या आपत्ति पर्षद को नहीं प्राप्त है।

उपरोक्त परिस्थिति में सभी तथ्यों पर विचारोपरांत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु निम्न न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक–02/11/2022 के आलोक में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **बाबा श्री भुवनेश्वर धाम शिव मंदिर, ग्राम–चकभारो, अंचल–सिमरी बख्तियारपुर,**

पोस्ट–पहाड़पुर, थाना–बख्तियारपुर, जिला–सहरसा की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **''बाबा श्री भुवनेश्वर धाम शिव मंदिर न्यास योजना, ग्राम–चकभारो, अंचल–सिमरी बख्तियारपुर, पोस्ट–पहाड़पुर, थाना–बख्तियारपुर, जिला–सहरसा''** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **''बाबा श्री भुवनेश्वर धाम शिव मंदिर न्यास समिति, ग्राम–चकभारो, अंचल–सिमरी बख्तियारपुर, पोस्ट–पहाड़पुर, थाना–बख्तियारपुर, जिला–सहरसा''** जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर उसमें राशि जमा तथा आवश्यकतानुसार निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होनेवाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक मे जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होनेवाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा–11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा–428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास/मठ/ मंदिर परिसर में रहनेवाले पशुओं (गोवंश/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य ''पशु की क्रुरता या वध'' होता हो या उक्त कार्यों को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी/सेवायत/महंत/न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक न्यास समिति गठित की जाती है:–

1.	श्री टंडन पुरूषोत्तम, पिता–कमल किशोर साहु ग्राम–भटपुरा, पोस्ट–पहाड़पुर, थाना–बख्यिारपुर, सहरसा।	– अध्यक्ष
2.	श्री मनीष, पिता–स्व0 जगदीश प्रसाद सिंह	–सचिव
3.	श्री सुधीर कुमार, पिता–स्व0 इन्द्रदेव प्रसाद सिंह	–कोषाध्यक्ष
4.	श्री अनिल कुमार वर्मा, पिता–स्व0 शीतल प्रसाद वर्मा	–सदस्य
5.	श्री भागवत प्रसाद, मेहता पिता–स्व0 रामेश्वर	–सदस्य
6.	श्री नवीन कुमार, पिता–स्व0 नन्नेद वर्मा	–सदस्य
7.	श्री रामदेव प्रसाद,पिता–स्व0 अशर्फी प्रसाद सिंह	–सदस्य

क्रमसं०–02–07 का पता–ग्राम–चकभारो, पोस्ट–पहाड़पुर, अंचल–सिमरी बख्तियारपुर, थाना–बख्तियारपुर, जिला–सहरसा।

उक्त आदेश के आलोक में **''बाबा श्री भुवनेश्वर धाम शिवमंदिर, ग्राम–चकभारो, अंचल–सिमरी बख्तियारपुर, पोस्ट–पहाड़पुर, थाना–बख्तियारपुर, जिला–सहरसा''** के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमिका हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

6 दिसम्बर 2022

सं0 3107––श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पोस्ट–हेतनपुर,धमौन, वार्ड सं०–12,थाना+अंचल–पटोरी, जिला–समस्तीपुर, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–34 के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–4631/22है।

उक्त मठ की भूमि के संदर्भ में ग्रामीणों द्वारा शिकायत की जा रही थी कि एक फर्जी विन्ध्यवासिनी राय द्वारा मठ की भूमि को अवैध रूप से विक्रय किया जा रही है; जबकि उनका उक्त मठ से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यह भी शिकायत प्राप्त हुई थी कि उक्त मठ में पूर्व जमुना दास महंत थे और उनके स्वर्गवास के पश्चात् बालदेव दास महंत हुए तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् श्री सियाराम सुभग दास मन्दिर का राग–भोग, पूजा–पाठ और भूमि की व्यवस्था करते थे एवं उक्त मन्दिर में लगभग 28 बी0 भूमि है। श्री सियाराम सुभग दास द्वारा खाता संख्या– 175 एवं 107 बिना पर्षद की अनुमति के 99 वर्ष के लिए पट्टा विवेकानंद मेमोरियल ट्रस्ट के मैनेजर विवेक के पक्ष में किया है। उक्त भूमि पूर्व में श्री प्रीतम साह, रामजी साह रैयत के रूप में थे और हाल सर्वे में मन्दिर के महंत बलदेव दास चेला–जमुना दास जाति बैरागी दर्ज है। इस संबंध में विवेक कुमार को निबंधित डाक द्वारा तथा थाना के माध्यम से सूचना दिनांक– 22/12/2021, दिनांक– 16/09/2021, दिनांक– 16/03/2022 को दी गयी, परन्तु वह पर्षद में कभी उपस्थित नहीं हुए, जो स्पष्ट करता है कि उक्त विवेकानंद मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव विवेक कुमार सिंह को उक्त फर्जी पट्टे के संबंध में कुछ भी कथन नहीं करना है। चूंकि बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 3 यह स्पष्ट करता है कि अधिनियम के सभी प्रावधान चाहे वह मन्दिर की स्थापना अधिनियम के पूर्व हुई हो या बाद, सभी परआच्छादित होगा। अधिनियम की धारा– 44 यह स्पष्ट करता है कि किसी भी मन्दिर के न्यासी/न्यासधारी/न्यास समिति/महंत को मन्दिर की भूमि को 03 वर्ष से अधिक का पट्टा करने का अधिकार नहीं है।

उपरोक्त के आलोक में श्री सियाराम सुभग दास द्वारा जो विवेक कुमार सिंह के पक्ष में पट्टा किया गया है, वह अनाधिकृत, क्षेत्राधिकार के बाहर है, तथा अप्रभावी एवं शुन्य है। इस संबंध में विन्ध्यवासिनी राय को किस अधिकार के तहत वह मन्दिर की भूमि का बिक्रय कर रहे है, जैसा कि ग्रामीणों की ओर से बहुत से विक्रय–पत्र की प्रति पर्षद में दाखिल की गयी है।

उन्हें निबंधित डाक दिनांक– 14/10/2022 को भेजा गया था कि पर्षद में उपस्थित होकर किसी प्रकार को कोई स्पष्टीकरण नहीं दाखिल किया है। दिनांक– 25/07/2022 को भी मन्दिर की व्यवस्था हेतु 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव न्यास समिति गठन किये जाने के संबंध में ग्रामीणों से तथा अनुमण्डल पदाधिकारी से नामों की मांग की गयी। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा न्यास समिति गठन हेतु प्रस्ताव दिनांक– 26/09/2022 को प्राप्त हुआ तथा ग्रामीणों द्वारा भी दिनांक– 01/08/2022 को एक आमसभा करके 13 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव पर्षद को दिया गया है।उपरोक्त प्रस्ताव के आलोक में मन्दिर की पूजा–पाठ, राग–भोग तथा मन्दिर की भूमि की सुरक्षा हेतु अस्थायी रूप से न्यास समिति का गठन का निर्णय लिया गया।

अतःपर्षदीय आदेश दिनांक– 26/10/2022 के आलोक में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पोस्ट– हेतनपुर, धमौन, वार्ड सं०– 12, थाना+अंचल– पटोरी, जिला–समस्तीपुर** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **''श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास योजना, ग्राम+पोस्ट– हेतनपुर, धमौन, वार्ड सं०– 12, थाना+अंचल– पटोरी, जिला–समस्तीपुर''** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **''श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति, ग्राम+पोस्ट– हेतनपुर, धमौन, वार्ड सं०– 12, थाना+अंचल– पटोरी, जिला–समस्तीपुर''** जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर उसमें राशि जमा तथा आवश्यकतानुसार निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिरकी गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा– 11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा– 428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास/मठ/मंदिर परिसर में रहने वाले पशुओं (गोवंश/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य ''पशु की क्रुरता या वध'' होता हो या उक्त कार्यों को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी/सेवायत/महंत/न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों कीएक न्यास समिति गठित की जाती है:–

1. भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पटोरी, जिला– समस्तीपुर – अध्यक्ष
2. श्री धर्मेन्द्र राय पिता– श्री लगन देव राय, ग्राम– हेतनपुर, – उपाध्यक्ष
3. श्री अरूण भाई चस्का पिता– स्व० सकलदेव राय, चांदपुर धमौन – सचिव
4. श्रीमति राणा देवी पति– श्री रणवीर राय, चांदपुर धमौन – उपाध्यक्ष
5. श्री रघुनाथ राय पिता– स्व० राम गुलेल राय, हेतनपुर धमौन – कोषाध्यक्ष
6. श्री राज कुमार राय पिता– स्व० भागदेव राय, हेतनपुर धमौन – सदस्य
7. श्री अर्जून पासवान पिता– स्व० छठु पासवान, चांदपुर धमौन – सदस्य
8. श्री सियाराम राय पिता– स्व० रामेश्वर राय, चांदपुर धमौन – सदस्य
9. श्री उमाकान्त राय पिता– स्व० सोनेलाल राय, चांदपुर धमौन – सदस्य
10. श्री अशर्फी राय पिता– स्व० जनक राय, हेतनपुर, धमौन – सदस्य
11. थानाध्यक्ष, पटोरी, जिला– समस्तीपुर – सदस्य

उक्त आदेश के आलोक में**''श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पोस्ट– हेतनपुर, धमौन, वार्ड सं०–12, थाना+अंचल–पटोरी, जिला–समस्तीपुर''**के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

31 अगस्त 2022

सं0 1849—श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम–शंकर चौक, पोस्ट+थाना+जिला–सहरसा,बिहार राज्य धार्मिक न्यास,पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–4601/2021 है।

उक्त मन्दिर के संबंध में संचिका सन् 1987 से विचाराधीन है। पर्षद को बार–बार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि उक्त मन्दिर और उसकी भूमि पर स्थित विवाह भवन के दो ग्रुप द्वारा अलग–अलग स्वयं–भू न्यास समिति बनाकर पुरी सम्पत्ति से प्राप्त आय को निजी प्रयोग में लिया जा रहा है, जबकि पर्षद द्वारा किसी भी समिति को किसी भी प्रकार से कोई मान्यत नहीं दी गयी है और न पर्षद को इसकी जानकारी दी गयी तथा आरोप लगाया गया कि पिछले वर्ष 2012 से करोड़ों का घोटाला किया गया है, जिस संबंध में स्वयं–भू न्यास समिति के मंत्री रघूनाथ पंजीयार को निबंधित डाक द्वारा सूचना भेजकर पर्षद के समक्ष उपस्थित होने तथा ठाकुरबाड़ी और विवाह भवन के संबंध में उसका आय–व्यय विवरण, बजट के संबंध में रिपोर्ट की मांग की गयी।

स्वयं–भू न्यास समिति के सचिव उमेश पंजीयार द्वारा वर्ष 1999–2000 से 2001–02 में विवरण दाखिल किया गया। मन्दिर में 10 क0 भूमि है, पोखर है, 12 दुकानों आदि से 40,000/– रुपये आय प्रदर्शित करते हुए समर्पित की गयी थी। इसपर संदेह होने पर कुछ बिन्दुओं को अंकित करते हुए सही और स्पष्ट विवरण दाखिल करने हेतु दिनांक–29/10/2003 को पत्र भेजा गया है। इस संबंध में उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि ठाकुरबाड़ी की भूमि पर स्थित विवाह भवन मन्दिर की न्यास समिति के नियंत्रण में नहीं है और उसकी अलग से स्वयं–भू समिति है। ग्रामीणों द्वारा लगातार मन्दिर से होने वाली आय तथा विवाह मंडप के दुरूपयोग और निजी प्रयोग की शिकायत की जा रही है और पर्षद द्वारा नोटिस के उपरान्त भी विवाह मंडल से होने वाली आय तथा मन्दिर से होने वाली आय के संबंध में सत्य विवरण नहीं दी जा रही थी।

अनुमण्डल पदाधिकारी से उक्त मन्दिर की चल–अचल सम्पत्ति तथा लगाये गये आरोपों के संबंध में जाँच कर एक रिपोर्ट की मांग की गयी। अनुमण्डल पदाधिकारी ने अपनेप्रतिवेदन दिनांक–02/06/2014 में उल्लेख किया कि मन्दिर में 17 दुकानें, दो गोदाम और कुछ गुमटी है। एक 04 तल का विवाह भवन निर्मित है, जिसका निर्माण विधायक फंड और कुछ दानदाता द्वारा प्राप्त राशि से की गयी है और मन्दिर कैम्पस में एक बड़ा तालाब है, जिसकी बन्दोबस्ती की जाती है। मन्दिर में 05 दानपेटी है।आभुषण और नगद राशि भी चढ़ाया जाता है।

उपरोक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अवैध रूप से संचालित स्वयं–भू न्यास समिति द्वारा मन्दिर की लाखों रुपये वार्षिक की आय को निजी प्रयोग में लिया जा रहा है।

अतः पर्षद द्वारा न्यास समिति गठन किये जाने का निर्णय लिया गया और इस संबंध में अनुमण्डल पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी से 11 अच्छे धार्मिक चरित्र के व्यक्तियों के नामों की मांग की गयी, जो अप्राप्त रहा है। इसी बीच पुनः पक्षों द्वारा आरोप–प्रत्यारोप लगाया जाता रहा है। उन्हें पर्षद के आदेश पर पुनः अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा जाँच कर एक प्रतिवेदन की मांग दिनांक– 10/01/2018 को समर्पित की गयी, जिसमें उल्लेख किया गया कि मन्दिर की भूमि पर स्थित विवाह भवन का सोसायटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराकर न्यास समिति, उसकी आय–व्यय रखते है और कथन करते है कि धार्मिक न्यास का अधिकार नहीं है, परन्तु इस संबंध में उक्त न्यास समिति के सचिव मृत्यूंजय पंजीयार, सचिव द्वारा कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है।

उपरोक्त सभी तथ्यों के साथ संचिका पर उपलब्ध समय–समय पर शिकायत, जाँच रिपोर्ट और मन्दिर तथा विवाह भवन की आय के दुरूपयोग के विचारोपरान्त सभी पक्षों को सुनने के पश्चात् पर्षद के आदेश दिनांक–10/08/2021 द्वारा नये रूप से न्यास समिति गठन करने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी से नामों की मांग की गयी। मन्दिर की स्वयं–भू न्यास समिति द्वारा मन्दिर के नाम खाता जो पंजाब नेशनल बैंक में संचालित है, उसके पासबूक की प्रति दाखिल की गयी, जिसमें लगभग 7.5 लाख रुपये जमा थी तथा विवाह मंडप का संचालन कर रहे स्वयं–भू न्यास समिति के विजय पंजीयार द्वारा एक पासबूक की प्रति दाखिल की गयी और कथन किया गया कि विवाह मंडप से होनेवाली आय बैंक खाता में लगभग 09 लाख रुपये जमा है। उक्त राशि का दुरूपयोग नहीं हुआ है। इसलिए दोनों बैंक खाता की निकासी पर रोक संबंधी पत्र बैंक मैनेजर पत्र लिखा गया और स्पष्ट आदेश दिया गया कि मन्दिर और विवाह कल्याण समिति को नाम बैंक खाता खोला गया है, उनमें से किसी को भी पर्षद द्वारा मान्यता नहीं है और विवाह मंडप भी मन्दिर की भूमि पर बना हुआ है, जो मन्दिर की ही सम्पत्ति है।

अतः उसे सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में निबंधित होने पर बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद के क्षेत्राधिकार नहीं समाप्त हो जाता है और उक्त आदेश द्वारा अंचलाधिकारी से मन्दिर की वर्त्तमान चल–अचल सम्पत्ति खाता खेसरा नं तथा नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी से भी उपरोक्त की जानकारी हेतु पत्र लिखा गया तथा स्वयं–भू न्यास समिति को निर्देश दिया गया कि पिछले 05 वर्षो से जो मन्दिर की आय तथा विवाह मंडप से होने वाली आय है, उसका आय–व्यय विवरण पर्षद में दाखिल करें।

उपरोक्त आदेश के आलोक में मन्दिर की स्वयं–भू न्यास समिति द्वारा पिछले 05 वर्षो की आय–व्यय विवरणी फरवरी, 2022 को दाखिल की गयी। परन्तु विवाह मंडप का संचालन कर रहे स्वयं–भू न्यास समिति द्वारा आजतक कोई आय–व्यय विवरणी दाखिल नहीं की गयी।

पर्षद द्वारा न्यास समिति गठन किये जाने हेतु 10 से अधिक पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी को विभिन्न तिथियों को भेजा गया, परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा उस मन्दिर के व्यवस्था हेतु नामों की सूची आजतक नहीं भेजा गया। इसी बीच अक्टूबर, 2021 निर्मल कुमार गाड़ा द्वारा जो पूर्व में भी स्वयं–भू न्यास समिति के संबंध में लगातार शिकायत पर्षद को करते आ रहे है, उनके द्वारा एक आमसभा दिनांक–

12/01/2021 की प्रति संलग्न करते हुए उक्त आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव दिया गया है तथा प्रस्ताव के आलोक में चरित्र सत्यापन भी जो वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त किया गया है, दिनांक– 23.12.2021 को पर्षद में दाखिल की गयी। मंदिर की स्वयंभू न्यास समिति द्वारा विगत वर्षों की आय–व्यय, पर्षद शुल्क जमा किया गया है और दुरूपयोग का कोई आरोप नहीं है।

उपरोक्त प्रस्तावित नामों को अनुमण्डल पदाधिकारी को पर्षद के पत्रांक–4435, दिनांक– 01/01/.2022 द्वारा संलग्न कर भेजा गया और उनसे उनका मंतव्य की मांग की गयी तथा नाम हटाना या जोड़ना चाहते हो तो इस संबंध में एक रिपोर्ट की मांग की गयी। पुनः स्मार पत्र दिनांक– 04/03/2022 को भेजा गया।

परन्तु उपरोक्त पत्रों के बाबजूद भी अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गयी। न कोई नाम का प्रस्ताव दिया गया और न मंतव्य दिया गया। अतः पर्षद के पास प्रस्तावित नामों की न्यास समिति बनाये जाने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं बचता है।

अतः ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त राम जानकी ठाकुरबाड़ी के राग–भोग, पूजा–पाठ, दुकान आदि के किराये की बसूली और व्यवस्था तथा ठाकुरबाड़ी की भूमि पर स्थित विवाह भवन के संचालन हेतु निम्न न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए किया जाता है साथ ही मन्दिर की व्यवस्था हेतु योजना का निरूपण किया जाता है :–

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक–26/07/2022 के आलोक में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में एवं धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए का प्रयोग करते हुए **श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम– शंकर चौक, पोस्ट+थाना+जिला– सहरसा** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **"श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास योजना, ग्राम– शंकर चौक, पोस्ट+थाना+जिला– सहरसा"** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **"श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति, ग्राम– शंकर चौक, पोस्ट+थाना+जिला– सहरसा"** जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिरकी गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा–11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा– 428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास/मठ/मंदिर परिसर में रहने वाले पशुओं (गोवंश/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या

अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य ''पशु की क्रुरता एवं वध'' होता हो या उक्त कार्यों को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी/सेवायत/महंत/न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों कीएक न्यास समिति 01 वर्ष हेतु अस्थायी रूप से गठित की जाती हैः–

1. अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा	– पदेन अध्यक्ष
2. श्री शम्भु प्रसाद टेकरीवाल पिता– स्व० राधाकृष्ण टेकरीवाल	– उपाध्यक्ष
3. श्री राज कुमार भगत पिता– स्व० रामसेवक भगत	– सचिव
4. श्री देवनंदन प्रसाद पिता– स्व० राघो प्रसाद	–उप–सचिव
5. श्री कृष्ण कुमार सिन्हा पिता– स्व० बालेश्वर प्रसाद सिन्हा	– कोषाध्यक्ष
6. श्री अमरनाथ झा पिता– स्व० रामनाथ झा	– सदस्य
7. श्री निर्मल कुमार गाड़ा पिता– स्व० लक्ष्मी साह	– सदस्य
8. श्री दिनेश जैन पिता– स्व० भोगी लाल जैन	– सदस्य
9. श्री महावीर पंडित पिता– स्व० बहरी पंडित	– सदस्य
10. श्री अंजनी कुमार पिता– स्व० राय बहादुर प्रसाद	– सदस्य
11. श्री विजय पंजीयार पिता– स्व० रामदेव पंजीयार	– सदस्य

क्रम सं०– 2 से 11 का पता–ग्राम– शंकर चौक, पोस्ट+थाना+जिला– सहरसा।

उक्त आदेश के आलोक में**''श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम– शंकर चौक, पोस्ट+थाना+जिला– सहरसा''**के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

27 अगस्त 2022

सं0 1770— श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पोस्ट– रामगंज, अंचल–कुमारखंड, (वार्ड सं०–06) रघुनियाँ, जिला–मधेपुरा,बिहार राज्य धार्मिक न्यास,पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–4511है।

पूर्व में उक्त मन्दिर के पुजारी के रूप में गोविन्द दास थे,उनके स्वर्गवास के बाद राजेन्द्र यादव उक्त मन्दिर में पूजा–पाठ, राग–भोग करने लगे। रामचन्द्र यादव के पुत्र सनोज यादव पर्षद में उपस्थित होकर कथन करते है कि 10–12 वर्षो से पुजारी के रूप में इनके पिता जी काम करते है और ग्रामीणों द्वारा वर्ष 2017 में मन्दिर की 01 बी0 भूमि पूजारी के पूजा–पाठ, राग–भोग करने व उनके भरण–पोषण हेतु दी गयी है तथा कथन करते है कि मन्दिर की एक अन्य भूमि ग्रामीणों की स्वयं–भू समिति द्वारा बन्दोबस्ती कर पैसा बसूल किया जा रहा है। आगे कथन करते है कि मन्दिर की स्वयं–भू न्यास समिति द्वारा बिना किसी पर्षद की अनुमति के न्यास की दुसरी भूमि पर ठाकुरबाड़ी का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में स्वयं–भू न्यास समिति के अध्यक्ष, जयकृष्ण यादव को नोटिस जारी की गयी और वे उपस्थित हुए। उनके द्वारा यह कथन किया गया कि ग्रामीण की आम सभा में पुजारी को 01 बी0 भूमि तथा शेष 04 बी0 भूमि सदानंद यादव पिता–बलदेव यादव को 70 हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 03 वर्ष के लिए दिया गया, परन्तु मापी करने पर 03 बी0 05 क0 जमीन ही हुई, लिहाजा 17 हजार रुपये प्रति बीघा की दर से 55 हजार रुपये प्रतिवर्ष की आमदनी होती है। आगे कथन करते है कि 2017 से 2020 तक 03 वर्षो में उक्त बन्दोबस्ती से 1,54,500/– रुपये प्राप्त हुआ, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि वर्त्तमान ठाकुरबाड़ी, आने–जाने के लिए लिए रास्ता का आभाव है, लिहाजा ठाकुरबाड़ी का अन्य भूमि जो मेन रोड के नजदीक है, जिसका खाता नं0–1060 खेसरा नं0–3527 एरिया 1.97 ए0 है; वहाँ नयी ठाकुरबाड़ी का निर्माण किया जा रहा था; जिस संबंध में ईट, बालू, गिट्टी, छड़ का क्रय किया और निर्माण में उपरोक्त राशि खर्च की गयी। इस संबंध में उनके द्वारा एक लिखित रिपोर्ट पर्षद के समक्ष उपस्थापित की गयी जो पर्षद को भेजा गया। इस प्रकार उनका कहना है कि उपरोक्त बन्दोबस्ती से जो राशि प्राप्त हुई, वह खर्च हो गयी। आगे कथन करते है कि पूर्व में न्यास समिति गठन करने के पूर्व पुजारी द्वारा सारी सम्पत्ति अपने प्रयोग में लें कर, उसे निजी लाभ लियाजा रहा है और कथन करते है कि पुराने ठाकुरबाड़ी में पहूँचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए खेसरा संख्या– 2527 पर ठाकुरबाड़ी का निर्माण किया जा रहा है, जो आधा निर्मित हो चुका है। इस संबंध में पर्षद के निरीक्षक द्वारा भी स्थल का निरीक्षण किया गया और यह पाया गया कि ठाकुरबाड़ी में गर्भगृह में सिंहासन पर श्री रामजानकी, बालगोपाल एवं श्री बजरंगवली जी की छोटी–छोटी प्रतिमा एवं शालीग्राम जी विराजमान है। गर्भगृह के वायी ओर दो अन्य कमरे निर्मित है। गर्भगृह एवं कमरा जीर्ण–शिर्ण अवस्था में है। ठाकुरबाड़ी के भवन के बाहरी दिवार के प्लास्टर का कार्य प्रगति पर है। ठाकुरबाड़ी के उत्तर पुजारी रामचन्द्र दास का निजी आवास है, जिसमें सपरिवार रहते है। ठाकुरबाड़ी के भवन के पश्चिम तरफ बांस आदि के वृक्ष है और यह भी उल्लेख किया

कि ठाकुरबाड़ी तक आने–जाने के लिए स्थानीय विनोद कुमार व अन्य लोग अपनी निजी जमीन का कुछ हिस्सा लिया गया है जो लगभग 400 फीट है जिसकी चौड़ाई 10 फीट है और इसी ठाकुरबाड़ी की भूमि पर अर्द्धनिर्मित भवन का निर्माण किया जा रहा है तथा राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत चाहरदिवारी का निर्माण भी कराया जा चुका है और जीर्ण–शिर्ण मन्दिर का कार्य भी किया जा रहा है तथा यह भी शिकायत प्राप्त हुई कि पुजारी सपरिवार गृहस्थ जीवन व्यतीत करते है और ठाकुरबाड़ी में स्थित बांस और फल को बेचते है। न्यास की भूमि को शुदभरना पर लगा दिया गया है। पिछले 15 वर्षो सेवह स्वयं सारी भूमि की आय रखते थे। पर्षद की पृच्छा पर पुजारी पुत्र द्वारा स्वीकार किया गया है। उन लोगों की अपनी दो–ढाई बिगहा जमीन है, जो ठाकुरबाड़ी के बगल में स्थित है। न्यास समिति के उपस्थित सदस्य द्वारा कथन किया जा रहा है कि पुजारी को मासिक खर्च निर्धारित कर दी जाए और ठाकुरबाड़ी की जो भूमि उसकी बन्दोबस्ती खुले डाक द्वारा करायी जाए, जिससे उक्त ठाकुरबाड़ी में स्थित पेड़, बांस आदि की सुरक्षा हो सके। चूंकि बार–बार आरोप लगाया जाता है कि पुजारी द्वारा फल, बांस को काटकर अवैध रूप से बेच दिया जाता है, जबकि पुजारी द्वारा इस बात से इन्कार किया जा रहा है।

उपरोक्त सभी परिस्थितियाँ यह स्पष्ट करती है कि उपरोक्त ठाकुरबाड़ी में पुजारी के रूप में कार्य कर रहे रामचन्द्र दास तथा ग्रामीणों के बीच सामंजस्य की कमी है, सभी पक्ष एक–दुसरे पर आरोप लगा रहे है। ऐसी स्थिति में एक न्यास समिति का गठन किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी। तद्नुसार अंचलाधिकारी से न्यास समिति गठन हेतु नामों की मांग की गयी तथा उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है ठाकुरबाड़ी की भूमि जो पूर्व से स्वयं–भू न्यास समिति द्वारा बन्दोबस्ती की जाती है, उसे खुले डाक द्वारा स्वयं बन्दोबस्ती कराये, परन्तु उक्त भूमि का बन्दोबस्ती अभी नहीं हुआ है और उनके द्वारा 07 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव पर्षद में न्यास समिति गठन हेतु दिनांक–05/04/2021 को भेजा गया है, जो संचिका पर उपलब्ध है, जिसका चरित्र सत्यापन हेतु दिनांक–19/04/2021, दिनांक– 16/06/2021 को भेजा गया, परन्तु थाना द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट पर्षद को नहीं दी गयी है।

ऐसी स्थिति में न्यास समिति गठन को लम्बित रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त परिस्थिति में एक योजना का निरूपण करने एवं इसके कार्यान्वयन हेतु न्यास समिति का गठन 01 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से करने का निर्णय लिया गया।

अतः पर्षदीयआदेश दिनांक–27/07/2022 के आलोक में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में एवं धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए का प्रयोग करते हुए **श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पोस्ट– रामगंज, अंचल– कुमारखंड, (वार्ड सं०– 06) रघुनियाँ, जिला–मधेपुरा** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास योजना, रघुनियाँ, जिला–मधेपुरा** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति, रघुनियाँ, जिला–मधेपुरा** जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिरकी गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा– 11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा–428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है।न्यास / मठ / मंदिर परिसर में किसी प्रकार के पशुओं (गोवंश / गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना / भोजन नहीं देना / ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य ''पशु की क्रुरता एवं वध'' होता हो या उक्त कार्यों को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी/सेवायत/महंत/न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों कीएक न्यास समिति 01 वर्ष हेतु अस्थायी रूप से गठित की जाती हैः–

1. अंचलाधिकारी, कुमारखंड, जिला– मधेपुरा–	अध्यक्ष।
2. श्री जयकृष्ण यादव पिता– स्व० लालचन्द्र यादव–	सचिव।
3. श्री भवन यादव पिता– स्व० श्रीलाल यादव	उप–सचिव
4. श्री जगलाल यादव पिता– स्व० जगदीश यादव	कोषाध्यक्ष।
5. श्री देवनारायण यादव पिता– स्व० महेश्वरी यादव–	सदस्य।
6. श्रीमति मीरा देवी पति– श्री कुशो शर्मा	सदस्य।
7. श्री मनुवंश कुमार भाष्कर पिता– शंभू यादव	सदस्य।

क्रम सं०– 2 से 7 का पता–श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पोस्ट–रामगंज, अंचल–कुमारखंड, (वार्ड सं०–06) रघुनियाँ, जिला– मधेपुरा।

उक्त आदेश के आलोक में **श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पोस्ट–रामगंज, अंचल–कुमारखंड, (वार्ड सं०–06) रघुनियाँ, जिला–मधेपुरा**के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

30 अगस्त 2022

सं0 1821––श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम–रामचन्द्रपुर दशहरा, पोस्ट–दशहरा, थाना–मोहनपुर (ओ०पी०), अंचल–मोहनपुर, जिला–समस्तीपुर, बिहार राज्य धार्मिक न्यास, पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–3180है।

उक्त मंदिर और उसकी सम्पति की सुरक्षा हेतु दिनांक– 22/05/2013 को न्यास समिति का गठन किया गया था, परन्तु कालान्तर में समिति के अध्यक्ष, श्री अमरेन्द्र कुमार यादव के विरूद्ध यह शिकायत प्राप्त हुई कि उनके द्वारा मंदिर के $1\frac{1}{2}$ बीघा पोखर के उपर अपना आधिपत्य बना लिया है तथा कोषाध्यक्ष, श्री सुमन राय ने मंदिर का लगभग 16 कट्ठा जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है और उसमें लगे पेड़ों को काटकर बेच रहे हैं, इस संबंध में उनको पर्याप्त रूप से सुनवाई का अवसर हेतु नोटिस जारी किया गया तथा इस संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्ता से भी एक प्रतिवेदन की मांग की गयी। उपसमाहर्ता द्वारा दिनांक–10/12/2013 को प्रतिवेदित किया गया कि समिति की बैठक आयोजित नहीं की जाती है तथा अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष मठ के प्रति संवेदनशीलता नहीं रखते हैं और मठ की भूमि अतिक्रमित कर ली गयी है तथा मठ के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पुनः उपरोक्त दोनों व्यक्तियों से पर्षद द्वारा कारण पृच्छा की मांग की गयी, जिस पर उनके द्वारा प्रार्थना–पत्रसमर्पित किया गया कि वह अब न्यास समिति में नहीं रहना चाहते हैं तथा कोषाध्यक्ष, सुमन राय द्वारा अपना प्रति–उत्तर असंतोषजनक रूप से दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरान्त उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को पर्षदीय आदेश दिनांक–27/11/2014 द्वारा समिति के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। समिति द्वारा वर्ष 2013–14, 2014–15 में मंदिर की आय मात्र 12 हजार रू0 के लगभग दर्शित की गयी, जबकि उक्त मंदिर में 24 बीघा, 17 कट्ठा 02 धुर भूमि है। तत्कालिन सचिव द्वारा पर्षद को मंदिर की भूमि के अतिक्रमण तथा मंदिर के समिति द्वारा बैठक नहीं किये जाने आदि के संबंध में बार–बार पत्र लिखा जाता रहा। उक्त मठ की कुछ भूमि राष्ट्रीय सड़क निर्माण योजना के तहत अधिग्रहित की गयी है तथा भू–अर्जन कार्यालय के पत्रांक–169, दिनांक–20/02/2017 से स्पष्ट होता है कि खेसरा सं0–1385 का 0.195 एकड़ तथा खेसरा सं0–1421 का 0.18 एकड़ जमीन लिया गया, जिसके मुआवजे के रूप में लगभग 17 लाख रू0 की राशि निर्धारित की गयी है। वह सम्पति सार्वजनिक धार्मिक न्यास

श्री राम जानकी मंदिर की है और उसके महंत सरयुग दास का स्वर्गवास बहुत पूर्व हो चुका है और वर्तमान में उक्त मंदिर का संचालन न्यास समिति द्वारा किया जा रहा है और वर्ष 2013 में गठित न्यास समिति का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है।

सचिव के आवेदन से भी स्पष्ट होता है कि पूर्व न्यास समिति के सचिव, श्री अशोक राय द्वारा हीं पर्षद में लगातार पत्राचार उक्त मंदिर और मंदिर की सम्पति की सुरक्षा हेतु तथा अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाई करने हेतु किया जाता रहा है तथा न्यास समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने के पश्चात ग्रामीणों द्वारा एक आम सभा दिनांक– 30/12/2021 को आयोजित किया गया और 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव कर न्यास समिति गठन हेतु दिनांक– 19/01/2022 को उपलब्ध कराया और दूसरी तरफ न्यास समिति गठित किये जाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को दिनांक– 21/12/2021, 10/02/2022 एवं 31/05/2022 को भेजा गया तथा साथ में प्रस्तावित नामों की सूची भी भेजी गयी कि इस संबंध में अपना मंतब्य दें और यदि कुछ नामों को जोड़ना या हटाना चाहते हों तो इसकी भी सूचना पर्षद को दें, परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी से आज तक किसी प्रकार का कोई भी प्रस्ताव पर्षद को नहीं प्राप्त हुआ और न्यास समिति के अभाव में मंदिर की सम्पति से संबंधित भूमि लगातार अतिक्रमणकारियों द्वारा अपने कब्जे में लेकर उसका निजी प्रयोग किया जाता है।

तदनुसार पर्षद यह विचार करती है कि अब आगे और अनुमंडल पदाधिकारी के पत्रों का प्रतीक्षा करना उचित नहीं है और प्रस्तावित नामों का चरित्र सत्यापन रिपोर्ट भी दिनांक– 16/04/2022 को प्राप्त हो चुका है, जिसमें प्रस्तावित नामों के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अपराधिक मामला का उल्लेख नहीं किया गया है।

उक्त प्रस्तावित नामों पर विचार करते हुए ठाकुरबाड़ी की नियमित राग–भोग, पूजा–पाठ तथा मंदिर और मंदिर की भूमि की सुरक्षा हेतु एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतुअस्थायी रूप से 01 वर्ष हेतु न्यास समिति गठन करने का निर्णय लिया जाता है।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक– 21/07/2022 के आलोक में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 में एवं धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए का प्रयोग करते हुए **श्री रामजानकी मंदिर,ग्राम–रामचन्द्रपुर दशहरा, पोस्ट–दशहरा, थाना– मोहनपुर (ओ०पी०), अंचल– मोहनपुर, जिला–समस्तीपुर** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **श्री रामजानकी मंदिर न्यास योजना, ग्राम–रामचन्द्रपुर दशहरा, पोस्ट–दशहरा, थाना–मोहनपुर (ओ०पी०), अंचल–मोहनपुर, जिला–समस्तीपुर** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **श्री रामजानकी मंदिर न्यास समिति, ग्राम–रामचन्द्रपुर दशहरा, पोस्ट–दशहरा, थाना–मोहनपुर (ओ०पी०), अंचल– मोहनपुर, जिला–समस्तीपुर** जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिरकी गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा–11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा–428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास/मठ/मंदिर परिसर में किसी प्रकार के पशुओं (गोवंश/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य ''पशु के साथ क्रुरता या वध'' होता हो या उक्त कार्यों को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी/सेवायत/महंत/न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों कीएक न्यास समिति अस्थायी रूप सेगठित की जाती हैः–

1. अंचलाधिकारी, मोहनपुर, जिला– समस्तीपुर–	अध्यक्ष
2. श्री रामवृत राय पिता– स्व० अलख राय–	उपाध्यक्ष
3. श्री अशोक कुमार राय पिता– स्व० रामकरण राय–	सचिव
4. श्री मुकेश कुमार पिता–श्री श्रवण कुमार राय–	कोषाध्यक्ष
5. श्री बैजु ठाकुर पिता–स्व० शकुनी ठाकुर–	सह–सचिव
6. श्रीमति रेणु देवी पति–श्री रामनाथ राय–	सदस्य
7. श्री दिनेश पासवान पिता– स्व० सरयुग पासवान–	सदस्य
8. श्री कृष्ण कुमार राय पिता– स्व० मिथिलेश राय–	सदस्य
9. श्री विनय राम पिता–श्री रामखेलावन राम–	सदस्य
10. श्री अवनीश कुमार पिता–श्री जगदीश प्र० राय–	सदस्य
11. थानाध्यक्ष, मोहनपुर (ओ०पी०)–	सदस्य

क्रम सं०– 2 से 10 का पता–ग्राम–रामचन्द्रपुर दशहरा, पो०– दशहरा, था०–मोहनपुर (ओ०पी०), जिला– समस्तीपुर।

उक्त आदेश के आलोक में **श्री रामजानकी मंदिर,ग्राम–रामचन्द्रपुर दशहरा, पोस्ट–दशहरा, थाना– मोहनपुर (ओ०पी०), अंचल–मोहनपुर, जिला–समस्तीपुर**के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

30 अगस्त 2022

सं0 1823––श्री राम जानकी (मौजहा) ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पोस्ट– मौजहां, थाना+अंचल–किसनपुर, जिला–सुपौल,बिहार राज्य धार्मिक न्यास, पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–2064/1968है।

उक्त मंदिर की पूजा–पाठ, रागभोग महंत जगदीश दास द्वारा की जाती थी तथा उक्त मंदिर में 07 बीघा 06 कट्ठा 06 धुर भूमि है और इस बात की स्वीकृति महंत जगदीश दास द्वारा दाखिल आय–व्यय विवरणी दिनांक–12/09/1997 में भी उल्लेख किया है कि 03 बीघा 06 कट्ठा 06 धुर में मंदिर एवं अनाबाद है तथा 04 बीघा 06 कट्ठा उपजाऊ है। कालान्तर में महंत जी को शामिल करते हुए 09 सदस्यीय न्यास समिति का प्रस्ताव दिनांक–11/05/1997 को पर्षद में दिया गया तथा अंचल अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक– 08/11/1997 में भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व महंत रामेश्वर दास का स्वर्गवास लगभग 12 वर्ष पूर्व हो गया है और वर्तमान में श्री गोसाईं दास महंत के रूप में कार्यरत हैं और इस ठाकुरबाड़ी में 11 बीघा 14 कट्ठा $12\frac{1}{4}$ धुर जमीन है तथा 02 फूस का घर, 01 चापाकल, आम का वृक्ष, 04 अमरूद के पेड़, 10 शीशम के पेड़, पीतल की 02 मुर्ति बर्तन और 02 चौंकी आदि हैं तथा वार्षिक आय के रूप में 12,700/– रू० का उल्लेख किया है।

संचिका में टिप्पणी दिनांक– 12/09/1997 से स्पष्ट होता है कि मौजा– मोजहा में 03 ठाकुरबाड़ी था और प्रथम ठाकुरबाड़ी के महंत यदु दास थे। उक्त ठाकुरबाड़ी कोशी के गर्भ में विलीन हो चुका है, परन्तु इसकी 04 बीघा 12 कट्ठा भूमि शेष है और जिसके महंत गोसाईं लाल दास हैं, जो यदु दास के शिष्य हैं और इसकी संचिका सं0– 112 है, जो निबंधित भी है। पूर्व में उक्त मठ के महंती के लिए विवाद भी हुआ था, जिसमें यदु दास के स्वर्गवास के पश्चात गोसाईं लाल दास को महंत माना गया।

दूसरी ठाकुरबाड़ी जिसके महंत स्व0 रामेश्वर दास थे, जिनके शिष्य जगदीश दास है और जिसकी संचिका सं0– 185 है और जो वर्तमान संचिका है। तीसरी ठाकुरबाड़ी के महंत स्व0 बवुभी दास थे और वह न्यास भी मंदिर सहित कोशी के गर्भ में विलीन हो चुका है। वर्तमान संचिका में जगदीश दास को पर्षद द्वारा भी मान्यता दी गयी थी, जिन्हें पर्षदीय आदेश

दिनांक– 13/09/1997 द्वारा उक्त ठाकुरबाड़ी का महंत भी नियुक्त किया गया, परन्तु पर्षदीय आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण पर्षदीय आदेश दिनांक– 02/08/1999 द्वारा महंत जगदीश दास को न्यासी के पद से अपसारित करते हुए अंचल अधिकारी को अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया। इसका लाभ उठाकर उक्त गोसाईं लाल दास द्वारा वर्तमान मठ की भूमि का दुरूपयोग किया जाने लगा, अतः पर्षद के आदेश दिनांक– 22/12/1999 द्वारा पुनः महंत जगदीश दास को अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया।

वर्ष 2020 में पर्षद को सूचना प्राप्त हुई कि महंत जगदीश दास ठाकुरबाड़ी छोड़कर भाग गये हैं और श्री रामचन्द्र प्र0 यादव, जो पूर्व में न्यास समिति के सदस्य भी थे, उनके द्वारा बताया गया कि उक्त ठाकुरबाड़ी में कुल 14.28 एकड़ जमीन है, परन्तु ठाकुरबाड़ी की स्थिति अत्यंत दयनीय है। तदनुसार पर्षदीय आदेश दिनांक– 29/09/2020 द्वारा अस्थायी न्यासधारी जगदीश दास को अपसारित करते हुए अंचलाधिकारी के साथ 03 अन्य सदस्य क्रमशः श्री कपिल देव प्रतिहस्त, श्री रामचन्द्र प्र0 यादव एवं श्री परमेश्वर मंडल, कुल 04 सदस्यीय न्यास समिति का गठन कर मंदिर में पूजा–पाठ, रागभोग आदि तथा मंदिर की भूमि की बंदोबस्ती के लिए अधिकृत किया गया।

दिनांक– 08/11/2021 को रामचंद्र प्र0 यादव द्वारा बताया गया कि श्री परमेश्वर मंडल का स्वर्गवास हो गया है। न्यास समिति के अभाव में ठाकुरबाड़ी की भूमि पर लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध में अंचलाधिकारी से 07 अच्छे धार्मिक चरित्र के व्यक्तियों के नामों की मांग पर्षद के पत्र दिनांक– 09/10/2020, दिनांक– 20/09/2021, दिनांक– 26/11/2021, दिनांक– 16/03/2022 एवं दिनांक–15/06/2022 द्वारा की गयी तथा उक्त सभी बातों की सूचना अपर जिला पदाधिकारी, राजस्व को भी भेजी गयी कि 07 अच्छे धार्मिक चरित्र के व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव भेजा जाए, परन्तु आज तक न तो अंचल अधिकारी द्वारा और न हीं अपर जिला पदाधिकारी, राजस्व द्वारा जो वर्तमान में धार्मिक न्यास की सम्पति के नोडल पदाधिकारी हैं।

दिनांक– 26/07/2022 को श्री रामचंद्र प्र0 यादव पर्षद के समक्ष उपस्थित होकर सूचित किया कि ग्रामीणों की एक आमसभा दिनांक– 26/12/2021 को आयोजित की गयी थी, जिसमें 09 व्यक्तियों के नामों का चयन न्यास समिति गठन हेतु की गयी है। उक्त प्रस्ताव में नामित व्यक्तियों का चरित्र सत्यापन थाने से मंगाये जाने के संबंध में दिनांक– 29/03/2022 एवं दिनांक–15/06/2022 को भेजा गया, परन्तु खेद की बात है कि किसी भी प्रकार की कोई प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

न्यास समिति का गठन नहीं हो पाने के कारण सम्पति को अवैध रूप से कब्जा किये हुए व्यक्तियों के द्वारा निजी लाभ लिया जा रहा है। तदुनसार न्यास समिति गठन के प्रस्ताव को लंबित रखना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त परिस्थितियों में ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित नामों की न्यास समिति के गठन के साथ–साथ मंदिर की व्यवस्था हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है और उसके कार्यान्वयन हेतु न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए किया जाता है।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक–26/07/2022 के आलोक में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 में एवं धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए का प्रयोग करते हुए **श्री राम जानकी (मौजहा) ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पोस्ट– मौजहां, थाना+अंचल– किसनपुर, जिला– सुपौल** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **श्री राम जानकी (मौजहा) ठाकुरबाड़ी न्यास योजना, ग्राम+पोस्ट– मौजहां, थाना+अंचल– किसनपुर, जिला– सुपौल** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **श्री राम जानकी (मौजहा) ठाकुरबाड़ी न्यास समिति, ग्राम+पोस्ट–मौजहां, थाना+अंचल–किसनपुर, जिला–सुपौल** जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिरकी गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा–11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा–428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास/मठ/मंदिर परिसर में किसी प्रकार के पशुओं (गोवंश/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य ''पशु के साथ क्रुरता या वध'' होता हो या उक्त कार्यों को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी/सेवायत/महंत/न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों कीएक न्यास समिति 01 वर्ष हेतु अस्थायी रूप से गठित की जाती है:–

1. अंचल अधिकारी, किसनपुर, जिला–सुपौल	अध्यक्ष
2. श्री गिरधारी परिहस्त	उपाध्यक्ष
3. श्री रामचन्द्र प्रसाद यादव	सचिव
4. श्री रघुनी मंडल	सदस्य
5. श्री शिवेश्वर मेहता	सदस्य
6. श्री अभिनंदन यादव	सदस्य
7. श्री पप्पू कुमार चौधरी	सदस्य
8. श्री नारायण साह	सदस्य
9. श्री जगदेव दास	सदस्य
10. श्री अमर कुमार	सदस्य

क्रम सं०–2 से 10 का पता–ग्राम+पोस्ट– मौजहां, थाना+अंचल–किसनपुर, जिला–सुपौल।

उक्त आदेश के आलोक में **श्री राम जानकी (मौजहा) ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पोस्ट–मौजहां, थाना+अंचल–किसनपुर, जिला–सुपौल** के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

31 अगस्त 2022

सं0 1847— श्री संत बुनियाद मठ, ग्राम– किशुनपुर युसूफ, अंचल+थाना–सरायरंजन, जिला–समस्तीपुर, बिहार राज्य धार्मिक न्यास,पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–513है।

उक्त मठ की देखभाल हेतु न्यास समिति का गठन दिनांक–09/12/2011 किया गया था, यद्यपि न्यास समिति द्वारा अधिनियम की धारा–59, 60 के अन्तर्गत प्रति वर्ष आय–व्यय विवरणी नहीं दाखिल की गयी थी, परन्तु पर्षद द्वारा पत्र भेजे जाने के फलस्वरूप आय–व्यय विवरणी दाखिल की गयी तथा वर्ष 2016–17 के बाद आय–व्यय विवरणी प्रतिवर्ष प्राप्त होती है। पूर्व न्यास समिति के 03 सदस्य क्रमशः श्री रंगीलाल प्रसाद, श्री ईश्वर प्र0 शर्मा एवं श्री आनन्दी दास का स्वर्गवास हो चुका है तथा श्री रामश्रय प्र0 सिंह भी राजनीति से जुड़ गये हैं, लिहाजा वह मंदिर के कार्यों में किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। उक्त मंदिर की तथा मंदिर की भूमि की सुरक्षा हेतु अंचल अधिकारी से न्यास समिति गठन करने हेतु नामों की मांग की गयी थी जो दिनांक 22/07/2021 को प्राप्त हुआ, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मंदिर मौजा–खालिसपुर, थाना सं0–327 में 08 बीघा 16 कट्ठा 17 धुर जमीन है तथा मौजा–किशनपुर युसूफ, थाना सं0–328 में 05 बीघा 12 कट्ठा 02 धुर जमीन है। इस प्रकार कुल 14 बीघा 08 कट्ठा 19 धुर जमीन का उल्लेख है। आगे रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त जमीन महंत शिवनंदन दास चेला राम सकल दास के नाम से चल रहा है और ग्रामीणों का कथन

है कि उक्त शिवनंदन दास का स्वर्गवास भी लगभग 30 वर्ष पूर्व हो चुका है और उसके पश्चात उनके चेला रामप्रकाश दास देखभाल करते थें और उनकी भी मृत्यु भी लगभग 15–16 वर्ष पूर्व हो चुकी है।

इसके संबंध में कार्यालय द्वारा अंचल अधिकारी को पत्र भेजा गया था कि उक्त नामों को सुधार करते हुए उक्त सभी जमीन संत बुनियाद स्वामी मठ के नाम से इन्द्राज किया जाए, परन्तु पर्षद के उपरोक्त पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुई है।

पर्षद के समक्ष दिनांक– 22/07/22 को उपस्थित होकर ग्रामीण कथन करते हैं कि न्यास समिति गठन हेतु अंचलाधिकारी, सरायरंजन द्वारा प्रस्तावित नामों की सूची में श्री ईश्वर शर्मा का स्वर्गवास हो चुका है और श्री जयलाल महतो अति वृद्ध हैं तथा अस्वस्थ रहते हैं और आग्रह करते हैं कि उनके स्थान पर श्री विजय राय तथा श्री सोनेलाल राय तथ श्रीमति माला देवी को रखा जाए।पूर्व न्यास समिति के 03 सदस्यों का स्वर्गवास हो गया है एवं 01 सदस्य निष्क्रिय हो गये है और समिति का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक– 22/07/2022 के आलोक में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में एवं धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए का प्रयोग करते हुए **श्री संत बुनियाद मठ, ग्राम– किशुनपुर युसूफ, अंचल+थाना– सरायरंजन, जिला–समस्तीपुर** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **श्री संत बुनियाद मठ न्यास योजना, ग्राम– किशुनपुर युसूफ, अंचल+थाना– सरायरंजन, जिला–समस्तीपुर** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **श्री संत बुनियाद मठ न्यास समिति, ग्राम– किशुनपुर युसूफ, अंचल+थाना– सरायरंजन, जिला–समस्तीपुर** जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिरकी गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा–11, भारतीय दण्ड विधान (I.R.C.) की धारा–428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास/मठ/मंदिर परिसर में रहने वाले पशुओं (गोवंश/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य ''पशु की क्रुरता या वध'' होता हो या उक्त कार्यों को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी/सेवायत/महंत/न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों कीएक न्यास समिति अस्थायी रूप सेगठित की जाती हैः–

1. अंचल अधिकारी, सरायरंजन, जिला–समस्तीपुर	अध्यक्ष
2. श्री रामकरण सिंह, पिता– स्व0 कंचन सिंह	उपाध्यक्ष
3. श्री राजकुमार प्र0 सिंह, पिता– स्व0 रंगीलाल प्र0 सिंह	सचिव
4. श्री महेन्द्र प्र0 सिंह, पिता– स्व0 राम प्र0 सिंह	सह सचिव
5. श्री विजय राय, पिता– स्व0 सोनेलाल राय	कोषाध्यक्ष
6. श्री रामसकल प्र0 सिंह, पिता– स्व0 दिनकर सिंह	सदस्य
7. श्री योगेन्द्र प्र0 सिंह, पिता– श्री यदुनंदन सिंह	सदस्य
8. श्री दुखन राय, पिता– स्व0 चिन्तामन राय	सदस्य
9. श्री जनक राय, पिता– स्व0 मखन राय	सदस्य
10. श्रीमति माला देवी, पति– वंधु शर्मा	सदस्य
11. श्री वासुदेव पासवान पिता– स्व0 रामेश्वर पासवान	सदस्य

क्रम सं०–2 से 11 का पता–ग्राम–किशुनपुर युसूफ, अंचल+थाना–सरायरंजन, जिला–समस्तीपुर।

उक्त आदेश के आलोक में **श्री संत बुनियाद मठ, ग्राम–किशुनपुर युसूफ, अंचल+थाना–सरायरंजन, जिला–समस्तीपुर** के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————

संशोधित अधिसूचना
31 अगस्त 2022

सं0 1842––श्री अहिल्या स्थान, ग्राम+पोस्ट–अहियारी, थाना–कमतौल, जिला–दरभंगा जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 34 के अन्तर्गत निबंधित सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–3957/09 है। इस न्यास की सम्पत्तियों की सुरक्षा, समुचित प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक–3419, दिनांक–01/10/2021 द्वारा एक न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से 01 वर्ष हेतु किया गया है।

उक्त न्यास समिति के अध्यक्ष–श्री कविश्वर ठाकुर द्वारा त्याग–पत्र दे दिया गया तथा उनका स्वर्गवास हो गया है। न्यास समिति द्वारा एक बैठक दिनांक–31/10/2021 को करके सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर श्री विजय भारद्वाज से निवेदन किया गया था, परंतु विजय भारद्वाज द्वारा अपनी सहमति नहीं दी गयी। न्यास समिति के सचिव–श्री हेमंत कुमार झा द्वारा दिनांक–17/08/2022 को एक प्रार्थना–पत्र दिया गया तथा साथ में दिनांक–05/04/2022 को न्यास समिति द्वारा लाये गये प्रस्ताव की प्रति भी समर्पित की गयी तथा प्रार्थना किया गया कि न्यास समिति द्वारा बहुमत से लिये गये निर्णय के आलोक में सदस्य–श्री जयशंकर झा, जो कार्य–व्यस्तता के कारण समिति की बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, उनके स्थान पर श्री देवकुमार ठाकुर को सदस्य के रूप में मान्यता दी जाय।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र तथा समिति की बैठक दिनांक–05/04/2022 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बैठक में 09 सदस्यों की उपस्थिति है। श्री देवकुमार ठाकुर को सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव पुर्ण बहुमत से पारित किया गया है। चूंकि पर्षद को उक्त प्रस्ताव पुर्व में नहीं प्राप्त कराया गया था; इसलिए श्री देव कुमार ठाकुर के नाम को पर्षदीय आदेश दिनांक–20/07/2022 द्वारा स्वीकृति नहीं दिया गया था।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा दिनांक–23/07/2022 को प्राप्त सूची में से पर्षद के आदेश दिनांक–20/07/2022 के आलोक में श्री बालेश्वर ठाकुर पिता–राम सज्जन ठाकुर को अध्यक्ष एवं न्यास समिति के प्रस्ताव के आलोक में पर्षदीय आदेश दिनांक–20/07/2022 में आंशिक संशोधन करते हुए सदस्य के रूप में श्री देवकुमार ठाकुर को मान्यता दी जाती है।

अतएव पर्षदीय आदेश दिनांक–27/08/2022 के आलोक में पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक–3419, दिनांक–01/10/2021 को संशोधित करते हुए उक्त अधिसूचना में वर्णित नियम/शर्त्तों के अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की संशोधित न्यास समिति कार्यरत रहेगी। यथा–

1.	श्री हरिभूषण ठाकुर ''बचौल'', पर्षद के मा0 सदस्य, पता–21/एम, स्ट्रैण्ड रोड, पटना।	–संरक्षक
2.	श्री बालेश्वर ठाकुर (बालाजी)– पता–ग्रा0+पो0–अहियारी, प्रखंड–जाले, था0–कमतौल, दरभंगा।	– अध्यक्ष
3.	श्री विमल कुमार यादव पिता–स्व0 होरिल यादव पता–ग्रा0+पो0–अहियारी, प्रखंड–जाले, था0–कमतौल, दरभंगा।	–उपाध्यक्ष

4. श्री हेमन्त कुमार झा, ग्रा0+पो0+था0–कमतौल, जिला–दरभंगा –सचिव
5. श्री रंजीत प्रसाद, ग्रा0+पो0+था0–कमतौल, जिला–दरभंगा –कोषाध्यक्ष
6. श्री देव कुमार ठाकुर –सदस्य
पता–ग्रा0+पो0–अहियारी, था0–कमतौल, अंचल–जाले, जिला–दरभंगा
7. श्रीमति अंजनी निषाद, ग्रा0+पो0–ततैला, था0–कमतौल, जिला–दरभंगा –सदस्य
8. श्री उमेश ठाकुर (भू0पू0 सैनिक) पिता– स्व0 रामेश्वर ठाकुर –सदस्य
पता–ग्रा0+पो0–अहियारी, प्रखंड–जाले, दरभंगा।
9. अंचलाधिकारी, जाले, दरभंगा –सदस्य
10. श्री सच्चिदानंद चौधरी, ग्रा0+पो0–चहुटा, भाया–कमतौल, जिला– मधुबनी –सदस्य
11. थानाध्यक्ष, कमतौल, जिला–दरभंगा –सदस्य

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————

अधिसूचना
1 सितम्बर 2022

सं0 1854––श्री लालेश्वरनाथ महादेव स्थान एवं श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम+मौजा+थाना–मरौना, जिला–सुपौल,बिहार राज्य धार्मिक न्यास,पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–4576/2021है।

पूर्व में उक्त मन्दिर की देख–भाल तत्कालीन सेवायत प्रभू नारायण पाण्डे द्वारा की जाती थी, जिसके स्वर्गवास के पश्चात् स्थानीय लोगों द्वारा मन्दिर की देख–भाल की जाती थी। ग्रामीणों द्वारा प्रार्थना–पत्र दिया गया था कि उक्त मन्दिर काफी प्राचीन है और चूंकि उक्त मन्दिर में 12 मूर्त्तियाँ है और जो काफी प्राचीन है, दुर–दुर से भक्त आते हैं, दान–चढ़ावा देते है, परन्तु उसका कोई हिसाब–किताब नहीं रखा जाता है। इस संबंध में अंचलाधिकारी तथा अनुमण्डल पदाधिकारी से न्यास समिति गठन हेतु दिनांक–07/09/2021 एवं दिनांक–03/09/2021 को पत्र लिखा गया, परन्तु कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ। इसी बीच ग्रामीणों द्वारा दिनांक–01/08/2021 को आम सभा करके 09 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव दिया गया, जो तत्कालीन मुखिया द्वारा प्रस्तावित भी था। इसी बीच प्रस्तावित नामों में से 03 व्यक्ति क्रमशः श्री प्रभाष चन्द्र मंडल, श्री विनोद कुमार मेहता एवं श्री निर्मल कुमार मेहता के विरूद्ध शिकायत–पत्र दाखिल किया गया कि उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक कांड दर्ज है तथा श्री विनोद मेहता और श्री निर्मल मेहता को विचारण न्यायालय द्वारा सजा भी दी जा चुकी है। उपरोक्त शिकायत–पत्र पर प्रस्तावित 03 व्यक्तियों से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उनके द्वारा कथन किया गया कि श्री विनोद मेहता एवं श्री निर्मल मेहता को मात्र 01 वर्ष की सजा दी गयी है और माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है और वह जमानत पर है। इसी बीच दिनांक–14/02/2022 को आम सभा कर ग्रामीणों द्वारा नये 09 नामों का प्रस्ताव दिया गया तथा 09 अन्य व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव दिनांक–24/04/2022 को एक बैठक कर प्रस्ताव दिया गया। इस प्रकार पर्षद के पास आम सभा के माध्यम से 03 प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और सभी प्रस्ताव को अनुमण्डल पदाधिकारी को प्रेषित करते हुए उनसे मंतव्य की मांग की गयी। इस स्पष्ट उल्लेख के साथ कि यदि कुछ नये नामों को जोड़ना या घटाना चाहते हों, तो उसका उल्लेख करते हुए शीघ्र प्रस्ताव भेजे, परन्तु खेद की बात है कि बार–बार पत्र लिखने के पश्चात् भी अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव प्रस्तावित नामों के संबंध में कोई मंतव्य या टिप्पणी नहीं प्राप्त हुआ है और चूंकि पूर्व में जैसा कि ग्रामीणों द्वारा कथन किया गया कि उक्त मन्दिर में लगभग 27 बी0 जमीन थी, जो अवैध रूप से बिक्रय कर दी गयी और कुछ पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है और वर्त्तमान में मात्र 03 बी0 भूमि बची हुई है।

पर्षद द्वारा निर्णय लिया गया कि शीघ्र न्यास समिति का गठन नहीं होने और बिलम्ब होने पर जो मन्दिर के कब्जे में भूमि है, उसका भी अतिक्रमण हो जाने की पुरी–पुरी संभावना है।

उपरोक्त परिस्थिति में आम सभा द्वारा प्राप्त सूची दिनांक–01/08/2021, दिनांक–14/02/2022 एवं दिनांक–24/04/2022 के विचारोपरान्त और सभी पक्षों की सहमति से उक्त मन्दिर की व्यवस्था हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है तथा निम्न न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए किया जाता है।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक–26/07/2022 के आलोक में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में एवं धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए का प्रयोग करते हुए **श्री लालेश्वरनाथ महादेव स्थान एवं श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम+मौजा+थाना– मरौना, जिला– सुपौल** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **श्री लालेश्वरनाथ महादेव स्थान एवं श्री राम जानकी मंदिर न्यास योजना, ग्राम+मौजा+थाना– मरौना, जिला–सुपौल** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **श्री लालेश्वरनाथ महादेव स्थान एवं श्री राम जानकी मंदिर न्यास समिति, ग्राम+मौजा+थाना–मरौना, जिला–सुपौल** जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिरकी गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा–11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा–428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास/मठ/मंदिर परिसर में रहने वाले पशुओं (गोवंश/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य ''पशु का वध'' होता हो या उक्त कार्यों को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी/सेवायत/महंत/न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों कीएक न्यास समिति 01 वर्ष हेतु अस्थायी रूप से गठित की जाती हैः–

1. अंचलाधिकारी, मरौना, जिला– सुपौल – अध्यक्ष
2. श्री राजनारायण निराला पिता– स्व० वैद्यनाथ यादव – उपाध्यक्ष
3. श्री प्रभाषचन्द्र मंडल पिता– वासुदेव प्रसाद मंडल – सचिव
4. श्री सूर्य नारायण सिंह पिता– यदु सिंह – कोषाध्यक्ष
5. श्री गयानंद ठाकुर पिता– श्री जीवछ ठाकुर – सदस्य
6. श्री शैलेन्द्र कुमार मेहता पिता– स्व० अच्छे लाल मेहता – सदस्य
7. श्री नारायण सिंह पिता– स्व० हरिनन्दन सिंह – सदस्य
8. श्री श्रवण कुमार साहू पिता– श्री ठको साहु – सदस्य
9. श्रीमति मालती कुमारीपति– विनोद कुमार मेहता – सदस्य
10. श्री राजू कुमार राउत पिता– स्व० जनक राउत – सदस्य

क्रम सं०– 2 से 10 का पता–ग्राम+मौजा+थाना– मरौना, जिला– सुपौल।

उक्त आदेश के आलोक में **श्री लालेश्वरनाथ महादेव स्थान एवं श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम+मौजा+थाना– मरौना, जिला–सुपौल** के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन /विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

संशोधित–अधिसूचना

————————

11 अगस्त 2022

सं0 1616––श्री शेषनाथ भगवान मंदिर,ग्राम–शाहपुर बराट (बेरी), अंचल–मोहनपुर, थाना–मोहनपुर (ओ०पी०), जिला–समस्तीपुर, बिहार राज्य धार्मिक न्यास, पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–1765 है। इस न्यास के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा सम्यक् विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक–735, दिनांक–26/05/22 द्वारा एक न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से किया गया है।

उक्त न्यास समिति के संबंध में, न्यास समिति द्वारा आपत्ति प्रस्ताव दिया गया है कि श्री अजय कुमार सिंह (पुर्व मुखिया), जिन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वे दुसरे गांव के निवासी हैं। न्यास समिति के आपत्ति पर विचार करते हुए श्री अजय कुमार सिंह को नोटिस भी निर्गत किया गया था, जिनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उनका कथन है कि उन्हें अध्यक्ष पद पर रहने की कोई इच्छा या लोभ नहीं है, उनकी केवल भावना है कि समाज की प्रत्येक प्रकार आर्थिक, धार्मिक कार्यों में सहयोग करें और यह आवश्यक नहीं है कि ग्रामीणों के प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु पर्षद बाध्य हो। यदि पर्षद उन्हें मंदिर के किसी कार्य हेतु निर्देशित करती है, या प्राधिकृत करती है, तो पुरी श्रद्धा एवं लगन के साथ वह कार्य करेंगे।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में श्री अजय कुमार सिंह को न्यास समिति के अध्यक्ष पद से विमुक्त करते हुये, उन्हें उक्त मंदिर का ''**संरक्षक**'', अंचलाधिकारी, मोहनपुर को ''**अध्यक्ष**'' तथा श्री विजय प्रसाद सिंह को ''**कार्यकारी अध्यक्ष**'' के पद पर मान्यता प्रदान की जाती है। श्री अजय कुमार सिंह को ''**संरक्षक**'' के पद पर नियुक्त करना इसलिए भी उचित होगा क्योंकि वे जनप्रतिनिधि हैं तथा उनके सहयोग एवं प्रयास से राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उक्त धार्मिक संस्था को प्राप्त हो सकेगा।

अतएव पर्षदीय आदेश दिनांक–22/07/22 के आलोक में पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक–735, दिनांक–26/05/2022 को संशोधित करते हुए उक्त अधिसूचना में वर्णित नियम/शर्त्तों के अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की संशोधित न्यास समिति कार्यरत रहेगी।

श्री अजय कुमार सिंह–संरक्षक (पुर्व मुखिया, धरनी पट्टी) मो०– 9973115453–	**''संरक्षक''**
1. अंचलाधिकारी, मोहनपुर, जिला–समस्तीपुर–	अध्यक्ष
2. श्री विजय प्र० सिंह पिता–स्व० चन्द्रशेखर प्र० सिंह उपाध्याय, मो०–9572010411–	कार्यकारी अध्यक्ष
3. डॉ० अशोक कु० सिंह पिता–सूर्यनारायण सिंह–मो०–9570437536	सचिव
4. श्री मुकेश कुमार सिंह पिता–पंचानन्द सिंह, मो०–7352109006–	कोषाध्यक्ष
5. श्री राकेश प्र० सिंह पिता–नन्दकिशोर सिंह, मो०–7050410170–	सदस्य
6. श्री ओमप्रकाश सिंह पिता–स्व०महेश्वरप्रसाद सिंह, मो०–9931400709–	सदस्य
7. श्री दीपनारायण सिंह पिता–स्व०राजोप्रसाद सिंह, मो०–8229802673–	सदस्य
8. श्री इन्दुभुषण सिंह पिता–स्व० योगेन्द्र सिंह, मो०–9934617820–	सदस्य
9. श्री विनोद कुमार सिंह पिता–स्व०विक्रमबहादुर सिंह, मो०–9771864476–	सदस्य
10. श्री ब्रजेश कुमार सिंह पिता–गंगेश्वरप्रसाद सिंह, मो०–8873760839–	सदस्य
11. श्री मनोज कुमार सिंह पिता–स्व०रामउद्दगार सिंह, मो०–9525299149–	सदस्य

क्रम सं०– 2 से 11 कापता–ग्राम– शाहपुरबराट(बेरी), था०–पटोरी मोहनपुर (ओ०पी०), जिला–समस्तीपुर।

आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

अधिसूचनाएं

2 दिसम्बर 2022

सं0 3044––पंचायती श्री विष्णु मंदिर एवं धर्मशाला, ग्राम+पो0–बारसोई बाजार, थाना–बारसोई, जिला–कटिहार पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्याससस है जिसकी निबंधन संख्या–3359/1999 है। दिनांक–07.11.2022 को न्यास समिति गठन हेतु आदेश पारित किया गया है।

पंचायती श्री विष्णु मंदिर एवं धर्मशाला, ग्राम+पो0–बारसोई बाजार, थाना–बारसोई की व्यवस्था हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक–3340 दिनांक–12.01.2016 द्वारा एक न्यास समिति का गठन किया गया था। न्यास समिति द्वारा नियमित रूप से अपनी आय–व्यय विवरणी पर्षद में दाखिल की जाती रही तथा मंदिर के नाम बैंक के खाते में आज की तिथि में 1,03199/– रूपयें जमा है। मंदिर में कुल मात्र 94 डिसमिल जमीन है। जिसमें 10 दुकानें है, कुछ राशि दान से भी प्राप्त होती है, पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। न्यास समिति के उपाध्यक्ष द्वारा कथन किया गया कि पॉच लाख रूपये न्यास समिति के आय से खर्च की गयी है शेष राशि दान–दाताओं द्वारा संगमरमर, सीमेंट, छड़ आदि दिया गया है। न्यास समिति का कार्य संतोषजनक प्रतीत होता है। इस संबंध में फोटोग्राफ दाखिल की गयी है।

न्यास समिति का कार्यकाल समाप्त होने पर पर्षदीय पत्रांक–1270 दिनांक–07.07.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, बारसोई से नामों की मांग की गयी। अंचल अधिकारी ने अपने पत्रांक–1212 दिनांक–08.08.2022 द्वारा 09 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव दिया। जिसमें पूर्व न्यास समिति के 05 व्यक्तियों को शामिल किया गया तथा 04 अन्य व्यक्तियों का प्रस्ताव दिया

गया। जिनका चरित्र सत्यापन हेतु पर्षदीय पत्रांक–2286 दिनांक–28.09.2022 द्वाना थाना से कराने हेतु भेजा गया। परन्तु अभी तक चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अतः उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए उक्त मंदिर की नियमित पूजा पाठ,राग–भोग एवं धर्मशाला की व्यवस्था और उसकी सम्पत्तियों की सुरक्षा आदि हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक–07.11.2022 द्वारा ''पंचायती श्री विष्णु मंदिर एवं धर्मशाला, ग्राम+पो0–बारसोई बाजार, थाना–बारसोई, जिला–कटिहार'' के लिए एक योजना का निरूपण करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए की जाती है। चरित्र सत्यापन प्राप्त होने पर न्यास समिति का नियमित किये जाने पर विचार किया जायेगा।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''पंचायती श्री विष्णु मंदिर एवं धर्मशाला, न्यास योजना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''पंचायती श्री विष्णु मंदिर एवं धर्मशाला, न्यास समिति''होगी जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक्, संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा और आवश्यकतानुसार राशि की निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. न्यास के खाता का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। इस संबंध में न्यास समिति बैंक को भी सूचित करेगी।

5. न्यास समिति यदि किसी प्रकार का काई धार्मिक आयोजन करता है और उसमें 05 लाख से अधिक राशि व्यय होने का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार न्यास समिति को मंदिर के विकास या संरचना मद में 10 लाख रूपये या उससे अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान हो तो उस अनुमानित खर्च का विवरणी प्रस्तुत कर पूर्वानुमति न्यास समिति को प्राप्त करना आवश्यक है और यदि उपरोक्त राशि निर्धारित सीमा के अंदर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जायेगी।

6. न्यास समिति किसी भी सदस्य को मंदिर की भूमि बेचने या बंधक रखने का अधिकार नहीं होगा।

7. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास का आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

8. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

9. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जोगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

10. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

11. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

12. न्यास समिति के किसी भी सदस्य को न्यास की अचल सम्पत्ति को बिक्री करने, बदलैन करने एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए किराया देने का कोई अधिकार नहीं होगा जबतक कि लिखित रूप में इस संबंध में पूर्व सहमति पर्षद से प्राप्त नहीं कर लिया जाय। साथ ही न्यास समिति के सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

13. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

14. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1990 (पी0सी0ए0) की धारा–11, भारतीय दंड संहिता (I.P.C) की धारा–428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। अतः न्यास/मठ/मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के पशुओं (गोवंश/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नही देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसका उद्देश्य ''पशु की क्रुरता एवं वध'' होता हो या उक्त कार्यो का बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी/सेवायत/महंत/न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित 09 सदस्यों की न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए किया जाता है। थाना से चरित्र सत्यापन प्राप्त होने पर न्यास समिति नियमित किये जाने पर विचार किया जायेगा।

1. श्री मुन्ना लाल भगत, पिता–मोतिलाल भगत	–	अध्यक्ष
2. श्री सुनील कुमार, पिता– राजेन्द्र प्रसाद भगत	–	उपाध्यक्ष
3. श्री अजय कुमार साह, पिता– स्व0 हेमन्त प्रसाद साहा	–	सचिव
4. श्री रौशन अग्रवाल, पिता– स्व0 जगदीश प्रसाद अग्रवाल	–	उप–सचिव
5. श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, पिता– श्री कपील देव गुप्ता	–	कोषाध्यक्ष

6. श्री बिरेन्द्र कुमार साह, पिता–रामदास साह – सदस्य
7. श्री संजीव कुमार दास, पिता–सुरेन्द्र कुमार दास – सदस्य
8. श्री सागर कुमार साह, पिता–श्री अवध किशोर प्रसाद – सदस्य
9. श्री आनन्द कुमार गुप्ता, पिता–स्व0 सुनील प्रसाद गुप्ता – सदस्य

सभी ग्राम+पो0– बारसोई बाजार, जिला–कटिहार, पिनकोड–855102.

नोटः–न्यास समिति/ पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमिका हस्तांतरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लिज आदि पर देने या किसी भी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शून्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

16 दिसम्बर 2022

सं0 3204––कबीर मठ, ग्राम–बेंगवाही, पो0–परसाहाट, थाना+अंचल–रानीगंज, जिला–अररिया पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है जिसकी निबंधन संख्या–4479/2018 है। न्यास समिति गठन हेतु दिनांक–03.11.2022 को सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है।

वसीयतनामा दिनांक– 26.10.1989 द्वारा बुलाकी दास पिता–काशी दास ने छोटा विमल दास के नाम से थाना सं0–80, तौजी नं0–07/11, अंचल–रानीगंज के खात सं0–336, 337 खेसरा क्रमश'01 एव 99 डि0, 01 ए0 80 डि0 कुल भूमि 03 ए0 79 डि0 भूमि निबंधित विलेख द्वारा निष्पादित किया । छोटा विमल दास ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक–17.02.17 जिसपर 21 लोगों के हस्ताक्षर थे, दाखिल किये कि वह 105 वर्ष के हो चुके हैं और उम्र अधिक होने के कारण उक्त मठ की देखभाल करने में असमर्थ हूँ, उक्त जमीन को पर्षद के अधिन करने का आग्रह किया और श्री विद्यानंद दास पासवान को सेवायत की मान्यता प्रदान करने का आग्रह किया। जिससे की मठ की सुरक्षा हो सके। शपथ पत्र के साथ साथ मठ की फोटोग्राफ भी दिनांक–23.02.2018 को दाखिल किया । विद्यानंद दास पासवान द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक–21.08.2019 दाखिल कर स्वयं को न्यासी का प्रमाण–पत्र देने का अनुरोध किया। जिसपर पर्षदीय पत्रांक–2366 दिनांक–06.10.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, रानीगंज से रिर्पोट की मांग की गयी। साथ ही सभी पक्षों को नोटिस भेजकर सुनवाई हेतु पर्षद में उपस्थित होने को कहा गया।

दिनांक–03.11.2022 को श्री विद्यानन्द दास उपस्थित नहीं हुए। ग्रामीणों की ओर से श्री अनिल यादव, सत्यनारायण यादव, परमेश्वरी यादव उपस्थित है। प्रार्थीगण द्वारा एक रजिस्टर पर्षद में दाखिल किया गया, जिसमें दिनांक–30.10.2018 को एक बैठक में 07 व्यक्तियों को मठ की व्यवस्था हेतु नामित किया गया तथा उल्लेख किया गया कि मठ की भूमि जय प्रकाश दास को 20,000/–रूपयें प्रति एकड़ पर दिया गया । दिनांक–30.10.2018 के ही बैठक में मठ की साफ–सफाई करने, मठ के लिए स्पीकर खरीदने के संबंध में है। बैठक दिनांक–10.10.218 को मठ की कुछ बांस विक्रय किया गया और उस राशि का खर्च मठ के साफ–सफाई कराने में किया गया। दिनांक–08.11.2019 की बैठक में निर्णय लिया गया कि पुराने दर पर ही भूमि की बंदोबस्ती पूर्व के ही व्यक्ति को कर दी जाये और मठ में रहने वाली दासिन को 1000/– खर्च के रूप में दिया जायेगा। अन्य बातों का उल्लेख करते हुये ग्रामीणों द्वारा वर्ष 2018 में गठित स्वयं–भू न्यास समिति को मान्यता प्रदान करने का अनुरोध करते है जिससे कि मठ का संचालन उचित रूप में हो सके। यह भी स्वीकार किया कि प्रस्तावित नामों में सदानंद पासवान का स्वर्गवास हो चुका है। साथ ही उपस्थित श्री परमेश्वरी मंडल का कथन है कि वे कबीर मठ से संबंधित है और कंठी ले चुके हैं और विद्यानंद दास को भी विमल दास ने अपने पत्र दिनांक–14.12.2017 द्वरा मठ की देखभाल के लिए अधिकृत किया था।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रस्तावित नामों में सदानंद पासवान के स्थान पर विद्यानंद दास का शामिल करते हुए अर्थात सभी 07 सदस्य परमेश्वरी मंडल, विद्यानंद पासवान को भी शामिल करते हुए मठ की व्यवस्था, राग–भोग, विकास, उसके सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण आदि के उद्देश्य से बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0 43(द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक–03.11.2022 द्वारा ''**कबीर मठ, ग्राम–बेंगवाही, पो0–परसाहाट, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया''** के सुचारू प्रबंधन, न्यास सम्पत्ति की सुरक्षा, एवं सर्वांगीण विकास हेतु अग्रलिखित योजना का निरूपण करते हुए इसके कार्यान्व्यन हेतु एक न्यास समिति का गठन **अस्थायी** रूप एक वर्ष के लिए किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**कबीर मठ, ग्राम–बेंगवाही, पो0–परसाहाट, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया''** न्यास योजना होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **कबीर मठ, ग्राम–बेंगवाही, पो0–परसाहाट, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया,न्यास समिति''**होगी जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य मठ की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा इसके परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. दाताओं से प्राप्त की गयी राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर समीप के किसी **राष्ट्रीयकृत बैंक** में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा और आवश्यकतानुसार राशि की निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाता का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा और न्यास की समग्र आय उसमें जमा की जायेगी।**

5. न्यास समिति किसी भी सदस्य को मठ की भूमि बेचने या बंधक रखने का अधिकार नहीं होगा।

6. न्यास समिति अधिनियम एवं उप– विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास का आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

7. अध्यक्ष की अनुमति से उपाध्यक्ष न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जोगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

10. न्यास समिति के किसी भी सदस्य को न्यास की अचल सम्पत्ति को बिक्री करने, बदलैन करने एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए किराया देने का कोई अधिकार नहीं होगा जबतक कि लिखित रूप में इस संबंध में पूर्व सहमति पर्षद से प्राप्त नहीं कर लिया जाय।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ उठाते पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि, आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

12.गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1990 (पी0सी0ए0) की धारा–11, भारतीय दंड संहिता (I.P.C) की धारा–428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। अतः न्यास/मठ/मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के पशुओं (गोवंश/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नही देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसका उद्देश्य **''पशु की क्रुरता एवं वध''** होता हो या उक्त कार्यो का बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी/सेवायत/महंत/न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

13.इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित 07 सदस्यों की न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए किया जाता है :–

1. श्री शशि कान्त मिश्रा	– अध्यक्ष
2. श्री श्याम चौपाल	– उपाध्यक्ष
3. श्री अनिल यादव	– सचिव
4. श्री राकेश मेहता	– कोषाध्यक्ष
5. श्री विद्यानंद दास	– सदस्य (संरक्षक एवं धार्मिक आयोजन हेतु अधिकृत)
6. श्री परमेश्वरी मंडल	– सदस्य
7. श्री भागवत राम	– सदस्य

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेखों में संबंधित भूमि **''कबीरमठ, ग्राम–बेंगवाही, पो0–परसाहाट, थाना+अंचल–रानीगंज, जिला–अररिया''** के नाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। थाना से चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर न्यास समिति को स्थायी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

नोटः–**न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तांतरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लिज आदि पर देने या किसी भी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शून्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।**

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

———————

18 जून 2022

सं0 1124––श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम–महाराजी, पो0–हरपट्टी, थाना–जानकी नगर, जिला–पूर्णियॉ पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है जिसकी निबंधन संख्या–4223/2012 है। पूर्व में उपेन्द्र यादव व अन्य द्वारा निजी होने का दावा किया जाता रहा है, जिसमें पक्षों को सुनने के पश्चात् दिनांक–12.08.2014 को निजी होने के दावे को निरस्त करते हुए, उसे सार्वजनिक धार्मिक न्यास घोषित किया गया है। मन्दिर की मूर्त्ति चोरी हो गयी थी, जो बरामद हो गयी, जिसका जी0 आर0 संख्या–3324/12 के रूप में विचार किया गया, जिसमें उक्त उपेन्द्र यादव द्वारा उन मूर्त्तियों को अपना निजी होने का दावा किया गया है, जिसे न्यायिक दण्डाधिकार द्वारा दिनांक–24.08.2017 को उनके दावे का निरस्त

करते हुए उन मूर्त्तियों को व्यक्तिगत नहीं माना गया तथा खतियान में भी **श्री राम जानकी मन्दिर** जिसके सेवायत के रूप में **राम लखन दास का नाम इन्द्राज** है। उक्त मन्दिर की नियमित पूजा–पाठ, व्यवस्था हेतु न्यास समिति न्यास समिति गठन किये जाने हेतु नामों की मांग पिछले 03 वर्षो से की जा रही थी। दिनांक–26.12.2020 को अनुमण्डल पदाधिकारी के पत्रांक–2618 द्वारा 11 सदस्यों के नामों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसका चरित्र सत्यापन भी दिनांक–29.10.2021 को प्राप्त हो चुका है। जिसमें प्रस्तावित नामों के विरूद्ध किसी प्रकार के आपराधिक इतिहास नहीं होने का उल्लेख कियाहै।

अतः पर्षद के माननीय सदस्य महंत विजय शंकर गिरि की उपस्थिति में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक–09.05.2022 द्वारा ''**श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम–महाराजी, पोस्ट–हरपट्टी, थाना–जानकी नगर, जिला–पूर्णियॉ**'' के सुचारू प्रबंधन, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सर्वांगीण विकास हेतु निम्नलिखित योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम–महाराजी, पो0–हरपट्टी, थाना–जानकी नगर, जिला–पूर्णियॉ**'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम–महाराजी, पो0–हरपट्टी, थाना–जानकीनगर, जिला–पूर्णियॉ**'' होगा जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक्, संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा और आवश्यकतानुसार राशि की निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. न्यास के खाता का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

5. न्यास समिति यदि किसी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन करता है और उसमें 05 लाख से अधिक राशि व्यय होने का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार न्यास समिति को मंदिर के विकास या संरचना मद में 10 लाख रूपये या उससे अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान हो तो उस अनुमानित खर्च का विवरणी प्रस्तुत कर पूर्वानुमति न्यास समिति को प्राप्त करना आवश्यक है और यदि उपरोक्त राशि निर्धारित सीमा के अंदर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जायेगी।

6. न्यास समिति किसी भी सदस्य को मंदिर की भूमि बेचने या बंधक रखने का अधिकार नहीं होगा।

7. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रति वर्ष न्यास का आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

8. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

9. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

10. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

11. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

12. न्यास समिति के किसी भी सदस्य को न्यास की अचल सम्पत्ति को बिक्री करने, बदलैन करने एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए किराया देने का कोई अधिकार नहीं होगा जबतक कि लिखित रूप में इस संबंध में पूर्व सहमति पर्षद से प्राप्त नहीं कर लिया जाय। साथ ही न्यास समिति के सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

13. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित 11 सदस्यों की न्यास समिति का गठन 05 वर्ष के लिए किया जाता है :–

अतः प्रस्तावित नामों की न्यास समिति का गठन किया जाता है साथ ही मन्दिर की व्यवस्था हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है :–

1. श्री निषेध कुमार यादव, पिता–श्री गुरू प्रसाद यादव – अध्यक्ष
2. श्री सच्चिदानंद यादव पिता–स्व0 विसुनदेव यादव –उपाध्यक्ष
3. श्री संतोष कुमार सुमन, पिता–श्री महेन्द्र यादव –सचिव
4. श्री विनोद कुमार मंडल, पिता–श्री महेन्द्र मंडल –कोषाध्यक्ष
5. श्री विद्यानन्द यादव पिता–श्री गणेश प्रसाद यादव –सदस्य
6. श्री रौशन शर्मा, पिता–श्री नंदलाल शर्मा –सदस्य
7. श्री सुबोध कुमार ठाकुर पिता–श्री बिन्देश्वरी ठाकुर –सदस्य
8. श्री अवधेश मंडल पिता–श्री विद्यानंद मंडल –सदस्य

9. श्री नित्यानंद पासवान, पिता–श्री रब्बी पासवान –सदस्य
10. श्री रंजीत ऋषि, पिता–श्री सरेश ऋषि –सदस्य
11. श्री सुरेन्द्र राम, पिता–श्री डोमीराम –सदस्य

सभी साकिन–महाराजी पो0–हरपट्टी, थाना–जानकीनगर, जिला–पूर्णियाँ।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेखों में संबंधित भूमि **''श्री राम जानकी मंदिर, महाराजी, हरपट्टी, पूर्णियॉ''** के नाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/ पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमिका हस्तांतरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लिज आदी पर देने या किसी भी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शून्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

2 जुलाई 2022

सं0 1181––जगरनाथ धर्मशाला, लाईन बाजार, पूर्णियॉ पर्षद में निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है जिसकी निबंधन संख्या–1902 है। **ध**र्मशाला के प्रबंधन के लिए न्यास समिति गठन हेतु दिनांक–28.05.2022 को सुनवाई कर विस्तृत आदेश पारित किया गया।

धर्मशाला की स्थापना मो0 जानकीवती चौधराईन पति जगरनाथ चौधरी द्वारा निबंधित दान–पत्र दिनांक–19.04.1943 द्वारा धर्मशाला बनाकर समर्पित की थी। यह धर्मशाला दो मंजिला भवन, जो पूर्णियॉ के वार्ड नं0–19, हो0 नं0–14 में स्थित है। धर्मशाला के संबंध में तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी को अपनी रिपोर्ट दिनांक– 02.10.1996 भी समर्पित की थी, जिसके अनुसार धर्मशाला लाईन बाजार में खजांची हाट से पूरब स्थित है। जिसमें 11 कमरे, 02 आँगन है। शौचालय, स्नानागार की व्यवस्था है और मुख्य भाग में 06 दुकाने भी है। वसीयतनामा में उल्लेख किया गया है कि धर्मशाला में बहुत से लोग आते है और रूकते है, आराम करते है तथा उल्लेख किया है कि प्रार्थीनी के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है और उनकी ईच्छा है कि **धर्मशाला हमेसा जारी रहे व नाम निशान बाबू जगरनाथ चौधरी का चलता रहे। इसी उद्देश्य से उनके द्वारा 20 हजार 02 रुपये सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, पूर्णिया में श्री जगरनाथ धर्मशाला वजरिये बाबू रामचन्द्र प्रसाद जमा करा दिया है। उल्लेख किया कि जो बर्तन की दुकान है जिसकी कीमत लगभग 04 हजार 01 रुपया है, वह भी धर्मशाला के नामत अर्पण किया है और धर्मशाला के इन्तेजामकार रामचन्द्र प्रसाद एवं ट्रस्टी रामचन्द्र प्रसाद, भूवनेश्वरी लाल चौधरी एवं बाबू बृज मोहन केडिया के ट्रस्टीयान मजकुर मोकर्रर किया।** उक्त वसीयत में ही यह उल्लेख है कि बाबू रामचन्द्र प्रसाद ट्रस्टी अपने बाल–बच्चा के साथ निचला मकान पोख्ता में रहेंगे और बादस्तुर बर्तन की दुकान चलायेंगे तथा जायसवाल प्रिंटिस प्रेस कटिहार की धर्मशाला की निगरानी करें और प्रिंटिस प्रेस तथा बर्तन की दुकान की आमद तथा शुद से प्राप्त पैसा धर्मशाला के खाता में जमा करेंगे इस एवज में 60 रुपया माहवारी भी अपना ले लिया करेंगे।उक्त समर्पणनामा पर विचारोपरान्त पर्षद ने उक्त धर्मशाला जो पूणित कार्य के लिए स्थापित की गयी थी, उसे सार्वजनिक प्रकृति का मानते हुए निबंधन किया है ।

धर्मशाला के प्रबंधन हेतु पर्षद के ज्ञापांक–1438 दिनांक– 16.6.1996 द्वारा अधिसूचना निर्गत कर न्यास समिति का गठन किया गया। न्यास समिति का कार्य–कलाप के संबंध में तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी को प्रेषित अपनी रिपोर्ट दिनांक–02.10.1996 में उल्लेख किया कि समिति के अध्यक्ष सीताराम जायसवाल वह, समिति को हिसाब–किताब उचित रूप से नहीं दिया जाता था तथा समिति के सदस्यों ने ही आपस में एक–दुसरे के विरूद्ध मुकदमा दाखिल कर रखा था। 1996 में गठित न्यास समिति के विरूद्ध भी कुछ शिकायत प्राप्त हुई तथा हरेन्द्रनाथ चौधरी द्वारा नयी न्यास समिति बनाये जाने का प्रार्थना–पत्र दिया गया, जिसमें न्यास समिति से स्पष्टीकरण की मांग की गयी और दुसरी बार 19.06.2001 को न्यास समिति द्वारा आय–व्यय विवरण दाखिल की गयी। विशेष परिस्थितिवश उक्त अनियमितता के बावजूद न्यास समिति का गठन नहीं किया जा सका । वर्ष 1996 में गठित न्यास समिति के अधिकांश सदस्य का स्वर्गवास हो चुका है। इस संबंध में दिनांक–06.06.2012 को भी न्यास समिति के सचिव सत्यनारायण जायसवाल से भी न्यास समिति को भंग करने तथा नयी न्यास समिति बनाये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी।

उपरोक्त सभी परिस्थितियाँ यह स्पष्ट कर रही थी कि पिछले लगभग 20 वर्षो से धर्मशाला की स्थिति कुव्यवस्था का शिकार थी और उसकी स्थिति दिन–प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। इसी बीच न्यास समिति द्वारा धर्मशाला के पूर्व इन्तेजामकार रामचन्द्र चौधरी के पुत्र हेमनारायण चौधरी के विरूद्ध एक हकीयत वाद 188/91 दाखिल किया गया था, चूंकि समर्पणनामा में उल्लेखित शर्त के अनुसार रामचन्द्र चौधरी को दानकर्त्ता ने मकान उनके जीवनकाल तक उनके परिवार के साथ रहने के लिए दिया था, परन्तु उनके पुत्रों द्वारा पुरे मकान पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। उक्त वाद एक पक्षीय रूप से दिनांक–25.04.2009 में न्यास समिति के पक्ष में निर्णित हुआ था, परन्तु इसी बीच प्रतिवादी हेमनारायण चौधरी के स्वर्गवास के पश्चात् उनके पुत्र संजीत चौधरी और रंजीत चौधरी को पक्षकार बनाया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध मिस0 केश 22/09 दाखिल किया। जिसमें पूर्व के आदेश दिनांक–25.04.2009 को निरस्त करते हुए पुनः सुनकर निर्णय किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध जगरनाथ धर्मशाला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय वाद संख्या–89/2011 दाखिल किया गया और उक्त निगरानी भी दिनांक–29.08.2013 को निरस्त हुआ तथा मिस वाद 22/09 में पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पायी गयी। उपरोक्त तथ्य यह स्पष्ट करता है कि हकीकत वाद 188/91 वर्त्तमान में

विचाराधीन है। पर्षद की जानकारी में यह भी तथ्य लाया गया कि राजेश कुमार भगत जो गौरी शंकर भगत के पुत्र है, इनके द्वारा मिस0 केश 23/2013 दाखिल किया गया है, जिसमें न्यास समिति के सदस्य, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को भी पक्षकार बनाया गया है। उक्त वाद भी वर्त्तमान में विचाराधीन है। इसमें किसी प्रकार की कोई अंतिम आदेश नहीं पारित है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर सभी पक्षों को विस्तारपूर्वक दिनांक–10.12.2020, 23.02.2021, 27.03.2021 को सुना जा चुका है और निर्णय लिया गया कि उक्त सार्वजनिक पूणित कार्य हेतु गठित संस्था (धर्मशाला) में दानकर्त्ता की ईच्छानुसार उचित प्रबंधन के लिए वर्ष 1996 में गठित न्यास समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अधिकांश सदस्यों का स्वर्गवास हो गया है और किसी भी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई अंतरिम आदेश भी नहीं है। न्यास समिति गठन किये जाने के संबंध में ग्रामीणों की आमसभा दिनांक–12.01.2020 को आयोजित की गयी और उनके द्वारा 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव न्यास समिति के लिए तथा 04 व्यक्ति संरक्षक के रूप में रखे जाने का प्रस्ताव पर्षद को उपलब्ध कराया गया। साथ ही अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा पत्रांक–755, दिनांक–07.08.2020 द्वारा 14 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव भेजा।

दिनांक– 28.05.2022 को पर्षद के मा0 सदस्य श्री चंदन सिंह और अध्यक्ष की उपस्थिति में धर्मशाला के संप्रबंधन हेतु न्या समिति के गठन के बिन्दु पर सुनवाई रखा गया हैं । आज पर्षद के समक्ष श्री दिवाकर चौधरी, अशोक जयसवाल, प्रिंस जयसवाल, संजीव कुमार तथा द्वितीय पक्ष राजेश जायसवाल, ओमनाथ चौधरी, राजेश कुमार भगत पुत्र गौरी शंकर भगत उपस्थित है। न्यास समिति गठन के बिन्दु पर सभी पक्षों को विस्तार पूर्वक सुना गया।

अतः उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए पर्षद के माननीय सदस्य श्री चंदन सिंह की उपस्थिति में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक– 28.05.2022 के द्वारा ''**जगरनाथ धर्मशाला, लाईन बाजार, पूर्णियॉ, जिला– पूर्णियॉ**'' के सुचारू प्रबंधन, जीर्णोद्धार, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सर्वांगीण विकास हेतु निम्नलिखित योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए आमसभा तथा अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्राप्त नामों में से अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए न्यास समिति का गठन किया जाता है और यदि कार्य संतोषजनक पाया गया और चरित्र सत्यापन प्राप्त होने पर स्थायी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**जगरनाथ धर्मशाला, लाईन बाजार, पूर्णियॉ, जिला– पूर्णियॉ**'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''''**जगरनाथ धर्मशाला, लाईन बाजार, पूर्णियॉ, जिला– पूर्णियॉ**'' होगा जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य धर्मशाला का जीर्णोद्धार, सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन करना होगा।

3. न्यास समिति को निर्देश दिया जाता है कि सर्वप्रथम धर्मशाला के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोले और जैसा कि उपस्थित सदस्य द्वारा कथन किया गया है क समाज के बहुत से लोग धर्मशाला के जीर्णोद्धार तथा जमीन पर दानकर्त्ता की ईच्छानुसार कन्या विद्यालय के लिए राशि देने का आश्वासन दिया है। इस संबंध में उन्हें निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त सूची पर्षद के समक्ष दें औरकोई निर्माण करने के पूर्व पर्षद से अनुमोदन प्राप्त कर ले और सभी मिलकर उस धर्मशाला का जीर्णोद्धार आम जनता को अधिक से अधिक सुविधा तथा धर्मशाला की आय बढ़ाने का प्रयास करे।

4. न्यास के खाता का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

5. न्यास समिति यदि किसी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन करता है और उसमें 05 लाख से अधिक राशि व्यय होने का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार न्यास समिति को धर्मशाला के विकास या संरचना मद में 10 लाख रूपये या उससे अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान हो तो उस अनुमानित खर्च का विवरणी प्रस्तुत कर पूर्वानुमति न्यास समिति को प्राप्त करना आवश्यक है और यदि उपरोक्त राशि निर्धारित सीमा के अंदर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जायेगी।

6. न्यास समिति किसी भी सदस्य को धर्मशाला की भूमि बेचने या बंधक रखने का अधिकार नहीं होगा।

7. न्यास समिति अधिनियम एवं उप– विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास का आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

8. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

9. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जोगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

10. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

11. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

12. न्यास समिति के किसी भी सदस्य को न्यास की अचल सम्पत्ति को बिक्री करने, बदलैन करने एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए किराया देने का कोई अधिकार नहीं होगा जबतक कि लिखित रूप में इस संबंध में पूर्व सहमति पर्षद से प्राप्त नहीं कर लिया जाय। साथ ही न्यास समिति के सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

13. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित 11 सदस्यों की न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए किया जाता है :–

1. अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, पूर्णियाँ	– अध्यक्ष
2. श्री दिनानाथ चौधरी	– उपाध्यक्ष
3. श्री अशोक जायसवाल	– उपाध्यक्ष
4. श्री दिवाकर चौधरी	– सचिव
5. श्री प्रिंस जायसवाल	– कोषाध्यक्ष
6. डा0 प्रवीण कुमार चौधरी	– सह–कोषाध्यक्ष
7. श्री आश नारायण चौधरी	– सदस्य
8. श्री संजीत कुमार जायसवाल	– सदस्य
9. डॉ0 विजय वर्मा	– सदस्य
10. श्री कैलाश जायसवाल	– सदस्य
11. श्री अमर चौधरी	– सदस्य

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि **''जगरनाथ धर्मशाला, लाईन बाजार, पूर्णियॉ,** के नाम में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–**न्यास समिति के पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तांतरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी भी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शून्य वो अवैध होगा तथा न्रास समिति के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।**

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

2 सितम्बर 2022

सं0 1877––श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, भवानीपुर राजधाम, पूर्णियॉ पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है जिसकी निबंधन संख्या–1993 है। न्यास समिति गठन हेतु दिनांक–01.08.2022 को सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है।

पूर्व में उक्त मंदिर का देखभाल महंत मोती दास, न्यासधारी द्वारा की जाती थी। उनके स्वर्गवास के पश्चात् मंदिर की देखभाल तेजनारायण दास नामक व्यक्ति द्वारा की जाने लगी। वर्ष 2004 में उनके द्वारा न्यास भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा की सूचना दी गयी। अंचलाधिकारी ने अपने रिपोर्ट दिनांक–30.03.2012 न्यास में कुल 5.75 एकड़ जमीन है, जिसमें मंदिर परिसर में 2.41 ए0 तथा 3.36 ए0 जोत की भूमि एवं मंदिर परिसर में 10 दुकानें है। मंदिर परिसर के अंतर्गत एक पोखर है जिसका जीर्णोद्धार कराने से मंदिर की आमदनी बढ़ सकती है। मंदिर के भूमि के दुरूपयोग के संबंध में तेजनारायण दास से स्प्ष्टीकरण की मांग की गयी । अधिवक्ता मनोज कुमार झा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक–01.10.2013 द्वारा सूचना दी कि तेजनारायण दास जो मंदिर की व्यवस्था करते थे, उनका स्वर्गवास दिनांक–30.03.2013 को हो गया है । सदस्य श्री मकुनी मंडल का कथन है कि वर्ष 2009 के पूर्व ही महंत तेजनारायण दास को गॉव में सभा करके मंदिर की सुरक्षा हेतु उन्हें वहॉ से निष्कासित कर दिया गया था और स्वयं–भू–न्यास समिति का गठन वर्ष 2009 में किया गया था और उक्त तेजनारायण दास पूर्णियॉ में रहते हुए मौजा डेवरी में मंदिर के नाम से जो 11 ए0 भूमि थी, उसे अवैध रूप से तीन विक्रय पत्रों के द्वारा दिनांक–26.10.2010, 23.11.2011 को किया गया है। साथ ही यह भी कथन करते हैं कि वर्ष 2009 में जो स्वयं–भू न्यास समिति बनी थी, उसमें भी अधिकांश सदस्यों का स्वर्गवास हो चुका है और कथन करते है कि मौजा–भवानीपुर जिसमें मंदिर अवस्थित है, वहॉ की कुल भूमि अभी भी सुरक्षित है। जिसमें 02 ए0 95 डी0 जमीन बंदोबस्ती पर दी जाती है। जिससे मंदिर को आय प्राप्त होती है तथा मौजा देवरी की जो भूमि है, वह मंदिर की भूमि से लगभग **20** किलोमीटर दूर है परंतु समिति द्वारा आपत्ति करने पर किसी भी भूमि पर दाखिल–खारिज क्रेता के नाम पर नहीं हुआ है। मौजा देवरी का 14.5 एकड़ भूमि का विक्रय 12.02.1935 को निष्पादित किया गया था, का खाता सं0–144 (क) खेसरा सं0–56 एरिया–08 ए0 60 डी0 जिसका वर्त्तमान राजस्व विलेख में खाता सं0–274 खेसरा नं0– 1751, 1752, 1753, 1755, 1756, 1757 एवं 2108 तथा खाता सं0–144 (ख) जिसका खेसरा सं0–316, 317, 318, 319, 416 कुल एरिया–5 ए0 45 डी0 है। उक्त भूमि के संबंध में कथन किया गया कि लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमित कर लिया गया है। आगे कथन करते हैं कि गॉव में आम सभा दिनांक–30.03.2022 को आयोजित की गयी, उस बैठक में 26 लोगों के नामों का प्रस्ताव न्यास समिति हेतु किया गया जिसकी प्रति पर्षद को भेजी गयी। इसके पूर्व दिनांक–14.01.2020 एवं 31.12.2017 को बैठक का प्रस्ताव पास किया गया था, इसमें भी 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव था। प्रस्तावित नामों का चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाना को दिनांक–21.02.2022 एवं 08.6.2022 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जो अप्राप्त है।

दूसरी तरफ श्री शंकर दास द्वारा दिनांक–09.05.2022 को अपने अधिवक्ता श्री आशुतोष झा के साथ उपस्थित थे, उनका कथन था कि वह तेजनारायण दास के शिष्य है और तेजनारायण दास के समय से मंदिर में पूजा–पाठ, राग–भोग का कार्य करते हैं। ग्रामीणों द्वारा उन्हें मंदिर की देखभाल आदि के लिए नियुक्त किया गया है तथा कथन करते है कि उन्हें

मंदिर का महंत बनाया जाए। जबकि ग्रामीणों का कथन है कि वह कभी मंदिर नहीं आते–जाते है और मंदिर की भूमि को विक्रय करने हेतु सदैव तत्पर रहते है और वर्तमान में मंदिर का पूजा–पाठ पुजारी श्री मनोज पाठक द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मंदिर की मौजा देवरी में लगभग 14 एकड़ भूमि पूर्व में महंत/न्यासी का दावा करने वाले तेजनारायण दास द्वारा कुछ भाग विक्रय कर दिया गया एवं कुछ अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है और भवानीपुर के ग्रामीणों द्वारा अपने प्रयास से उक्त जमीन पर दाखिल–खारिज में आपत्ति दाखिल की गयी जो अभी भी विचाराधिन है और भवानीपुर स्थित मंदिर और उसकी भूमि अभी भी सुरक्षित है ।

अतः पर्षद के माननीय सदस्य की उपस्थिति में बिहार हिन्दूधार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं043(द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक–01.08.22 द्वारा ''**श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, भवानीपुर राजधाम, पूर्णियॉ''** के सुचारू प्रबंधन, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवंसर्वांगीण विकास हेतु निम्नलिखित योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसके कार्यान्व्यन एवं संचालन के लिए न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए किया जाता है । थाना से चरित्र सत्यापन प्राप्त होने के पश्चात् न्यास समिति के स्थायी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, भवानीपुर राजधाम, पूर्णियॉ''** न्यास योजनहोगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, भवानीपुर राजधाम, पूर्णियॉ''न्यास समिति''**होगा जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास समिति न्यास परिसर में जगह–जगह दान–पात्र रखें जायेगें और निर्धारित तिथि को न्यास समिति के सदस्यों के समक्ष दान–पेटी खोल कर राशि की गणना की जायेगी और उस राशि का न्यास के बचत खाता में जमा की जायेगी।न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोकर जमा किया जायेगा ओर आवश्यकतानुसार राशि की निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. न्यास के खाता का संचालन दो सदस्यों **(सचिव एवं कोषाध्यक्ष)** के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। न्यास की समग्र आय इसमें जमा की जायेगी।

5. न्यास समिति यदि किसी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन/मंदिर निर्माण/मरम्मती आदि करता है और उसमें 05 लाख से अधिक राशि व्यय होने का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगाऔर यदि उपरोक्त राशि निर्धारित सीमा के अंदर आती है, तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जायेगी।

6. न्यास समिति किसी भी सदस्य को मंदिर की भूमि को बेचने या बंधक रखने का अधिकार नहीं होगा।

7. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।

8. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

9. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

10. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

11. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।

12. न्यास समिति के किसी भी सदस्य को न्यास की अचल सम्पत्ति को बिक्री करने, बदलैन करने एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए किराया देने का कोई अधिकार नहीं होगा जबतक कि लिखित रूप में इस संबंध में पूर्व सहमति पर्षद से प्राप्त नही कर ली जाय। साथ ही न्यास समिति के सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

13. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

14.गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1990 (पी0सी0ए0) की धारा–11, भारतीय दंड संहिता (I.P.C) की धारा–428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। अतः न्यास/मठ/मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के पशुओं (गोवंश/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नही देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसका उद्देश्य **''पशु की क्रुरता एवं वध''** होता हो या उक्त कार्यो का बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी/सेवायत/महंत/न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित 11 सदस्यों की न्यास समिति कागठन अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए किया जाता है :–

01. अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा –अध्यक्ष
02. श्री पितामबर यादव, पूर्व सरपंच –उपाध्यक्ष

03. श्री शोभाकान्त यादव, से0नि0शिक्षक —सचिव
04. श्री मकुनी मंडल —उप सचिव
05. श्री विनोद सहनी —कोषाध्यक्ष
06. श्री अरविन्द चौधरी —सदस्य
07. श्री सावन कुमार —सदस्य
08. श्री ओम प्रकाश गुप्ता —सदस्य
09. श्री ओम प्रकाश भगत —सदस्य
10. श्री वीर नारायण यादव —सदस्य
11. थानाध्यक्ष, भवानीपुर —सदस्य

सभी ग्राम—भवानीपुर, पो0—भवानीपुर राजधाम, थाना—भवानीपुर, जिला—पूर्णियॉ, पिनकोड—854204.

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि **''श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, भवानीपुर राजधाम, पूर्णियॉ '**के नाम में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। न्यास समिति को यह भी निर्देश दिया जाता है कि मौजा ''देवरी'' में जो मंदिर की भूमि है उसकी वर्तमान स्थिति और किन व्यक्तियों के अधिपत्य में है, उस संबंध में पर्षद को सूचित करके उक्त भूमि को शीघ्र मुक्त कराने का प्रयास करेंगे।

नोटः—न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण /बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी भी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते है तो शून्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

14 सितम्बर 2022

सं0 2071—श्री जगन्नाथजी ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पो0—पकहरा, थाना—बरारी, जिला—कटिहार जो पर्षद में एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास के रूप में निबंधित है, जिसकी निबंधन संख्या—4609/2022 है। दिनांक—02.08.2022 को न्यास समिति गठन हेतु आदेश पारित किया गया है।

पूर्व में इस ठाकुरबाड़ी के सेवादार गंगादास थे। इसमें में 13 ए0 03 डी0 जमीन नरसिंह प्रसाद चौधरी द्वारा ठाकुरबाड़ी को समर्पित की गयी थी। दिनांक—06.12.1991 को 05 सदस्यीय न्यास समिति बनाकर मंदिर और उसकी भूमि की देखभाल की जाने लगी।

दिनांक—19.11.2018 को श्री विजयदीप ग्रामीण मधेली द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि तत्कालीन महंत गंगा दास की मृत्यु हो चुकी है। तदोपरांत ठाकुरबाड़ी की देखभाल श्री उपेन्द्र ठाकुर द्वारा किया जा रहा है और मधेलीवासी द्वारा किये गये आम सभा में इनके द्वारा कुल 08 मूर्ति व शालीग्राम को उपेन्द्र मधेलीवासियों के सुपूर्द किया और दिनांक—10.10.2018 से ग्राम—मधेली, थाना—बरारी में मूर्ति स्थापित कर पूजा—पाठ सार्वजनिक तौर प्रारंभ कर दिया। साथ ही प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक—05.10.2018 की आमसभा की प्रति भी संलग्न की, जिसमें 05 सदस्यीय समिति प्रस्तावित है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रार्थी विजयदीप सेन्यास भूमि का खाता, खेसरा सं0, समर्पणनामा तथा अंचलाधिकारी से भी भूमि के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट की मांग की गयी। अचंलाधिकारी ने पत्रांक—395 दिनांक—27.04.2019 द्वारा यह उल्लेख किया कि उक्त मंदिर में मौजा—जौनिया मिलिक, थाना नं0—248 के खाता सं0—06 के कुल 18 खेसराओं में 16.03 ए0 जमीन इन्द्राज है और जिसके सेवायत महर्षि गंगा दास पंजी—2 में दर्ज है, जिसकी जमाबंदी—06 है। परंतु स्थल जांच में उक्त भूमि गंग सिकस्त हो चुकी है, ठाकुरबाड़ी का कोई अस्तित्व नहीं है। श्री विजयदीप द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र दिनांक—21.11.2019 को दिया गया जिसमें भूमि को गंगा बरार होने और ठाकुरबाड़ी के निबंधन करने का अनुरोध किया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र की छायाप्रति संलग्न कर अंचल अधिकारी, बरारी से पर्षदीय पत्रांक—1686 दिनांक—26.11.2019 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल पदाधिकारी ने पत्रांक—273 दिनांक—19.02.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया किपूर्व प्रतिवेदन में जो भूमि गंग सिकस्त बताया गया था किन्तु 2019 में आये बाढ़ और गंगा नदी के धारा में बदलाब आने के कारण उपरोक्त वर्णित भूमि गंगबरार हो चुका है और पूरी तरह से कृषि योग्य है और राम जानकी लक्ष्मण जी की मूर्ति मधेली में प्रतिष्ठापित किया गया है।प्रतिष्ठान श्री श्री 108 जगन्नाथजी ठाकुरबाड़ी की भूमि में ही की गयी है। साथ ही उक्त ठाकुरबाड़ी की देखभाल हेतु दिनांक—20.09.2020 को आमसभा द्वारा 11 सदस्यों का चयन करते हुए ग्यारह सदस्यीय न्यास समिति बनाने का अनुरोध करते हुए ग्रामीणों का प्रस्ताव दिनांक—20.09.2020 की प्रति, तथा खाता सं0—06, सी0एस0 खतियान की प्रति दाखिल की गयी जिसमें खाता सं0—06 जगन्नाथ ठाकुरबाड़ी के नाम से इन्द्राज है, जिसमें 13.03 एकड़ जमीन का उल्लेख है।

प्रस्तावित नामों का चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाना को पर्षदीय पत्रांक—346 दिनांक—29.04.2022 एवं पत्रांक—1225 दिनांक—05.07.2022 द्वारा पत्र दिया गया, परंतु थाना द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नही समर्पित की गयी। चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में न्यास समिति के गठन को लंबित रखना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में ठाकुरबाड़ी की व्यवस्था, राग—भोग, पूजा—पाठ तथा विकास के उद्देश्य से बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0 43(द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक—02.08.2022 द्वारा ''**श्री जगन्नाथजी जी ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पो0—पकहरा, थाना—बरारी, जिला—कटिहार''** के सुचारू प्रबंधन, न्यास सम्पत्ति की सुरक्षा, एवं सर्वांगीण

विकास हेतु अग्रलिखित योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसके कार्यान्व्यन हेतु न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप एक वर्ष के लिए किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री जगन्नाथजी जी ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पो0–पकहरा, थाना–बरारी, जिला–कटिहार**'' न्यास योजना होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री जगन्नाथजी जी ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पो0–पकहरा, थाना–बरारी, जिला–कटिहार,न्यास समिति**''होगा जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य मठ की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा ठाकुरबाड़ी की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. दाताओं से प्राप्त की गयी राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा और आवश्यकतानुसार राशि की निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाता का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा और न्यास की समग्र आय उसमें जमा की जायेगी।**

5. न्यास समिति किसी भी सदस्य को मठ की भूमि बेचने या बंधक रखने का अधिकार नहीं होगा।

6. न्यास समिति अधिनियम एवं उप– विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास का आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

7. अध्यक्ष की अनुमति से उपाध्यक्ष न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जोगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

10. न्यास समिति के किसी भी सदस्य को न्यास की अचल सम्पत्ति को बिक्री करने, बदलैन करने एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए किराया देने का कोई अधिकार नहीं होगा जबतक कि लिखित रूप में इस संबंध में पूर्व सहमति पर्षद से प्राप्त नहीं कर लिया जाय।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ उठाते पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि,

आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

12. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1990 (पी0सी0ए0) की धारा–11, भारतीय दंड संहिता (I.P.C) की धारा–428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। अतः न्यास/मठ/मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के पशुओं (गोवंश/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नही देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसका उद्देश्य **''पशु की क्रुरता एवं वध''** होता हो या उक्त कार्यो का बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी/सेवायत/महंत/न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

13. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वार निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित 11 सदस्यों की न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए किया जाता है :–

1. अंचल अधिकारी, बरारी	– अध्यक्ष
2. श्री बालेश्वर मंडल	–उपाध्यक्ष
3. श्री विजयदीप	–सचिव
4. श्री रंजीत महलदार	–कोषाध्यक्ष
5. श्री श्यामसुंदर मंडल	– सदस्य
6. श्री उपेन्द्र ठाकुर	–सदस्य
7. श्री जवाहर सिंह	– सदस्य
8. श्री नत्थन महलदार	– सदस्य
9. श्री सदानंद ठाकुर	– सदस्य
10.श्री राजकुमार मडल	– सदस्य
11. श्री नकुल मंडल	– सदस्य

सभी ग्राम+पो0–मधेली, थाना–बरारी, जिला–कटिहर।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेखों में संबंधित भूमि **''श्री जगन्नाथजी जी ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पो0–पकहरा, थाना–बरारी, जिला–कटिहार** के नाम में किसी प्रकार का काई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। थाना से चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तथा कार्य संतोषजनक पाये जो पर न्यास समिति को स्थायी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/ पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तांतरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लिज आदि पर देने या किसी भी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शून्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

2 सितम्बर 2022

सं0 1881——श्री लक्ष्मीनारायण ठाकुरबाड़ी, ग्राम–छोटी चातर, पो0–मोरसंडा, थाना–फलका, जिला–कटिहार जो पर्षद में 1962 से निबंधित है, जिसकी निबंधन सं0–1016 है। इस न्यास में 13.51 एकड़ भूमि है। न्यास समिति गठन हेतु दिनांक–02.08.2022 को सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है।

उक्त मंदिर का समर्पण भब्बी महतो, अयोध्या महतो पुत्र सागर मेहता तथा छेदी प्रसाद मेहता पुत्र–भब्बी महतो द्वारा निबंधित विलेख दिनांक–22.11.1951 द्वारा समर्पित किया था। पूर्व में इस मंदिर का देखभाल छेदी मेहता द्वारा की जाती रही है और समय–समय पर उनके द्वारा आय–व्यय विवरणी भी दी जाती रही है।

दिनांक–05.04.2016 को श्री सुबोध मेहता, पुत्र–छेदी प्र0 मेहता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है तथा एक वंशावली भी प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल करते हुए स्वयं को सेवायत की मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया गया। श्री मेहता के प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए पर्षद के आदेश दिनांक–24.02.2021 द्वारा श्री सुबोध मेहता को एक वर्ष के लिए न्यासधारी बनाया गया, जिसमें यह शर्त्त रखी गयी कि यदि कोई अन्य व्यक्ति दावा करते है तो दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित किया जायेगा।

दिनांक–07.04.2021 को श्री विद्यानंद मेहता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया कि वह छेदी मेहता के बड़े पुत्र है और सुबोध मेहता जिनको अस्थायी न्यासधारी बनाया गया है, वह भूमि से होने वाली आय को भी सही रूप में दर्शित नहीं करते है, जबकि समर्पित की गयी भूमि से लगभग 1,50,000/–रूपये प्रतिवर्ष की आय संभव है और मंदिर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनके प्रार्थना पत्र के आलोक में अस्थायी न्यासधारी को नोटिस जारी की गयी और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् 05 सदस्यीय न्यास समिति के गठन पर दोनों पक्षों के मध्य सहमति हुयी।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0 43(द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक– 02.08.2022 द्वारा **''श्री लक्ष्मी नारायण ठाकुरबाड़ी,** ग्राम– छोटी चातर, पो0– मोरसंडा, थाना– फलका, जिला– कटिहार**''** के सुचारू प्रबंधन, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सर्वांगीण विकास हेतु निम्नलिखित योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए 05 सदस्यी न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए किया जाता है । थाना से चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् न्यास समिति के स्थायी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **''श्री लक्ष्मी नारायण ठाकुरबाड़ी, ग्राम– छोटी चातर, पो0– मोरसंडा, थाना– फलका, जिला– कटिहार, न्यास योजना**''होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री लक्ष्मी नारायण ठाकुरबाड़ी, ग्राम– छोटी चातर, पो0– मोरसंडा, थाना– फलका, जिला– कटिहार, न्यास समिति**''होगा जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास समिति को न्यास के सभी भूमि की बंदोबस्ती का अधिकार होगाऔर न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोकर जमा किया जायेगा ओर आवश्यकतानुसार राशि की निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. न्यास परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेगें, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर राशि को बैंक में जमा किया जायेगा। न्यास के खाता का संचालन दो सदस्यों **(सचिव एवं कोषाध्यक्ष)** के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

5. न्यास समिति यदि किसी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन करता है और उसमें 05 लाख से अधिक राशि व्यय होने का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार न्यास समिति को मंदिर के विकास या संरचना मद में 10 लाख रूपये या उससे अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान हो तो उसअनुमानित खर्च का विवरणी प्रस्तुत कर पूर्वानुमति न्यास समिति को प्राप्त करना आवश्यक है और यदि उपरोक्त राशि निर्धारित सीमा के अंदर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जायेगी।

6. न्यास समिति किसी भी सदस्य को मंदिर की भूमि को बेचने या बंधक रखने का अधिकार नहीं होगा।

7. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।

8. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

9. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

10. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

11. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।

12. न्यास समिति के किसी भी सदस्य को न्यास की अचल सम्पत्ति को बिक्री करने, बदलैन करने एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए किराया देने का कोई अधिकार नहीं होगा जबतक कि लिखित रूप में इस संबंध में पूर्व सहमति पर्षद से प्राप्त नही कर ली जाय। साथ ही न्यास समिति के सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

13. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

14.गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1990 (पी0सी0ए0) की धारा–11, भारतीय दंड संहिता (I.P.C) की धारा–428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। अतः न्यास/मठ/मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के पशुओं (गोवंश/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नही देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसका उद्देश्य ''पशु की क्रुरता एवं वध'' होता हो या उक्त कार्यो का बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी/सेवायत/महंत/न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित 05 सदस्यों की न्यास समिति को अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए मान्यता प्रदान की जाती है :–

1. अंचल अधिकारी, फलका	–	अध्यक्ष
2. श्री विद्यानंद मेहता पिता– स्व0 छेदी प्रसाद मेहता	–	सचिव
3. श्री सुबोध मेहता पिता– स्व0 छेदी प्रसाद मेहता	–	कोषाध्यक्ष
4. श्री किशोर प्रसाद पिता– स्व0 बिंदेश्वरी प्रसाद मेहता	–	सदस्य
5. श्री पंकज कुमार ठाकुर स्व0 लक्ष्मी ठाकुर	–	सदस्य

सभी निवासी–ग्राम–छोटी चातर, पो0–मोरसंडा, थाना–फलका, जिला–कटिहार, पिनकोड–854108.

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेखों में संबंधित भूमि **''श्री लक्ष्मीनारायण ठाकुरबाड़ी''** के नाम में किसी प्रकार का काई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तांतरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लिज आदि पर देने या किसी भी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शून्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

2 सितम्बर 2022

सं0 1879––सेफगंज शिव मंदिर, ग्राम–सेफगंज, पो0–परवाहा, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया, जो पर्षद में एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास के रूप में वर्ष 1966 से निबंधित है, जिसकी निबंधन संख्या–1859 है। दिनांक–29.07.2022 को सुनवाई कर कार्यकारिणी समिति गठन हेतु आदेश पारित किया गया है।

पूर्व में मंदिर की देखभाल और व्यवस्था साधु–संतो द्वारा की जाती थी, परंतु बाद में दुर्व्यवस्था होने के कारण एक न्यास समिति का गठन किया गया और पर्षद के आदेश दिनांक–19.02.1996 द्वारा समिति का कार्यकाल भी संतोषजनक नहीं पाते हुए न्यास समिति को बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–29 (2) के तहत समाप्त कर श्री गणेश गिरि को अस्थायी रूप से न्यासधारी की मान्यता दी गयी। तदोपरांत श्री गणेश गिरी द्वारा आय–व्यय विवरणी दाखिल किया जाता रहा है और इनके विरूद्ध 01.08.1995 को शिकायत प्राप्त हुयी थी कि पूर्व में इनके द्वारा मंदिर की सभी भूमि को सूदभरना पर देने, 34 डी0 जमीन विक्रय करने और 50 पेड़ों काटकर राशि को निजी प्रयोग में लेने का आरोप लगाया गया । इस संबंध में श्री गणेश गिरी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। जिसका प्रत्योत्तर दिनांक–14.08.1999 को गणेश गिरी के पुत्र विनोद गिरी द्वारा दिया गया कि पेड़ो को काटकर जो राशि प्राप्त हुई थी, उसे मंदिर में व्यय किया गया है और जमीन बेचने और सूद भरना पर देने का आरोप गलत है।

श्री गणेश गिरी द्वारा वर्ष 2001 में आय–व्यय विवरण ससमय दाखिल की है, परंतु उसके बाद कोई आय–व्यय विवरण दाखिल नहीं किया गया। इस संबंध में पर्षद द्वारा बार–बार पत्र दिये जाने एवं पर्षदीय पत्रांक–26 दिनांक–05.04.2021 द्वारा अधिनियम की धारा–29 (2) के तहत पद से विरमित का नोटिश देने पर, दिनांक–04.05.2021 को वर्ष 2011–12 से 2020–21 तक की आय–व्यय विवरणी दाखिल की गयी । साथ ही मंदिर की व्यवस्था के संबंध मेंअंचलाधिकारी, फारबिसगंज को पर्षदीय पत्रांक–646 दिनांक–09.06.2021 द्वारा प्रतिवेदन की मांगकी गई और गणेश गिरी को भी थाना के

माध्यम से नोटिस जारी की गयी। ये दिनांक–27.11.2 को उपस्थित हुए तथा पूर्व वर्ष 2002–03 से 2009–10 तक की आय–व्यय विवरणी भी दिनांक–07.02.2022 को दाखिल की गयी और प्रार्थना पत्र के साथ मंदिर और मंदिर की भूमि का नक्शा संलग्न किया और यह भी कथन किया कि विधायक योजना के तहत मंदिर की भूमि खेसरा नं0–50, 51 के बीच प्रार्थी के अवरोध किये जाने के पश्चात् भी सड़क का निर्माण कर लिया गया है। साथ ही महेश गिरी जबड़न न्यास की भूमि पर कब्जा करके अव्यवस्था उत्पन्न की जाती है। इस संबंध में श्री महेश गिरी को पर्षदीय पत्रांक–5523 दिनांक–10.03.2022 एवं पत्रांक–1152 दिनांक–30.06.2022 द्वारा दिनांक–29.07.2022 को पर्षद के समक्ष उपस्थित हेाकर मंदिर की भूमि पर कब्जा के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी। परंतु वे उपस्थित नहीं हुए।

दिनांक–29.7.2022 को अस्थायी न्यासधारी श्री गणेश गिरी अपने पौत्र श्री रूपेश गिरी के साथ उपस्थित है और उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें 07 एकड़ 65 डी0 जमीन है, जिसका खेसरा सं0–13 में शिव मंदिर, खेसरा सं0–52 मे पार्वती मंदिर, कुऑ और नंदी का मंदिर है। खेसरा सं0–50, 51 के कुछ भाग में बांसवाड़ी तथा खेसरा सं0–42 में लगभग 1600 स्क्वायर फीट में एक धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है तथा खाता सं0–65 के खसेरा सं0–20, 51, 55 के बीच से लगभग 75 डी0 जमीन पर सड़क का निर्माण करा लिया गया है और वर्त्तमान में कुल 06 ए0 जमीन फसल योग्य है। महाशिवरात्रि का भव्य मेला लगता है तथा पिछले वर्ष 2020–21 में लगभग 01 लाख रूपयें चंदा, दान–पेटी एवं कदम के कुछ पेड़ बिक्री से 32 हजार रू0 प्राप्त हुआ। प्राप्त राशि से धर्मशाला एवं बजरंगवली मंदिर का लिन्टर तक का निर्माण किया गया। पर्षद द्वारा पृच्छा किये जाने पर अस्थायी न्यासधारी श्री गणेश गिरी द्वारा कथन किया गया कि मंदिर और मंदिर की भूमि पर स्वयं का नियंत्रण नहीं है। मंदिर के मेला आदि की व्यवस्था रंजन मंडल द्वारा की जाती है और प्राप्त राशि खर्च की जाती है। पर्षद में उपस्थित श्री गणेश गिरी से बात करने पर स्पष्ट होता है कि उनके सुनने की शक्ति खत्म हो गयी है वे काफी वृद्ध हो गये हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री गणेश गिरी को मंदिर की देखभाल करने हेतु पुजारी की मान्यता प्रदान करते हुए बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक–29.07.2022 द्वारा ''**सेफगंज शिव मंदिर,ग्राम–सेफगंज, पो0–परवाहा, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया''** के सुचारू प्रबंधन, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सर्वांगीण विकास हेतु निम्नलिखित योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**सेफगंज शिव मंदिर,ग्राम–सेफगंज, पो0–परवाहा, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया''**न्यास योजना होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''''**सेफगंज शिव मंदिर,ग्राम–सेफगंज, पो0–परवाहा, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया'' न्यास समिति** होगा जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास परिसर में जगह–जगह दान–पात्र रखें जायेगें और निर्धारित तिथि को न्यास समिति के सदस्यों के समक्ष दान–पेटी खोलकर राशि की गणना की जायेगी और उस राशि का न्यास के बचत खाता में जमा की जायेगी। न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक्, संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा और आवश्यकतानुसार राशि की निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. न्यास के खाता का संचालन दो सदस्यों (**सचिव एवं पुजारी**) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। न्यास की समग्र आय इस बचत खाता में जमा की जायेगी।

5. न्यास समिति यदि किसी प्रकार का काई धार्मिक आयोजन/निर्माण/विकास आदि का कार्य करता है और उसमें 05 लाख से अधिक राशि व्यय होने का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगाऔर यदि उपरोक्त राशि निर्धारित सीमा के अंदर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जायेगी।

6. न्यास समिति किसी भी सदस्य को मंदिर की भूमि बेचने या बंधक रखने का अधिकार नहीं होगा। श्री गणेश गिरी तथा उनके सहयोग के लिए मान्यता प्राप्त कार्यकारिणी समिति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को मंदिर के भूमि बंदोबस्ती का अधिकार नहीं होगा। श्री गणेश गिरी द्वारा दाखिल आय–व्यय विवरणी के अनुसार एक माह के अंदर शुल्क जमा करावें।

7. कार्यकारिणी समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास का आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

8. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास कार्यकारणी समिति की बैठक आहूत करेंगे। कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

9. कार्यकारणी समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जोगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

10. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

11. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

12. कार्यकारणी समिति के किसी भी सदस्य को न्यास की अचल सम्पत्ति को बिक्री करने, बदलैन करने एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए किराया देने का कोई अधिकार नहीं होगा जबतक कि लिखित रूप में इस संबंध में पूर्व सहमति पर्षद से प्राप्त नहीं कर लिया जाय। साथ ही न्यास समिति के सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

13. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

14.गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1990 (पी0सी0ए0) की धारा–11, भारतीय दंड संहिता (I.P.C) की धारा–428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। अतः न्यास/मठ/मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के पशुओं (गोवंश/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नही देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसका उद्देश्य **''पशु की क्रुरता एवं वध''** होता हो या उक्त कार्यो का बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी/सेवायत/महंत/न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित 03 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति का गठन 01 वर्ष के लिए किया जाता है :–

1. अंचल पदाधिकारी, फारबिसगंज, जिला– अररिया – अध्यक्ष
2. श्री रूपेश गिरी, –सचिव
3. श्री रंजन कुमार मंडल –सदस्य

उपरोक्त दोनों ग्राम–सेफगंज, पो0–परवाहा, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेखों में संबंधित भूमि "''**सेफगंज शिव मंदिर,ग्राम–सेफगंज, पो0–परवाहा, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया**''के नाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–**न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तांतरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लिज आदि पर देने या किसी भी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शून्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही कार्यकारिणी समिति तथा पुजारी को निर्देश दिया जाता है कि बिना पर्षद के अनुमति के और बिना जिला वन कार्यालय की अनुमति के किसी भी प्रकार के पेड़ों की कटाई और विक्रय नहीं करेगें।**

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

17 जून 2022

सं0 983––शिव पार्वती मंदिर उर्फ बाबा गोरखनाथ धाम, ग्राम– गोरखपुर, पो0+थाना– सालमारी, जिला– कटिहार पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है जिसकी निबंधन संख्या– 4596/2005 है। उक्त मंदिर की स्वयं–भू न्यास समिति द्वारा दिनांक– 22.9.2021 को एक पत्र प्राप्त कराया गया कि न्यास समिति के सचिव, कंचन कुमार का स्वर्गवास हो गया है और उनके स्थान पर न्यास समिति ने दिनांक–03.12.2019 को एक बैठक कर नयी न्यास समिति गठन किये जाने हेतु 11 व्यक्तियों का नामों का प्रस्ताव पारित किया गया तथा कथन करते हैं कि मंदिर में पूर्व में 05 ए0 08 डी0 जमीन थी, जिसमें 4.80 एकड़ पोखर है और 20 डी0 में मंदिर स्थित था और न्यास समिति ने अपने प्रयास से विभिन्न विक्रय पत्र के माध्यम से विभिन्न वर्षो में मंदिर के नाम जमीन क्रय की। वर्त्तमान में कुल 10 ए0 82 डी0 जमीन है जिसका थाना नं0– 395 खाता सं0–469, 441, 182, 129, 300, 103 है। प्रार्थना पत्र के साथ वर्ष 2020–21 में मंदिर से होने वाली कुल आय 04 लाख 83 हजार दर्शित की गयी है। उक्त राशि में से लगभग 01 लाख रूपयें से 11 डी0 जमीन खरीदी गयी है तथा मंदिर में वायरिंग आदि में खर्च किया गया है। साथ ही मंदिर के नाम से संचालित खाता, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सलामारी में संधारित है, जिसकी खाता संख्या– 39074567555 है, दिनांक–17.03.2022 को 49,941/– रूपये दर्शित की गयी है। उक्त तिथि को ही 02 लाख 30 हजार की निकासी की गयी है। जो कि मंदिर के नाम से 48 डी0 जमीन क्रय हेतु अग्रीम के रूप में भुगतान किया गया है। साथ ही दिनांक– 30.12.2019 को बैठक में लिये गये निर्णय की फोटोप्रति दाखिल करते हैं जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी को अध्यक्ष के रूप में नामित करते हुए 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव दिया है तथा 11 नामों के बाद लगभग 60 व्यक्तियों का सम्मानित सदस्य के रूप में दिखलाया गया है। साथ ही कथन करते हैं कि न्यास समिति क्रम सं0–01 से 11 तक के व्यक्तियों की बनायी जाए। पुनः निवेदन करते हैं कि उक्त नामों में क्रम सं0–08 एवं 10 काफी वृद्ध हो गये है तथा मंदिर के कार्य मे समय देने में असमर्थ हैं। साथ ही इन दोनों को छोड़कर सम्मानित सदस्य के रूप में नामित श्री श्याम नाथ यादव एवं अमित कुमार अग्रवाल के नामों का प्रस्ताव देते हैं। उपस्थित सदस्य द्वारा दाखिल मंदिर का फोटोग्राफ, बैंक खाता का स्टेटमेन्ट तथा मंदिर की भूमि व अन्य चंदे से प्राप्त आय आदि से मंदिर में लगभग 05 ए0 भूमि क्रय किया जाना आदि स्पष्ट करता है कि न्यास समिति का कार्य काफी संतोषजनक है।

अतः पर्षद के माननीय सदस्य महंत विजय शंकर गिरि की उपस्थिति में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक–11.05.2022 द्वारा ''**श्री शिव पार्वती मंदिर उर्फ बाबा गोरखनाथ धाम, ग्राम–गोरखपुर, पो0+थाना– सालमारी, जिला– कटिहार** '' के सुचारू प्रबंधन, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सर्वांगीण विकास हेतु निम्नलिखित योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से

किया जाता है। थाना से चरित्र सत्यापन प्राप्त होने के पश्चात् न्यास समिति के स्थायी किये जाने पर विचार किया जा जायेगा।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री शिव पार्वती मंदिर उर्फ बाब गोरखनाथ धाम, ग्राम– गोरखपुर, पो0+थाना– सालमारी, जिला–कटिहार**'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री शिव पार्वती मंदिर उर्फ बाबा गोरखनाथ धाम, ग्राम– गोरखपुर, पो0+थाना–सालमारी, जिला–कटिहार**'' होगा जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक्, संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा और आवयश्यकतानुसार राशि की निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. न्यास के खाता का संचालन दो सदस्यों (उपाध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

5. न्यास समिति यदि किसी प्रकार का काई धार्मिक आयोजन करता है और उसमें 05 लाख से अधिक राशि व्यय होने का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार न्यास समिति को मंदिर के विकास या संरचना मद में 10 लाख रूपये या उससे अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान हो तो उस अनुमानित खर्च का विवरणी प्रस्तुत कर पूर्वानुमति न्यास समितिको प्राप्त करना आवश्यक है और यदि उपरोक्त राशि निर्धारित सीमा के अंदर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जायेगी।

6. न्यास समिति किसी भी सदस्य को मंदिर की भूमि बेचने या बंधक रखने का अधिकार नहीं होगा।

7. न्यास समिति अधिनियम एवं उप– विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास का आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

8. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

9. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जोगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

10. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

11. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

12. न्यास समिति के किसी भी सदस्य को न्यास की अचल सम्पत्ति को बिक्री करने, बदलैन करने एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए किराया देने का कोई अधिकार नहीं होगा जबतक कि लिखित रूप में इस संबंध में पूर्व सहमति पर्षद से प्राप्त नहीं कर लिया जाय। साथ ही न्यास समिति के सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

13. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वार निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित 11 सदस्यों की न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए किया जाता है :–

01. अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई, कटिहार	–	पदेन अध्यक्ष
02. श्री भूनेश्वर यादव, ग्राम– नारायणपुर, पो0– मुरूकिया	–	उपाध्यक्ष
03. श्री हरमेन्द्र कुमार यादव उर्फ पिन्टू यादव, पिता– श्री गिरजा शंकर यादव, ग्राम– रघुनाथपुर, पो0– बारसोई घाट, वार्ड नं0– 07, थाना– बारसोई	–	सचिव
04. श्री दिलिप कुमार सिंह, पिता– स्व0 सुखदेव सिंह, ग्राम– दमदमा, पो0– सालमारी, थाना– आजमनगर	–	कोषाध्यक्ष
05. श्री नगीना प्रसाद यादव, ग्राम– रघुनाथपुर, पो0–बारसोई	–	सदस्य
06. श्री अक्षय कुमार सिंह, ग्राम– रतनीयॉ, पो0– वलत्तर	–	सदस्य
07. श्री प्रदीप शर्मा, ग्राम– नारायणपुर, पो0– मुकुरिया	–	सदस्य
08. श्री अमित कुमार अग्रवाल, ग्राम+पो0– सालमारी,	–	सदस्य
09. श्री रामचंद्र शर्मा, ग्राम– गोरखपुर, पो0– मुकुरिया	–	सदस्य
10. श्री राधाकान्त घोष, ग्राम– रासचौक, पो0– बारसोई	–	सदस्य
11. श्री पिन्टू कुमार साह, ग्राम+पो0– बारसोई बाजार सभी थाना– आजमनगर, जिला– कटिहार ।	–	सदस्य

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेखों में संबंधित भूमि **श्री शिव पार्वती मंदिर उर्फ बाबा गोरखनाथ धाम, ग्राम– गोरखपुर, पो0+थाना–सालमारी, जिला– कटिहार''** के नाम में किसी प्रकारका कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तांतरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लिज आदि पर देने या किसी भी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शून्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————

2 जून 2022

सं0 1875––सुन्दरी मठ (शिव मंदिर), ग्राम–सुन्दरी, पो0–बटराहा, थाना–कुआंरी, अंचल–कुर्साकांटा, जिला–अररिया पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है जिसकी निंबंधन संख्या–2062 है। यह मंदिर अररिया जिला का काफी प्रसिद्ध मंदिर है। नेपाल की सीमा से सटे होने के कारण काफी नेपाली श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं।

न्यास के प्रबंधन हेतु अधिसूचना पत्रांक–1722 दिनांक–03.09.2016 द्वारा एक न्यास समिति का गठन 05 वर्षो के लिए किया गया था।

न्यास समिति द्वारा प्रतिवर्ष आय–व्यय विवरणी, बजट, और पर्षद शुल्क आदि जमा किया जाता रहा है तथा न्यास समिति द्वारा मंदिर के विकास से संबंधित लगभग 10 फोटोग्राफ दाखिल किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि कार्यरत न्यास समिति द्वारा मंदिर के विकास में काफी सराहनीय कार्य किया गया है तथा कमिटी द्वारा पिछले 05 वर्षो में किये गये विकास कार्यो की सूची पर्षद को दी । जिसमें 10 योजनाओं का उल्लेख किया गया है और वर्तमान में मंदिर के खाते में भी लगभग 10 लाख रूपयें जमा है। न्यास समिति का कार्य काल सतोषजनक रहा है।

अतः उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर विचार एवं अधिसूचना ज्ञापांक–1722 दिनांक–03.09.2016 में उल्लेखित नियमों एवं शर्त्तो के अधीन न्यास समिति के कार्यकालको अगले 05 वर्ष (दिनांक–02.09.2026 तक) के लिए विस्तार किया जाता है।

01. श्री विजय कुमार मंडल	– अध्यक्ष
02. श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह	– सचिव
03. श्री प्रणव कुमार गुप्ता	– कोषाध्यक्ष
04. श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह	– सदस्य
05. श्री रामानन्द मंडल	– सदस्य
06. श्री विजय केशरी	– सदस्य
07. श्री मनोज कुमार भगत	– सदस्य
08. श्री हेरम कुमार सिंह	– सदस्य
09. श्री श्याम राय	– सदस्य
10. श्री रामदेव सरकार	– सदस्य
11. श्री राम प्रसाद शर्मा	– सदस्य

सभी सुन्दरी मठ (शिव मंदिर), न्यास समिति, ग्राम– सुन्दरी, पो0–वटराहा, थाना– कुर्साकांटा, जिला–अररिया, पिनकोड–854332.

न्यास–समिति को यह निर्देश दिया जाता है कि मंदिर के विकास के संबंध में मंदिर से होने वाली आय तथा अन्य स्त्रोत से प्राप्त आय से विकास का कार्य करें तथा अपने आय–व्यय विवरणी, बजट, शुल्क आदि प्रतिवर्ष जमा करायें।

आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————

20 सितम्बर 2022

सं0 2132–– कबीर पंथी मठ (झलाडी पट्टी मठ), ग्राम–गैदुहा, पो0–झलाड़ी पट्टी, थाना–रूपौली, जिला–पूर्णियॉ पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है जिसकी निबंधन संख्या–2134 है। दिनांक–02.08.2022 को सुनवाई कर न्यास समिति गठन हेतु आदेश पारित किया गया है।

महंत भूदेव गोस्वामी द्वारा सूचना दी गयी कि मठ में कुल 64.63 ए0 जमीन है, अधिकांश जमीन अतिक्रमित है। मात्र 15 ए0 भूमि बची हुई हैं तथा भूमि को बचाने की कार्रवाई की जाए तथा दिनांक–01.04.2022 को अंचलाधिकारी को दिये गये एक प्रार्थना पत्र की प्रति पर्षद पर्षद को उपलब्ध करवाया जिसमें कुछ लोगों मठ की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने और उन्हें तरह–तरह की धमकी देने का उल्लेख किया गया है।

राजस्व कर्मचारी द्वारा अंचलाधिकारी को समर्पित रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि खाता सं0–265 रकवा–8.48 ए0, खाता सं0–266 रकवा–6.94 ए0, खाता सं0–267 रकवा–47.29 ए0, खाता सं0–268 रकवा–1.44, ए0 तथा खाता सं0–269 रकवा–0.48 ए0 कुल लगभग 64.63 ए0 जमीन सर्वे खतियान के अनुसार कबीर मठ का है, जो तत्कालीन महंत मटरू

गोस्वामी के नाम है और वर्तमान में जमाबंदी में खाता सं0–265 का 08 ए0 266 जमीन में से 6.83$\frac{1}{2}$ ए0, खाता सं0–267 में 9.77 ए0 और खाता सं0–268 में 0.48 ए0 कुल 25.8$\frac{1}{2}$ए0 शेष बची है, जिसका लगान भी वर्ष 2017–18 तक भुगतान है।

उक्त 64.63ए0 जमीन में से 09ए0 80 डी0जमीन पूर्व महंतो के द्वारा भूमिहीनों को दे दी गयी थी जो धारा 15ए के तहत स्वेच्छा से सरकार को दिया गया है तथा सिलिंग वाद सं0–177/73–74 में 28.60 ए0 जमीन अधिशेष बची है। लगभग 08 ए0 भूमि पर अवैध रूप से लगभग 70 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है। संचिका पर आदेश की प्रति उपलब्ध है जो स्पष्ट करता है कि 25 ए0 भूमि सिंलिंग कार्रवाई के पश्चात् मठ के नाम पर है। इससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त जमीन खाता सं0–266, 267, 265 एवं 269 मठ की सम्पत्ति है और इस पर सभी प्रकार के क्रय–विक्रय, स्थायी या अस्थायी निर्माण पर रोक लगाया जाता है।

पर्षद द्वारा पृच्छा किये जाने पर कथन करते है कि जो वर्त्तमान में मठ के पास जमीन है, उसकी बंदोबस्ती कर दी गयी है परंतु बंदोबस्तीधारी द्वारा राशि का भुगतान यदा–कदा ही किया जाता है। जो स्पष्ट करता है महंत जी द्वारा मठ की देखभाल अकेले किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। महंतजी द्वारा कथन किया गया कि मठ और उसकीसम्पत्ति को बचाने के लिए 06 ग्रामीणों तथा स्वयं महंत को शामिल करते हुए एक न्यास समिति का गठन किया जाए, जिससे मठ की भूमि की सुरक्षा हो सके तथा भूमि को प्रतिवर्ष बंदोबस्ती आदि करने से राशि प्राप्त हो सके, जिससे मठ का जीर्णोद्धार हो सके और पर्षद को शुल्क का भुगतान किया जा सके।

अतः उपरोक्त सभी परिरिस्थतियों को देखते हुए बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0 43(द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक–02.08.2022 द्वारा ''**कबीर पंथी मठ (झलाडी पट्टी मठ), ग्राम–गैदुहा, पो0–झलाड़ी पट्टी, थाना–रूपौली, जिला–पूर्णियॉ''** के सुचारू प्रबंधन, न्यास सम्पत्ति की सुरक्षा, भूमि की बंदोबस्ती, एवं सर्वांगीण विकास हेतु अग्रलिखित योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसके कार्यान्व्यन हेतु न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप एक वर्ष के लिए से किया जाता है ।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**कबीर पंथी मठ (झलाडी पट्टी मठ),** ग्राम–गैदुहा, पो0–झलाड़ी पट्टी, थाना–रूपौली, जिला–पूर्णियॉ''न्यास योजना होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**कबीर पंथी मठ (झलाडी पट्टी मठ), ग्राम–गैदुहा, पो0–झलाड़ी पट्टी, थाना–रूपौली, जिला–पूर्णियॉ,न्यास समिति''**होगा जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य मठ की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मठ की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. दाताओं से प्राप्त की गयी राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा और आवश्यकतानुसार राशि की निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाता का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा और न्यास की समग्र आय उसमें जमा की जायेगी।**

5. न्यास समिति किसी भी सदस्य को मठ की भूमि बेचने या बंधक रखने का अधिकार नहीं होगा। न्यास समिति अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी।

6. न्यास समिति अधिनियम एवं उप– विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास का आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जोगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

10. न्यास समिति के किसी भी सदस्य को न्यास की अचल सम्पत्ति को बिक्री करने, बदलैन करने एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए किराया देने का कोई अधिकार नहीं होगा जबतक कि लिखित रूप में इस संबंध में पूर्व सहमति पर्षद से प्राप्त नहीं कर लिया जाय।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ उठाते पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि, आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

12.गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1990 (पी0सी0ए0) की धारा–11, भारतीय दंड संहिता (I.P.C) की धारा–428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। अतः न्यास/मठ/

मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के पशुओं(गोवंश/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नही देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसका उद्देश्य ''पशु की क्रुरता एवं वध'' होता हो या उक्त कार्यो का बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी/सेवायत/महंत/न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

13. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वार निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित 07 सदस्यों की न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए किया जाता है :–

1. अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा – अध्यक्ष
2. श्री अनिल मंडल – सचिव
   पिता–श्री भूपनारायण मंडल
3. श्री सुनिल भगत – कोषाध्यक्ष
   पिता– श्री दशरथ भगत
4. श्री जनक ऋषि –सदस्य
   पिता–स्व0 जगन्नाथ ऋषि
5. श्री अशोक कुमार मंडल – सदस्य
   पिता–स्व0 बिंरची मंडल
6. महंत भूदेव गोस्वामी –महंथ/पुजारी
7. थानाध्यक्ष, रूपौली – सदस्य

सभी ग्राम–गैदूहा, पो0–झलारी, थाना–रूपौली, जिला–पूर्णियॉ।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेखों में संबंधित भूमि **''कबीर पंथी मठ, झलाडी पट्टी मठ, ग्राम– गैदुहा''**के नाम में किसी प्रकार का काई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/ पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तांतरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लिज आदि पर देने या किसी भी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शून्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि मठ की उपरोक्त सम्पत्ति जो सिलिंग के पश्चात् बची हुई है, उस सारी सम्पत्ति की बन्दोबस्ती करने का अधिकार उपरोक्त न्यास समिति को होगा और न्यास समिति महंत जी के साथ मिलकर प्रतिवर्ष भूमि की बंदोबस्ती करेंगे और उसका आय–व्यय का हिसाब रखेंगे और पर्षद को प्रतिवर्ष शुल्क देंगे तथा मठ की भूमि सभी प्रकार के स्थायी या अस्थायी निर्माण, क्रय–विक्रय परा रोक है और उस संबंध में विभिन्न पदाधिकारियों को कार्रवाई व सूचना देने के लिए अधिकृत रहेंगे। 01 वर्ष के पश्चात् समिति के कार्यवाही से संतुष्ट होने पर कार्यकाल वृद्धि करने पर विचार किया जायेगा।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

सूचना

No. 655––I, Dayanand Tiwari S/o late Kapil Deo Tiwari, Village-Chhewari, P.S.-Ramgarh, Distt-Kaimur. Affidavit No.-3513 date 12.04.2023, I declare that Tripathi Mayank Shandilya is my own son and he passed matriculation C.B.S.E Board in the year 2022. Vide his Roll No. 22141404, Reg. No. P122/65107/0005. That my true and correct name is Dayanand Tiwari but in my aforesaid son's all Matriculation Certificate my name mention "Tripathi Dayanand Shandilya" which is wrong and incorrect the correct name is Dayanand Tiwari.

Dayanand Tiwari.

No. 684––I, Sanjay Kumar Singh S/o Durga Singh R/o Hariom Shadi Card, KadamKuan, Patna-800023 Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per Affidavit No. 297 dated 24.04.23 That my name is mentioned in my voter ID Card No. AFS0364992 As Sanjay Kumar which is wrong. My correct name as per Aadhar No.-7687 2900 5182 is Sanjay Kumar Singh. Sanjay Kumar Singh and Sanjay Kumar is same person and from now I will be known as Sanjay Kumar Singh for all future purposes.

Sanjay Kumar Singh.

No. 692––I, Reena Tiwari W/o Dayanand Tiwari, Village-Chhewari, P.S-Ramgarh, Distt.–Kaimur. Affidavit No.-3514 date 12.04.2023. I declare, that Tripathi Mayank Shandilya is my own son and he passed matriculation C.B.S.E Board in the year 2022. Vide his Roll No. 22141404, Reg. NO. P122/65107/0005. That my true and correct name is Reena Tiwari but in my aforesaid son's all Matriculation Certificate my name mention "Tripathi Reena Shandilya'' which is wrong and incorrect the correct name is Reena Tiwari.

Reena Tiwari.

———————

No. 693––I SAJID Ashraf, S/o Sharafat Hussain, Mohalla–Sarai Sattar Khan, Po+Ps-Laheria Sarai Darbhanga Bihar vide affi. No. 2923 dated 16.02.23, declare that my name Shajid ashraf in the certificate of my daughter Rafia Ashraf CBSE class 10 (Roll No. 22130547) while the my correct name is Sajid Ashraf.

SAJID Ashraf.

———————

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 12—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)–01–41/2021––4675
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प
1 जून 2023

श्री राकेश कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, सासाराम के विरूद्ध उनके मंडल कारा, सीवान में पदस्थापन के दौरान दिनांक–20.08.2019 को मंडल कारा, सीवान के विचाराधीन बंदी लाल बहादुर प्रसाद, पे0–बलीराम प्रसाद की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हुई मृत्यु की घटना में बरती गई लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता के प्रतिवेदित आरोपों के लिए गठित प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–8671 दिनांक–17.08.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है, जिसके संचालन हेतु आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. विभागीय कार्यवाही के जाँचोपरान्त संचालन पदाधिकारी–सह–आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा के पत्रांक–332 दिनांक–16.02.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित सभी 04 आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी सह–आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा से प्राप्त उक्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–18(2) में निहित प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमति के बिन्दु अभिलेखित किये गये। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–18(3) के प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांक–3455 दिनांक–26.04.2023 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमति के अभिलेखित बिन्दुओं पर आरोपित पदाधिकारी श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान सम्प्रति मंडल कारा, सासाराम से पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर द्वितीय कारण पृच्छा/लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई।

4. तद्आलोक में श्री राकेश कुमार, अधीक्षक, मंडल कारा, सासाराम द्वारा पत्रांक–1496 दिनांक–03.05.2023 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि दिनांक–18.08.2019 को विचाराधीन बंदी लाल बहादुर प्रसाद, पे0–बलीराम प्रसाद माननीय न्यायालय, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), सीवान, धारा–47 (ए), बिहार उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत मंडल कारा, सीवान में प्रवेश पाया। दिनांक–18.08.2019 को कारा प्रवेश के समय बंदी लाल बहादुर प्रसाद, पे0–बलीराम प्रसाद का कारा चिकित्सा पदाधिकारी डॉ0 मनोज कुमार द्वारा Health Screening किया गया। Health Screening में उल्लेखित है कि बंदी लाल बहादुर प्रसाद कारा प्रवेश के समय Chronic Alcoholic एवं विगत दो दिनों से उसे दस्त, उल्टी एवं चक्कर आने की समस्या से ग्रसित था। साथ ही उक्त बंदी Bilateral termer in both upper and lowerlimb से ग्रसित था। बंदी के उपरोक्त रोगों से ग्रसित होने के बावजूद चिकित्सा पदाधिकारी डॉ0 मनोज कुमार द्वारा दिनांक–18.08.2019 को बंदी लाल बहादुर प्रसाद, पे0–बलीराम प्रसाद का Health Screening करने के पश्चात् भी बंदी को कारा अस्पताल में भर्ती कर इलाज नहीं किया गया और न ही चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा उक्त बंदी को नशा मुक्ति केन्द्र भेजने से संबंधित/कारा अस्पताल में भर्ती एवं इलाज से संबंधित किसी प्रकार का दिशा–निर्देश व मिनट ही किया गया। चिकित्सक द्वारा किसी प्रकार का निदेश नहीं रहने के कारण बंदी को नियमानुसार उस दिन वार्ड नं0–21 (आमद वार्ड) में रखा गया।

आरोपित पदाधिकारी का अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कहना है कि दिनांक–19.08.2019 को सुबह लगभग 06:45 बजे पूर्वाह्न से 07:45 बजे पूर्वाह्न तक कारा चिकित्सा पदाधिकारी, डॉ0 अरूण कुमार कारा अस्पताल में

उपस्थित थे, परन्तु उनके द्वारा भी उक्त बंदी लाल बहादुर प्रसाद का इलाज एवं नशामुक्ति केन्द्र भेजने से संबंधित किसी भी प्रकार की अनुशंसा व दिशा–निर्देश नहीं दिया गया। दिनांक–19.08.2019 को पुनः चिकित्सक डॉ0 मनोज कुमार द्वारा सुबह लगभग 11:05 बजे पूर्वाह्न से 04:45 बजे अपराह्न तक कारा अस्पताल में उपस्थित थे। उसी क्रम में बंदी लाल बहादुर प्रसाद को स्वास्थ्य में कुछ तकलीफ होने के उपरान्त चिकित्सा पदाधिकारी, डॉ0 मनोज कुमार द्वारा उक्त बंदी को कारा अस्पताल में भर्ती कर इलाज चलाया गया, परन्तु उपरोक्त अवधि में चिकित्सक द्वारा बंदी को बेहतर इलाज हेतु नशामुक्ति केन्द्र, सदर अस्पताल, सीवान भेजने हेतु अनुशंसा नहीं किया गया। दिनांक–19.08.2019 को पुनः चिकित्सक डॉ0 मनोज कुमार संध्या में लगभग 5:20 बजे अपराह्न से 7:15 बजे अपराह्न रात्रि तक कारा अस्पताल में उपस्थित हुए। तत्पश्चात् चिकित्सा पदाधिकारी, डॉ0 मनोज कुमार द्वारा रात्रि में उक्त बंदी लाल बहादुर प्रसाद को बेहतर इलाज हेतु नशामुक्ति केन्द्र, सदर अस्पताल, सीवान भेजने हेतु साधारण चिकित्सीय अनुशंसा किया गया। वैसी स्थिति में कारा से बाहर किसी भी संस्थान में भेजने हेतु माननीय न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है। उक्त के आलोक में उनके (आरोपित पदाधिकारी) द्वारा कारा चिकित्सक एवं कारा परिधापक से उक्त बंदी के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी लिया गया, कारा अस्पताल के पदाधिकारी एवं कर्मी द्वारा यह बताया गया कि बंदी का इलाज कारा अस्पताल में किया जा रहा है। उक्त बंदी का स्वास्थ्य सामान्य है। यदि कोई विशेष परिस्थिति बनती है, तो बंदी को प्राणरक्षार्थ चिकित्सीय अनुशंसा किया जायेगा।

आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि दिनांक–19.08.2019 को चिकित्सा पदाधिकारी, डॉ0 मनोज कुमार द्वारा उक्त बंदी को नशामुक्ति केन्द्र, सदर अस्पताल, सीवान भेजने हेतु प्राणरक्षार्थ चिकित्सीय अनुशंसा नहीं किये जाने एवं चिकित्सक द्वारा बंदी की स्थिति सामान्य बताये जाने के कारण बंदी को नशामुक्ति केन्द्र, सदर अस्पताल, सीवान नहीं भेजा जा सका। दिनांक–20.08.2019 को लगभग 10:00 बजे पूर्वाह्न में कारा चिकित्सा पदाधिकारी, डॉ0 अरूण कुमार के द्वारा बताया गया कि तीन बंदी लाल बहादुर प्रसाद, चिन्ता साह एवं रामा बिन्द, जो दिनांक–18.08.2019 को एक साथ कारा प्रवेश पाये हैं, जो पागलों की तरह हरकत कर रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तत्पश्चात् कारा चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा उक्त तीनों बंदियों को प्राणरक्षार्थ सदर अस्पताल, सीवान भेजने हेतु अनुशंसा की गई। उक्त के आलोक में कारा प्रशासन द्वारा बिना विलंब किये हुए नियमानुसार उक्त तीनों बंदियों को सदर अस्पताल, सीवान लगभग 10:30 बजे तक भेज दिया गया, जहाँ बंदी को भर्ती कर इलाज किया गया। बंदी लाल बहादुर प्रसाद लगभग 12 घण्टे सदर अस्पताल, सीवान में भर्ती होकर इलाजरत थे तथा उनकी मृत्यु लगभग 11:45 बजे रात्रि में हो गई। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि उनके द्वारा बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम–218, 796 (i), (ii) का उल्लंघन नहीं किया गया।

आरोपित पदाधिकारी का अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कहना है कि कारा हस्तक के नियम–218 में उल्लेखित है कि ''कारा चिकित्सक के एडवाईस पर माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर सदर अस्पताल भेजा जाना होता है'', परन्तु दिनांक–19.08.2019 को संध्या में जब सदर अस्पताल, सीवान साधारण रेफर किया गया था, तो माननीय न्यायालय से उसी दिन अनुमति प्राप्त करना संभव नहीं था। साथ ही कारा हस्तक के नियम 218 में यह भी उल्लेखित है कि ''कारा चिकित्सक के एडवाईस, ईमरजेन्सी की स्थिति में भेजने हेतु की जाती है तो इस पर तुरन्त नजदीकी अस्पताल में प्राणरक्षार्थ कारा प्रशासन द्वारा भेजा जाना है। बंदी को अस्पताल भेजने के उपरांत माननीय न्यायालय से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि दिनांक–20.08.2019 के पूर्वाह्न 10:00 बजे कारा चिकित्सक के द्वारा बंदी को प्राणरक्षार्थ भेजने हेतु अनुशंसा की गई, उक्त के आलोक में कारा प्रशासन द्वारा बिना विलंब किये उक्त बंदियों को सदर अस्पताल, सीवान भेज दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि कारा हस्तक नियम–218 के आलोक में उक्त बंदियों को चिकित्सकीय एडवाईस के पश्चात् कारा प्रशासन द्वारा तुरन्त अस्पताल भेजने हेतु कार्रवाई की गई है। दिनांक–20.08.2019 को लगभग 12 घण्टे तक बेहतर इलाज हेतु बंदी लाल बहादुर प्रसाद के सदर अस्पताल में इलाजरत् रहने के पश्चात् उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही कारा चिकित्सक के द्वारा भी उक्त बंदी लाल बहादुर प्रसाद को कारा अस्पताल में (दिनांक–19.08.2019 से 20.08.2019) तक भर्ती कर लगभग 24 घण्टे तक इलाज किया गया। उक्त बंदी को चिकित्सकीय एडवाईस के अनुसार ही कारा प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही उनके द्वारा नहीं बरती गई है। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें द्वितीय कारण पृच्छा से मुक्त करने की कृपा की जाय।

5. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमति के अभिलेखित बिन्दुओं के आलोक में श्री राकेश कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई, जिसमें पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में स्वीकार किया गया है कि मृतक बंदी लाल बहादुर प्रसाद के कारा प्रवेश के समय किये गये Health Screening में Chronic Alcoholic एवं विगत दो दिनों से उसे दस्त, उल्टी एवं चक्कर आ रहा था। साथ ही उक्त बंदी Bilateral termer in both upper and lowerlimb से ग्रसित था। कारा चिकित्सक द्वारा दिनांक–19.08.2019 को उक्त बंदी को नशा मुक्ति केन्द्र भेजे जाने की अनुशंसा मिनट बुक पर किये जाने के उपरांत भी आरोपित पदाधिकारी द्वारा उसे तुरन्त सदर अस्पताल नहीं भेज कर एक दिन विलम्ब से सदर अस्पताल भेजा गया, जहाँ इलाज के अभाव के कारण बंदी की मृत्यु हो गई। आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में उल्लेख किया गया है कि कारा चिकित्सक द्वारा दिनांक–19.08.2019 को मृतक बंदी के इलाज एवं नशा मुक्ति केन्द्र भेजने से संबंधित किसी प्रकार की अनुशंसा व दिशा–निर्देश नहीं दिया गया, जबकि विभाग स्तर पर गठित द्विसदस्यीय जाँच दल द्वारा जाँच में यह पाया गया है कि मृतक बंदी के कारा प्रवेश के समय कारा चिकित्सक द्वारा दिनांक 19.08.2019 को प्रातः में कारा अस्पताल में रखकर लक्षण के आधार पर इलाज प्रारम्भ किया गया एवं उसी दिन दिनांक–19.08.2019 को ही नशामुक्ति केन्द्र सदर अस्पताल, सीवान भेजने की अनुशंसा की गई थी। इस प्रकार

आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने जवाब में गलत बयानी की गई है। कारा चिकित्सक द्वारा दिनांक–19.08.2019 को नशा मुक्ति केन्द्र भेजे जाने की अनुशंसा किये जाने के बावजूद आरोपित पदाधिकारी द्वारा उक्त बंदी को उस दिन सदर अस्पताल नहीं भेजकर एक दिन विलंब से दिनांक–20.08.2019 को भेजा गया।

आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में उल्लेख किया गया है कि दिनांक–19.08.2019 को चिकित्सा पदाधिकारी, डॉ0 मनोज कुमार द्वारा उक्त बंदी को नशामुक्ति केन्द्र, सदर अस्पताल, सीवान भेजने हेतु प्राणरक्षार्थ चिकित्सीय अनुशंसा नहीं किये जाने एवं चिकित्सक द्वारा बंदी की स्थिति सामान्य बताये जाने के कारण बंदी को नशामुक्ति केन्द्र, सदर अस्पताल, सीवान नहीं भेजा जा सका। जबकि विभाग स्तर पर गठित द्विसदस्यीय जाँच दल के समक्ष आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने लिखित बयान में अंकित किया गया है कि ''दिनांक–19.08.2019 के अपराह्न में मृतक बंदी सहित तीनों बंदियों को कारा चिकित्सक द्वारा सदर अस्पताल रेफर किया गया है, इस पर उन्होंने ड्रेसर से तीनों बंदियों का हाल–चाल पूछा, परन्तु उस समय तक उक्त बंदी सीरियस नहीं था।'' इस प्रकार स्पष्ट है कि कारा चिकित्सक द्वारा दिनांक–19.08.2019 को ही मृतक बंदी को बेहतर इलाज हेतु रेफर किया गया था, किन्तु आरोपित पदाधिकारी द्वारा एक दिन विलम्ब से बंदी को सदर अस्पताल भेजा गया, परिणामस्वरूप इलाज के अभाव में बंदी लाल बहादुर प्रसाद की असामयिक मृत्यु हो गई। आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में उल्लेख किया गया है कि दिनांक–19.08.2019 को संध्या में जब सदर अस्पताल, सीवान साधारण रेफर किया गया था, तो माननीय न्यायालय से उसी दिन अनुमति प्राप्त करना संभव नहीं था, जबकि बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम–218 में निहित प्रावधान के अनुसार आपात स्थिति में बंदियों को चिकित्सा पदाधिकारी के परामर्श और अनुशंसा पर उसके प्राण बचाने के लिए उपलब्ध सुरक्षा में सबसे नजदीक के सक्षम अस्पताल में भेजा जायेगा, परन्तु अधीक्षक, जिला मैजिस्ट्रेट/संबद्ध न्यायालय से यथा संभव शीघ्र स्वीकृति प्राप्त कर लेगा।

आरोपित पदाधिकारी द्वारा बंदी को तुरन्त इलाज हेतु सदर अस्पताल नहीं भेजा गया, जिस कारण विचाराधीन बंदी लाल बहादुर प्रसाद की इलाज के अभाव में असामयिक मृत्यु हुई है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष, संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमति के अभिलेखित बिन्दु एवं आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब तथा उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी मृतक बंदी को एक दिन विलंब से अस्पताल भेजे जाने के लिए आंशिक रूप से दोषी हैं। अतः आरोपित पदाधिकारी का द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है।

6. वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राकेश कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, सासाराम के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (i)/(v) के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :–

(i) **निन्दन**।

(ii) **असंचयी प्रभाव से एक (01) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड।**

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 12—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in